एपीडा
APEDA

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2015-16

एपीडा
APEDA

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2015-16

विषय सूची

1.	**एपीडा की स्थापना**		**07**
	1.1	एपीडा–संगठनात्मक संरचना	–
	1.2	निर्दिष्ट कार्य	–
	1.3	परिविक्षित उत्पाद–एपीडा द्वारा मोनीटर किए गए उत्पाद	–
	1.4	एपीडा प्राधिकरण का गठन	–
	1.5	प्रशासनिक तंत्र	–
2.	**एपीडा का निर्यात परिदृश्य**		**14**
	2.1	कृषि निर्यात में एपीडा का हिस्सा (अप्रैल–मार्च 2016)	–
	2.2	अप्रैल–मार्च 2016 श्रेष्ठ 15 बाजारों में एपीडा के निर्यात का हिस्सा	–
	2.3	एपीडा के प्रमुख उत्पाद और प्रमुख बाजार (अप्रैल–मार्च, 2016)	–
	2.4	एपीडा का निर्यात निष्पादन	–
3.	**एपीडा की ई–शासन प्रणाली**		**17**
4.	**प्राधिकरण की बैठकें और सांविधिक कार्य**		**19**
5.	**एपीडा के अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों का पंजीकरण**		**19**
	5.1	पंजीकरण व सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी)	–
	5.2	पंजीकरण व आबंटन प्रमाणपत्र (आरसीएसी)	–
	5.2.1	बासमती चावल के निर्यात के लिए आरसीएसी	–
	5.2.2	चीनी के आयात के लिए आरसीएसी	–
6.	**एपीडा में राजभाषा का कार्यान्वयन**		**20**
7.	**एपीडा कृषि निर्यात संवर्धन योजना**		**20**
	7.1	बाजार विकास	–
	7.2	अवसंरचना विकास	–
	7.3	परिवहन सहायता	–
	7.4	गुणवत्ता विकास	–
8.	**प्रमुख उपलब्धियां**		**21**
	8.1	**ताजा फलों और सब्जियों के निर्यात को बढ़ाने के प्रयास**	**21**
	8.1.1	ताजा फलों और सब्जियों के लिए मार्किट ऐक्सेस	–
	8.1.2	कृषि निर्यात में वृद्धि करना	–
	8.1.3	प्रतिनिधिमंडलों का दौरा	–
	8.2	**पशुधन क्षेत्र**	**22**
	8.2.1	मीट–नेट	–
	8.2.2	इंडोनेशिया में भैंस के मांस का मार्किट ऐक्सेस	–
	8.2.3	रूस में भारतीय डेयरी उत्पादों का मार्किट ऐक्सेस	–
	8.2.4	बांग्लादेश में डेयरी उत्पादों के निर्यात की पहल	–
	8.2.5	प्रतिनिधिमंडलों का दौरा	–
	8.3	**अनाज क्षेत्र**	**22**
	8.4	**प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र**	**23**
	8.5	**गुणवत्ता विकास**	**23**
	8.6	**जैविक क्षेत्र**	**24**
9.	**अवसंरचना सुविधाओं का विकास**		**26**

विषय सूची

10. गुणवत्ता विकास 28

10.1.1 निर्यात प्रमाणन के लिए खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की मान्यता, निगरानी और उन्नयन –

10.1.2 गुणवत्ता विकास की योजना के अन्तर्गत सहायता –

10.1.3 निर्यात की प्रक्रियाओं को अद्यतन बनाना/उनका विकास एवं कार्यान्वयन –

10.1.4 मानकीकरण –

10.1.5 सैम्प्लिंग और विश्लेषण के तरीकों पर हितधारकों का प्रशिक्षण और उन्नयन –

10.1.6 रेपिड अलर्टस और निर्यात अस्वीकृतियों को मानीटर करना –

10.1.7 इंडोनेशिया और रूस की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन –

11. उत्पाद श्रेणियों में विकासात्मक क्रियाकलाप 29

11.1 बागवानी क्षेत्र 29

- संयुक्त राज्य अमेरिका में आम, अंगूर और अनार के लिए मार्किट ऐक्सेस –
- चीन में फलों और सब्जियों के लिए मार्किट ऐक्सेस –
- ऑस्ट्रेलिया में आम और अंगूर के लिए मार्किट ऐक्सेस –
- दक्षिण अफ्रीका में आम और अंगूर के लिए मार्किट ऐक्सेस –
- दक्षिण कोरिया में आम के लिए मार्किट ऐक्सेस –
- न्यूजीलैंड में आम और अंगूर के मार्किट ऐक्सेस –
- जापान में अंगूर के लिए मार्किट ऐक्सेस –
- वियतनाम में अंगूर के लिए मार्किट ऐक्सेस

11.2 निम्नलिखित देशों के लिए मार्किट एक्सेस (प्रतिबंध हटाने सहित) 31

- मॉरीशस को आम का निर्यात –
- कनाडा को अंगूर (परीक्षण आधार पर शिपमेंट), केला, भिंडी, अखरोट और बैंगन का निर्यात –
- सऊदी अरब में हरी मिर्च के निर्यात से प्रतिबंध हटाना –
- दक्षिण कोरिया को कच्चे केले और छिले हुए अखरोट का निर्यात –
- जापान को आम के निर्यात के लिए मार्किट ऐक्सेस –
- आमों के प्रसंस्करण के लिए गर्म जल उपचार (एच डब्ल्यू टी) सुविधा की स्थापना –
- होर्टीनेट ट्रेसेबिलिटी सिस्टम के लिए आम और भिंडी के मॉड्यूल का विकास एवं कार्यान्वयन –
- सिंगापुर, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के बाजारों में संतरों का परीक्षण शिपमेंट –
- कनाडा के लिए अंगूर का परीक्षण शिपमेंट –
- ताजा फलों और सब्जियों के लिए पैकेजिंग मानकों का विकास –
- आउटरीच कार्यक्रम/कार्यशाला/पारस्परिक विचार–विमर्श बैठकें –
- अभिनिर्धारित फलों और सब्जियों के लिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनुअल तैयार करना –
- हॉट वॉटर डिप ट्रीटमेंट के लिए प्रोटोकॉल का विकास –
- प्रयोगशाला परीक्षण, पैकिंग विकास के लिए वित्तीय सहायता –
- पैकहाउस मान्यता प्रमाणपत्र जारी करना –
- कृषि उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन –
- भटवारी, उत्तरकाशी में नियंत्रित वातावरण भंडार की स्थापना –
- विदेशी प्रतिनिधिमंडलों का दौरा: –
  - कनाडा के खाद्य निरीक्षण प्राधिकरण का दौरा (सी एफ आई ए) –
  - दक्षिण कोरिया संगरोध विशेषज्ञ का दौरा –
  - मॉरीशस प्रतिनिधिमंडल का दौरा –
  - सऊदी अरब के प्रतिनिधिमंडल का दौरा –
  - भारत में ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधिमंडल का दौरा –

विषय सूची

11.3	**पशुधन क्षेत्र**	**33**
11.3.1	मीट.नेट के द्वारा मांस निर्यात कार्यकलाप	–
11.3.2	डेयरी, मुर्गी–पालन और शहद क्षेत्र के कार्यकलाप	–
11.3.3	मांस संयंत्रों का पंजीकरण	–
11.3.4	मार्किट एक्सेस समस्याएं एवं तत्संबंधी उपाय	–
▸	फिलीपीन के प्रतिनिधिमंडल का दौरा	–
▸	इंडोनेशिया के प्रतिनिधिमंडल का दौरा	–
▸	मलेशिया के पशु चिकित्सा सेवा विभाग (डीवीएस) के प्रतिनिधिमंडल का दौरा	–
▸	रूस के प्रतिनिधिमंडल का दौरा	–
▸	चीन के प्रतिनिधिमंडल का दौरा	–
11.4	**अनाज क्षेत्र**	**35**
11.4.1	जीआई के रूप में बासमती चावल का पंजीकरण	–
11.4.2	बासमती चावल के ठेकों का पंजीकरण	–
11.4.3	बासमती उत्पादक राज्यों के किसानों के लिए बासमती निर्यात विकास फाउंडेशन (बीईडीएफ) के माध्यम से आयोजित कार्यशालाएं	–
11.4.4	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में बासमती चावल को बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित करना	–
11.4.5	चीनी के आयात के लिए ठेकों का पंजीकरण	–
11.4.6	टीआरक्यू के अधीन अमेरीका को चीनी के निर्यात के लिए कोटे का आबंटन	–
11.4.7	बीईडीएफ लैब का प्रत्यायन	–
11.5	**खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र**	**37**
11.5.1	भारत से मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना	–
11.5.2	मूंगफली	–
11.5.3	भारत से भुने हुए चने के निर्यात से प्रतिबंध हटाना	–
11.6	**गुणवत्ता विकास**	**38**
11.7	**आउटरीच कार्यक्रम**	**39**
11.8	**जैविक क्षेत्र**	**39**
11.8.1	एनपीओपी में नए मानक शामिल किए गए	–
11.8.2	जैविक प्रमाणीकरण के अधीन क्षेत्र व उत्पादन	–
11.8.3	निर्यात किए गए मुख्य उत्पाद	–
11.8.4	एनपीओपी के अन्तर्गत नए प्रमाणन निकाय का प्रत्यायन और एनओपी के स्कोप का विस्तार	–
11.8.5	मान्यताप्राप्त प्रमाणन निकायों का अनुवर्तन व निगरानी	–
11.8.6	राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय की बैठकें	–
11.8.7	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम	–
11.8.8	सिक्किम के लिए जैविक पर क्रेता विक्रेता सम्मेलन	–
11.8.9	हितधारक परामर्श	–
11.8.10	भारतीय जैविक उत्पाद निर्यात संभावना का पता लगाने के लिए अध्ययन	–
11.8.11	ट्रेसनेट प्रणाली का पुनः विन्यास	–
11.8.12	अंतर्राष्ट्रीय जैविक मेलों में व्यापार को बढ़ावा	–
11.8.13	नुरेमबर्ग जर्मनी में बायोफेक जर्मनी 2016	–
11.8.14	अनेहिम, संयुक्त राज्य अमरीका में नेचुरल एक्सपो वेस्ट 2015	–
12.	**अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी**	**42**
12.1	**अंतर्राष्ट्रीय विभाग**	**42**

विषय सूची

- अफ्रीका बिग सेवन / सैटेक्स–2015, जोहानसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका –
- समर फैंसी फूड एंड कॉन्फ्रेंस शो न्यूयार्क, संयुक्त राज्य अमरीका 28–30 जून 2015 –
- अंतर्राष्ट्रीय प्रसंस्कृत खाद्य, पेय पदार्थ, पैकेजिंग और कृषि प्रदर्शनी प्रोफूड्स 2015 कोलंबो, श्रीलंका 7–9 अगस्त 2015 –
- वर्ल्ड फूड मास्को मास्को, रूस 14–17 सितम्बर, 2015 –
- अनुगा कोलोन, जर्मनी 10–14 अक्टूबर, 2015 –
- चौथा एंटरप्राइज इंडिया शो यांगून, म्यांमार 29 अक्टूबर से 1 नवम्बर, 2015 –
- फूडेक्स सऊदी 2015 जेद्दा, सऊदी अरब 17–20 नवम्बर 2015 –
- फ्रूटलोजिस्टिका, बर्लिन, जर्मनी 3–5 फरवरी, 2016 –
- बायोफेक, 2016 नुरेमबर्ग जर्मनी 10–13 फरवरी, 2016 –
- गल्फफूड, 2016 दुबई 21–25 फरवरी, 2016 –
- नेचुरल प्रोडक्टस एक्सपो वेस्ट, सीए, अमरीका 5–7 मार्च 2016 –
- फूडेक्स जापान टोक्यो जापान 8–11 मार्च 2016 –

12.2 वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान जैविक और ब्रांड प्रमोशन 44

12.2.1 लंदन में भारतीय वाइन का ब्रांड प्रमोशन 6–8 नवंबर, 2015 –

12.2.2 नैरोबी, केन्या में भारतीय खाद्य उत्पादों अर्थात एथनिक उत्पादों, बिस्कुटों और अनाज से निर्मित उत्पादों का ब्रांड प्रमोशन 15–17 जनवरी, 2016 –

12.2.3 भारतीय खाद्य उत्पादों अर्थात, जातीय उत्पादों मूंगफली, ग्वारगम, मिष्ठान्न, अनाज, विविध उत्पाद, आम के गूदे, सूखी और संरक्षित सब्जियों का ब्रांड प्रमोशन 20–22 जनवरी 2016, दार ए सलाम, तंजानिया –

12.2.4 भारतीय खाद्य उत्पादों अर्थात निर्जलित उत्पादों, जातीय उत्पादों, गूदे और अनाज से निर्मित उत्पाद का ब्रांड प्रमोशन,मेक्सिको में 8–10 फरवरी, 2016 –

12.3 निर्यात संवर्धन के लिए राष्ट्रीय आयोजन 45

13. एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय के क्रियाकलाप 47

13.1 एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई 47

13.2 एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलौर 47

13.3 एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी 49

13.4 एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता 50

13.5 एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद 50

1. एपीडा की स्थापना

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की स्थापना संसद द्वारा दिसंबर, 1985 में पारित किए गए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा की गई थी। यह अधिनियम (1986 का 2) भारत के राजपत्रः असाधारणः भाग–II [धारा 3 (ii): 13.2.1986) में जारी एक अधिसूचना द्वारा 13 फरवरी, 1986 से लागू हुआ। प्राधिकरण ने प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद (पीएफईपीसी) को प्रतिस्थापित कर दिया।

एपीडा अधिनियम के अध्याय V धारा 21 (2) के संदर्भ में, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों, नीति और कार्यक्रमों के बारे में सटीक और संपूर्ण लेखा–जोखा देते हुए प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति केंद्रीय सरकार के समक्ष प्रतिवर्ष प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है जिसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जा सकता है।

यह वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की 30वीं वार्षिक रिपोर्ट है ।

1.1 एपीडा संगठनात्मक संरचना

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है जिसके प्रमुख एपीडा के अध्यक्ष हैं।

एपीडा ने मुम्बई, बंगलौर, हैदराबाद, कोलकाता और गुवाहाटी में 5 क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की है।

एपीडा 29 साल से कृषि निर्यात समुदाय की सेवा में कार्यरत है। एपीडा के बारे में बुनियादी जानकारी, अपने कार्यों, उद्यमियों / भावी निर्यातकों को पंजीकरण और वित्तीय सहायता योजनाओं आदि के प्रसार के लिए संबंधित राज्य सरकारों / एजेंसियों के सहयोग से देश के विभिन्न भागों में निर्यातकों की विदेशों तक पहुँच बनाने के लिए तिरुवनंतपुरम (केरल), भुवनेश्वर (उड़ीसा), श्रीनगर (जम्मू–कश्मीर), चंडीगढ़, इम्फाल (मणिपुर), अगरतला (त्रिपुरा), कोहिमा (नागालैंड), चेन्नई (तमिलनाडु), रायपुर (छत्तीसगढ़), अहमदाबाद (गुजरात), भोपाल (मध्य प्रदेश), लखनऊ (उत्तर प्रदेश) और पणजी (गोवा) में 13 वर्चुअल कार्यालय उपलब्ध हैं ।

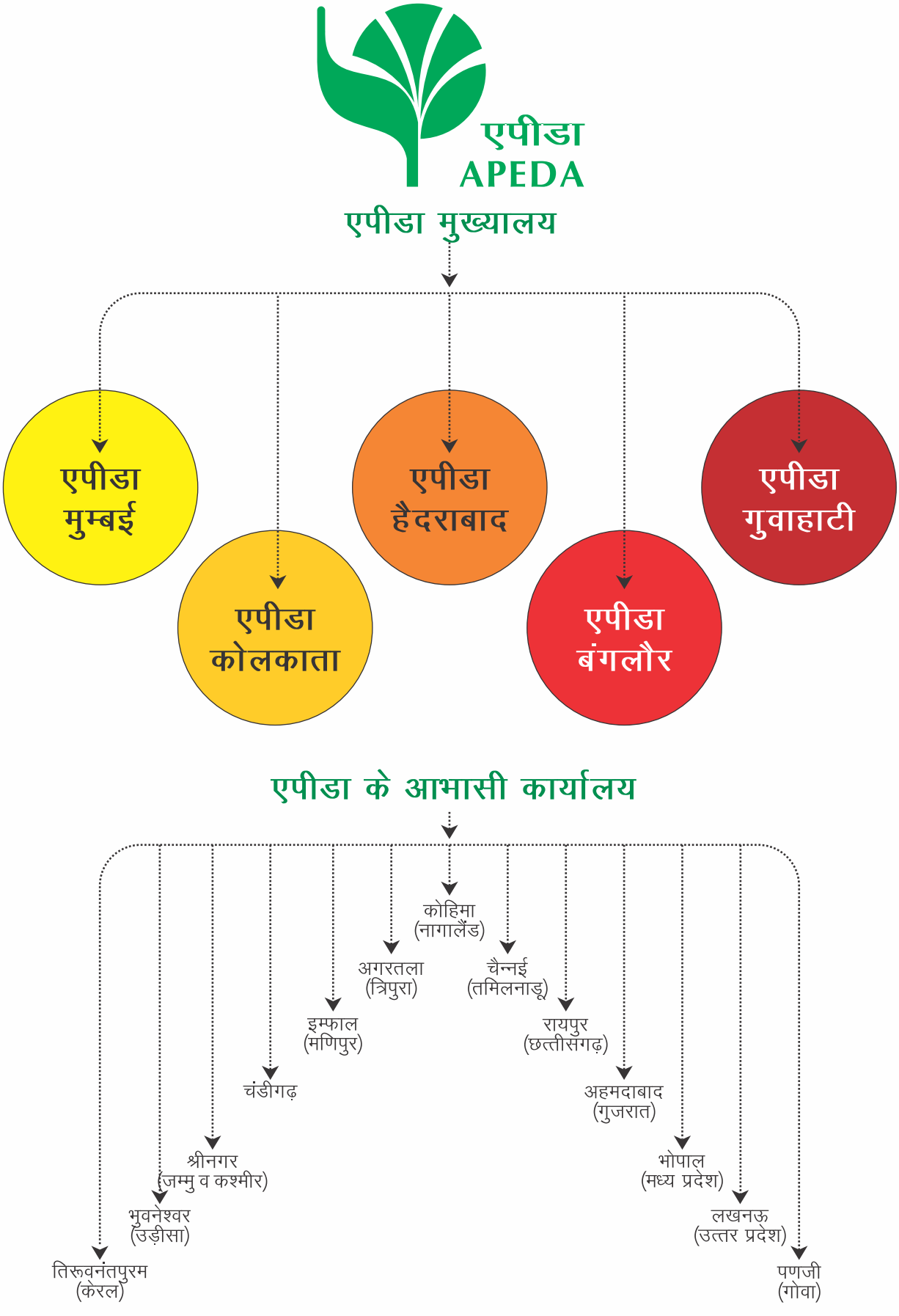
एपीडा
APEDA
एपीडा मुख्यालय
एपीडा मुम्बई
एपीडा कोलकाता
एपीडा हैदराबाद
एपीडा बंगलौर
एपीडा गुवाहाटी
एपीडा के आभासी कार्यालय
तिरूवनंतपुरम (केरल)
भुवनेश्वर (उड़ीसा)
श्रीनगर (जम्मु व कश्मीर)
चंडीगढ़
इम्फाल (मणिपुर)
अगरतला (त्रिपुरा)
कोहिमा (नागालैंड)
चैन्नई (तमिलनाडू)
रायपुर (छत्तीसगढ़)
अहमदाबाद (गुजरात)
भोपाल (मध्य प्रदेश)
लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
पणजी (गोवा)

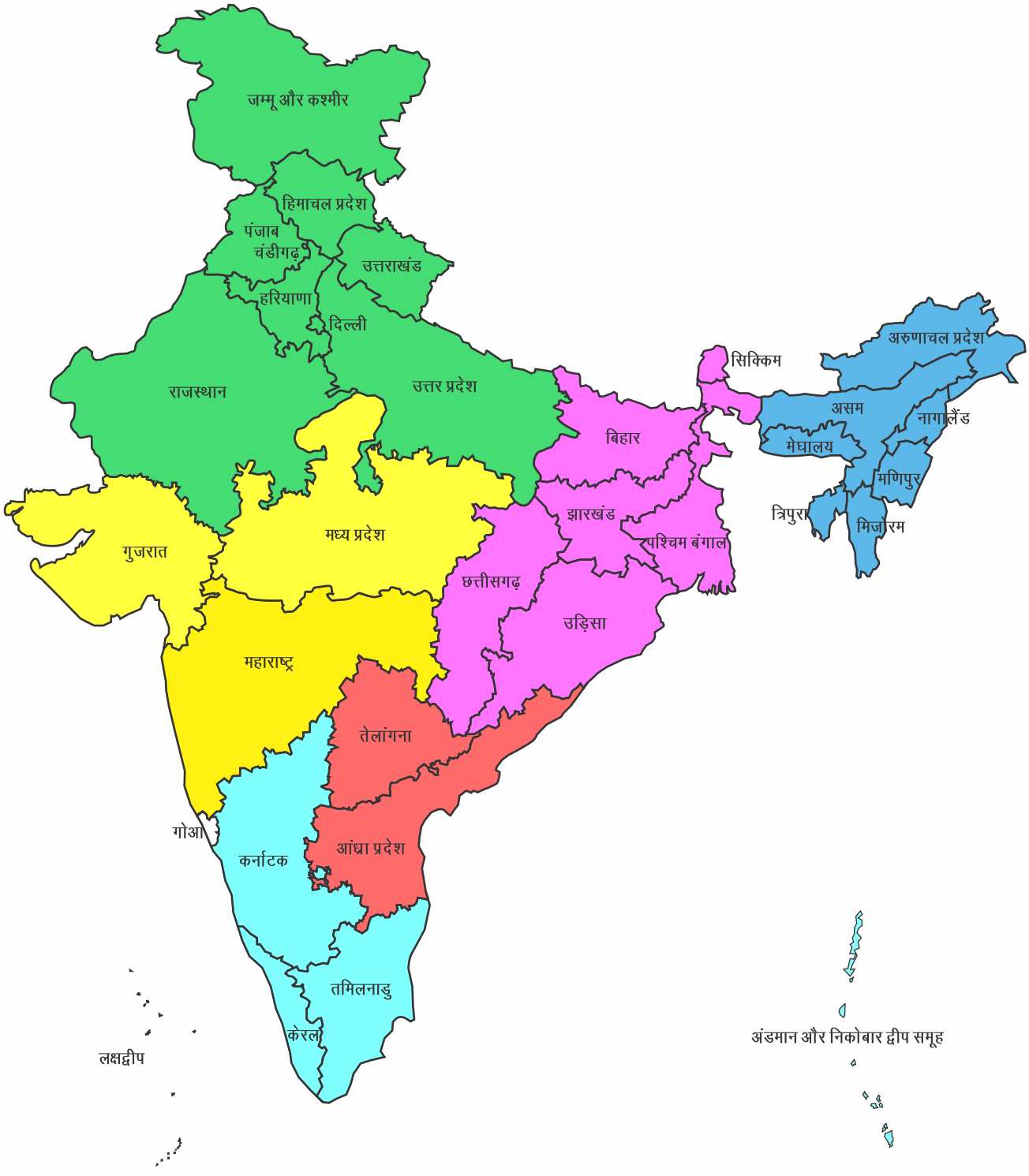
जम्मू और कश्मीर
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
चंडीगढ़
उत्तराखंड
हरियाणा
दिल्ली
राजस्थान
उत्तर प्रदेश
बिहार
सिक्किम
अरुणाचल प्रदेश
असम
नागालैंड
मेघालय
मणिपुर
त्रिपुरा
मिजोरम
झारखंड
पश्चिम बंगाल
गुजरात
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
उड़िसा
महाराष्ट्र
तेलांगना
गोआ
कर्नाटक
आंध्रा प्रदेश
तमिलनाडु
केरल
लक्षद्वीप
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

1.2 निर्दिष्ट कार्य

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1986 (1986 का दूसरा), के अनुसार प्राधिकरण को निम्न कार्य सौंपे गए हैं।

(क) सर्वेक्षण और व्यावहारिक अध्ययन के द्वारा संयुक्त उद्यमों के माध्यम से इक्विटी पूंजी में सहभागिता तथा अन्य अनुदानों के लिए वित्तीय तथा अन्य सहायता प्रदान करके निर्यात के लिए अनुसूचित उत्पादों से सम्बंधित उद्योगो का विकास।

(ख) निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर, अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों के रूप में व्यक्तियों का पंजीकरण करना।

(ग) निर्यात हेतु अनुसूचित उत्पादों के मानक और विशिष्टियां तय करना।

(घ) बूचड़खानों, प्रसंस्करण संयंत्रों, भण्डारण परिसरों, वाहनों अथवा ऐसे अन्य स्थानों जहाँ ऐसे उत्पाद रखे या संभाले जाते हैं, माँस एवं माँस उत्पादों का निरीक्षण करना जिससे कि ऐसे उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

(ड़) अनुसूचित उत्पादों की पैकिंग में सुधार लाना।

(च) भारत से बाहर अनुसूचित उत्पादों के विपणन में सुधार।

(छ) निर्यातोन्मुख उत्पादों को बढ़ावा देना और अनुसूचित उत्पादों का विकास करना।

(ज) अनुसूचित उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकिंग, विपणन अथवा निर्यात में प्रवृत्त कारखानों अथवा संस्थानों के मालिकों अथवा किन्हीं अन्य व्यक्तियों से जो कि अनुसूचित उत्पादों से संबंधित किसी मामले में निर्धारित किए गए किन्हीं अन्य व्यक्तियों से आंकड़ों का संग्रह करना और इस तरह संग्रह किए गए आंकडों अथवा उनके किन्हीं अंशों अथवा उनके उद्धरणों को प्रकाशित करना।

(झ) अनुसूचित उत्पादों से संबंधित अद्योगों के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण प्रदान करना।

(ञ) निर्धारित किए गये ऐसे अन्य मामले।

1.3 एपीडा अनुसूचित उत्पाद

एपीडा को निर्यात संवर्द्धन तथा विकास का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है। एपीडा अधिनियम की प्रथम अनुसूची में अधिसूचित उत्पाद निम्नलिखित हैं।

1.	फल, सब्जियां तथा उनके उत्पाद
2.	मांस तथा मांस उत्पाद
3.	कुक्कुट तथा कुक्कुट उत्पाद
4.	डेयरी उत्पाद
5.	कन्फेक्शरी, बिस्कुट तथा बेकरी उत्पाद
6.	शहद, गुड़ तथा चीनी उत्पाद
7.	कोको तथा उसके उत्पाद, सभी प्रकार के चॉकलेट
8.	मादक तथा गैर मादक पेय–पदार्थ
9.	अनाज तथा अनाज उत्पाद
10.	मूंगफली तथा अखरोट
11.	अचार, पापड़ और चटनी
12.	ग्वारगम
13.	पुष्पकृषि तथा पुष्पकृषि उत्पाद
14.	जड़ी–बूटी तथा औषधीय उत्पाद

एपीडा अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में बासमती चावल को भी सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त एपीडा को चीनी के आयात के परिविक्षण का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है।

एपीडा जैविक उत्पादों के निर्यात हेतु निर्मित जैविक उत्पादन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत निकायों के प्रमाणीकरण को कार्यान्वित करने हेतु स्थापित राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एन ए बी) की सेवाओं हेतु सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है। "जैविक उत्पादन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम" के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप उत्पादन, प्रसंस्करण तथा पैकिंग करने पर उत्पादों को जैविक उत्पाद प्रमाणित किया जाता है और निर्यात किया जाता है।

1.4 एपीडा प्राधिकरण का गठन

संविधि द्वारा निर्धारित एपीडा प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य शामिल है यथाः

केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष।

भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार, पदेन।

नीति आयोग का प्रतिनिधित्व करनें वाला एक सदस्य जिसे केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

संसद के तीन सदस्य जिनमें से दो लोकसभा एवं एक राज्यसभा से चुना जाता है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त आठ सदस्य जो कि केन्द्र सरकार के निम्न से संबंधित मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

(I) कृषि और ग्रामीण विकास
(ii) वाणिज्य
(iii) वित्त
(iv) उद्योग
(v) खाद्य
(vi) नागरिक आपूर्ति
(vii) नागर विमानन
(viii) जहाजरानी एवं परिवहन

केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्णानुक्रम के अनुसार बारी–बारी से नियुक्त किया जाता है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सात सदस्य जो निम्न का प्रतिनिधित्व करेंगे।

(I) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
(ii) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
(iii) राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ
(iv) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान
(v) भारतीय पैकेजिंग संस्थान
(vi) मसाला निर्यात संवर्धन परिषद तथा
(vii) काजू निर्यात संवर्धन परिषद।

केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले बारह सदस्य जो निम्न का प्रतिनिधित्व करेंगे।

(क) फल एवं सब्जी उत्पाद उद्योग
(ख) मांस कुक्कुट और डेयरी उत्पाद उद्योग
(ग) अन्य अधिसूचित उत्पाद उद्योग

केन्द्रीय सरकार द्वारा कृषि, अर्थशास्त्र तथा अधिसूचित उत्पादों के विपणन के क्षेत्र के विशेषज्ञ एवं वैज्ञानिकों में से नियुक्त दो सदस्य

1.5 प्रशासनिक तंत्र

प्राधिकरण के अध्यक्ष

श्री संतोष कुमार सारंगी ने दिनांक 01.04.2015 से 15.04.2015 तक एपीडा के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला ।

श्री कृष्ण कुमार ने दिनांक 16.04.2015 से 31.03.2016 तक एपीडा के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला ।

निदेशक

श्री एस दवे ने दिनांक 01.04.2015 से 31.07.2015 तक एपीडा के निदेशक का कार्यभार संभाला ।

श्री सुनील कुमार ने दिनांक 07/08/2015 से 29/12/2015 तक एपीडा के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला ।

श्री सुनील कुमार को दिनांक 30.12.2015 से एपीडा के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और उन्होंने 31.03.2016 तक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला ।

प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी

एपीडा अधिनियम के खण्ड 7(3) में यह प्रावधान है कि प्राधिकरण अपने कार्यों के कुशल निष्पादन के लिए आवश्यक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कुल कर्मचारियों की संख्या 89 थी जबकि कुल स्वीकृत संख्या 124 है। एपीडा प्राधिकरण के कर्मचारियों की श्रेणी–वार विवरण निम्नानुसार था।

(क)	सरकार में श्रेणी 'क' के समकक्ष पद (जिनमें अध्यक्ष, निदेशक और सचिव शामिल हैं)	25
(ख)	सरकार में श्रेणी 'ख' पदों के समकक्ष पद	30
(ग)	सरकार में श्रेणी 'ग' के पदों के समकक्ष पद	26
(घ)	सरकार में श्रेणी 'घ' के पदों के समकक्ष पद	08

प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के कल्याण एवं विकास के कार्यों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। एपीडा ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों से प्राप्त सभी शिकायतों पर उचित कारवाई की तथा उनकी कोई शिकायत शेष नहीं है।

सरकार के मानदण्डों के अनुसार शारीरिक दृष्टी से विकलांग व्यक्तियों के लिए सभी श्रेणियों में कुल क्षमता के 3% पद आरक्षित हैं। वर्तमान में एपीडा के कुल कर्मचारियों की संख्या 89 है जिनमें से शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की संख्या 2 है।

2. निर्यात परिदृश्य

2.1 कृषि निर्यात में एपीडा का हिस्सा (अप्रैल 2015–मार्च 2016)

कुल निर्यात व्यापार	**262 बिलियन डॉलर**
कृषि उत्पादों का निर्यात (सूत सहित)	**32.1 बिलियन डॉलर**
कुल निर्यात व्यापार में कृषि उत्पाद का हिस्सा	**12.25%**
एपीडा द्वारा मोनिटर किए गए उत्पादों का निर्यात (संपूर्ण कृषि उत्पादों का 50.2%)	**16.20 बिलियन डॉलर**

डीजीसीआईएस 2015–16

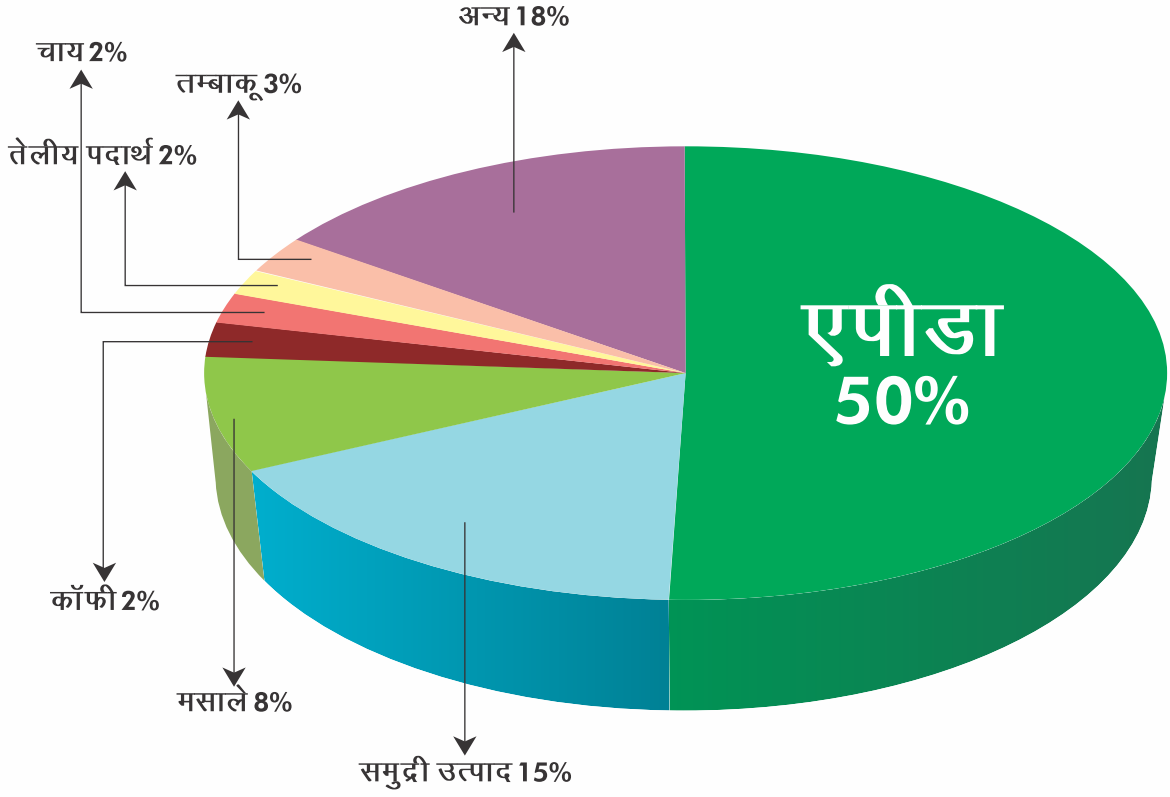

डीजीसीआईएस के निर्यात आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2015–मार्च 2016 की अवधि में 262 बिलियन डॉलर के कुल निर्यात में से कृषि निर्यात का हिस्सा 32.1 बिलियन डॉलर तथा एपीडा द्वारा मोनिटर किए गए उत्पादों का निर्यात संपूर्ण कृषि उत्पादों का 50.2% है ।

2.2 अप्रैल 2015–मार्च 2016 श्रेष्ठ 15 बाजारों में एपीडा के निर्यात का हिस्सा (%)

1.	वियतनाम सामाजिक गणराज्य	12.7
2.	सऊदी अरब	8.7
3.	संयुक्त अरब अमीरात	8.5
4.	संयुक्त अमरीका	5.8
5.	मलेशिया	4.4
6.	ईरान	4.1
7.	इराक	3.1
8.	नेपाल	3

9.	बांग्लादेश	2.7
10.	इजिप्ट अरब गणराज्य	2.6
11.	कुवैत	2.4
12.	यूनाइटेड किंगडम	2.3
13.	ओमान	1.7
14.	इंडोनेशिया	1.7
15.	नीदरलैंड्स	1.7

अप्रैल–मार्च 2016 में सबसे बड़े 15 बाजारों में एपीडा के निर्यात का हिस्सा

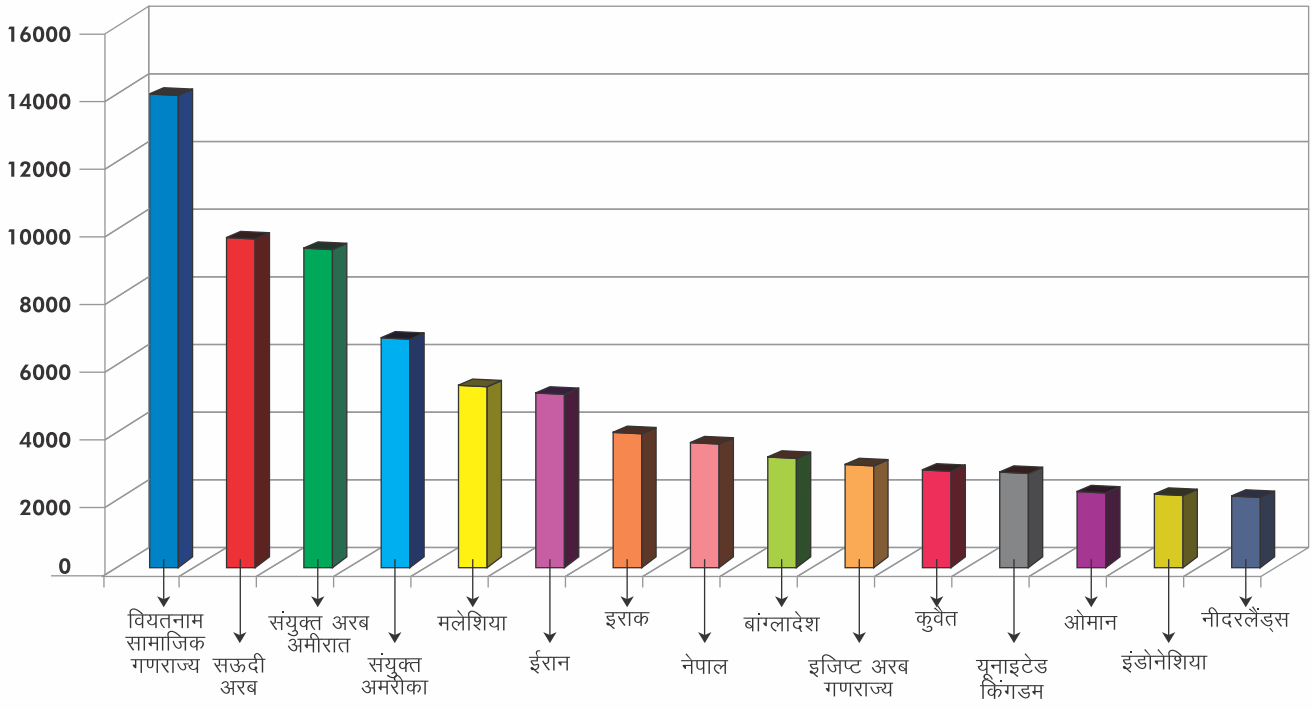

2.3 एपीडा के प्रमुख उत्पाद और प्रमुख बाजार (अप्रैल–मार्च, 2016)

उत्पाद	श्रेष्ठ 5 बाजारों में हिस्सा %
बासमती चावल	सऊदी अरब (24.18%), ईरान (16.39%), संयुक्त अरब अमीरात (13.69%), ईराक (9.82%), कुवैत (6.06%)
गैर बासमती चावल	सेनेगल (10.60%), बेनिन (9.33%), नेपाल (7.82%), कोटे डी इवोरे (6.51%), गुइना (5.73%)
भैंस का मांस	वियतनाम सामाजिक गणराज्य (49.18%), मलेशिया (10.05%), इजिप्ट अरब गणराज्य (8.71%), सऊदी अरब (5.30%), ईराक (2.87%)
मूँगफली	इंडोनेशिया (32.79%), मलेशिया (14.33%), थाईलैंड (12.03%), फिलीपींस (9.84%), पाकिस्तान (4.70%)
ग्वार गम	संयुक्त अमरीका (51.57%), चीन पी आरपी (9.19%), जर्मनी (6.00%), रूस (5.27%), कनाडा (3.69%)
मादक पेय पदार्थ	संयुक्त अरब अमीरात (25.24%), नाइजीरिया (13.06%), घाना (8.90%), सिंगापुर (8.42%), नीदरलैंड्स (3.97%)
विविध प्रसंस्कृत उत्पाद	संयुक्त अमरीका (16.84%), संयुक्त अरब अमीरात (8.88%), नेपाल (6.69%), इंडोनेशिया (5.45%), बांग्लादेश (5.31%)
ताजे फल	संयुक्त अरब अमीरात (26%), नीदरलैंड्स (18%) यूनाइटेड किंगडम (8%), सऊदी अरब (6%), नेपाल (6%)
अनाज से निर्मित उत्पाद	संयुक्त अमरीका (17.28%), संयुक्त अरब अमीरात (7.15%), बांग्लादेश (6.94%), यूनाइटेड किंगडम (6.93%), नेपाल (6.47%)
ताजी सब्जियाँ	संयुक्त अरब अमीरात (15%), मलेशिया (14%), बांग्लादेश (13%), श्रीलंका (12%), नेपाल (8%)

2.4 एपीडा का निर्यात ट्रेन्ड

अप्रैल–मार्च 2015–16 की अवधि में एपीडा के उत्पादों के निर्यात का विवरण इस प्रकार है:

उत्पाद समूह	एपीडा उत्पाद का तीन साल का निर्यात विवरण मूल्य करोड़ रुपये में और अमरीकी डॉलर में मात्रा मीट्रिक टन में						वृद्धि %	
		2014–15			2015–16			
	मात्रा	करोड़ रुपये	मिलियन अमरिकी डॉलर	मात्रा	करोड़ रुपये	मिलियन अमरिकी डॉलर	करोड़ रुपये	मिलियन अमरिकी डॉलर
पुष्पकृषि व बीज	35446.58	887.81	145.35	33444.18	972.96	148.62	9.59	2.25
ताजे फल व सब्जियां	2500961.88	7474.14	1221.83	2404945.92	8391.41	1277.56	12.27	4.56
प्रसंस्कृत फल व सब्जियां	1006679.44	6670.37	1090.81	970359.43	7213.1	1099.71	8.14	0.82
पशुधन उत्पाद	2163060.54	33128.31	5411.33	2075286.64	30137.07	4597.71	-9.03	-15.04
अन्य प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद	3012631.55	24893.06	4067.91	2512741.11	18854.54	2881.22	-24.26	-29.17
बासमती चावल	3702260.07	27597.89	4518.11	4045796.25	22718.44	3477.96	-17.68	-23.02
गैर बासमती चावल	8274046.02	20428.54	3334.71	6366585.53	15129.09	2314.58	-25.94	-30.59
गेहूं	2924070.18	4991.84	828.76	618020.01	978.59	151.54	-80.40	-81.71
अन्य अनाज	688199.92	1224.02	202.29	264974.25	517.22	79.65	-57.74	-60.63
जोड़	24307356.18	127295.98	20821.1	19292153.32	104912.42	16028.55	-17.58	-23.02

स्रोत: डीजीसीआईएस वार्षिक विवरण

यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में एपीडा का निर्यात में (रुपये के संदर्भ में) कुल मिलाकर 17.58% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई।

ताजा फल और सब्जियों, प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों, फूलों की खेती और बीजों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। गैर बासमती चावल, ग्वार गम, बासमती चावल, गेहूं, भैंस के मांस और मक्का के निर्यात में गिरावट आई ।

बासमती चावल के निर्यात में कमी का कारण कीमतों में गिरावट आना था, जिससे हैवी कैरीओवर स्टॉक्स से उत्पादन में कमी, अत्यधिक कैरीओवर स्टॉक्स के कारण ईरान द्वारा आयात में कमी तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अनाज की कीमतों में गिरावट आना आदि था।

उच्च घरेलू कीमतों [वैश्विक मूल्य रू गेहूं 192 अमरीकी डालर (भारत अमरीकी डालर 245): मक्का 177 अमरीकी डालर (भारत 257 अमरीकी डालर)], तथा मुर्गियों के दाने के लिए मक्का की घरेलू मांग में वृद्धि और स्टार्च उत्पादन उद्योग के कारण गेहूं और मक्का के निर्यात में काफी गिरावट आई ।

तेल की मूल्यों में कमी के कारण शेल गैस ड्रिलिंग उद्योग से मांग कम होने के कारण ग्वार गम के निर्यात में कमी आई ।

कीटनाशक का पता लगने के कारण वियतनाम द्वारा आयात पर प्रतिबंध लगाने की वजह से मूंगफली का निर्यात कम हुआ।

चीन द्वारा वियतनाम के माध्यम से आयात पर अस्थायी प्रतिबंध, ब्राजील की मुद्रा के अवमूल्यन और सीरिया, यमन आदि में अशांति के कारण भैंस के मांस के निर्यात में गिरावट आई।

3. एपीडा की ई–शासन प्रणाली

एपीडा की ई–शासन प्रणाली और भारत में कारोबार करने की सरलता

सरकार भारत में कारोबार करने की आसानी के लिए कई नए उपाय और प्रयास कर रही है और मौजूदा नियमों को सरल और युक्तियुक्त बनाने एवं ई–शासन प्रणाली को और अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की शुरुआत पर बल दिया गया है। एपीडा ने वर्ष के दौरान मौजूदा ई–शासन प्रणाली को प्रोउन्नत बनाने के अनेक उपाय किए और हितधारकों के लाभ के लिए नई ऑनलाइन सुविधाएं शुरू कीं।

निम्नलिखित के कार्यान्वयन में मुख्य सफलताएं:

- आरसीएमसी का पेपरलेस आवेदन, प्रोसेसिंग व निर्गम
- आरसीएसी का पेपरलेस आवेदन, प्रोसेसिंग व निर्गम
- परिवहन सहायता का पूर्ण ऑनलाइन पेपरलेस संवितरण

निम्नलिखित प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया:

- परिवहन सहायता योजना के लिए अपेक्षित प्रलेखों की संख्या को घटाकर चार किया गया
- सभी दस्तावेजों का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण
- सत्यापन के लिए सीमा शुल्क विभाग से शिपिंग बिल के आंकड़ों को स्रोत बनाना
- डीजीएफटी से ई–बीआरसी आंकड़ों को स्रोत बनाना
- आरटीजीएस के द्वारा सहायता संवितरण

- होर्टिनेट के अन्तर्गत आम और भिंडी के लिए नए ट्रेसेबिलिटी सिस्टम का कार्यान्वयन
- मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के निर्यात के प्रमाणपत्र के लिए पेपरलेस आवेदन, प्रोसेसिंग व निर्गम
- बागवानी खेप, मूंगफली प्रोसेसिंग इकाइयों और मांस के संयंत्रों की प्रोसेसिंग के लिए पैकहाउसों के पंजीकरण के लिए प्रमाण पत्र के लिए पेपरलेस आवेदन, प्रोसेसिंग व निर्गम
- ऑनलाइन लोक शिकायत निवारण प्रणाली
- खाद्य और फीड (आरएएसएफएफ) के लिए त्वरित एलर्ट प्रणाली का अनुवर्तन
- विभिन्न देशों के बाजार तक पहुंच से सम्बन्धित मुद्दों के लिए अनुवर्तन प्रणाली
- जैविक फसल उत्पादों के उत्पादन, प्रोसेसिंग एवं निर्यात का बेहतर अनुवर्तन करने के लिए ट्रेसनेट सिस्टम का डिजाइन नए सिरे से बनाना । इसके लिए सॉफ्टवेयर बनाने का कार्य पूरा हो चुका है।

घरेलू प्रक्रिया के सरलीकरण में सुधार

- पेपरलेस अवकाश आवेदन प्रणाली के कार्यान्वयन को विकसित किया
- पेपरलेस दौरा कार्यक्रम प्रणाली के कार्यान्वयन को विकसित किया

प्रशिक्षण और सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम

- महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में आम और भिंडी की ट्रेसेबिलिटी प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए हितधारकों के लिए 8 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- निर्यातकों के लिए ऑनलाइन पेपरलेस आवेदन और परिवहन सहायता योजना के संवितरण के कार्यान्वयन के लिए 8 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- मीट–नेट प्रणाली के प्रशिक्षण और कार्यान्वयन के लिए मांस निर्यातकों के लिए 3 सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम आयोजित किए गए ।
- एपीडा में आरएएसएफएफ, शिकायत निवारण और बाजार पहुंच प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- आई–ट्रैक प्रणाली और कृषि–विनिमय व्यापार पोर्टल के लिए इन–हाउस सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम आयोजित किए गए।

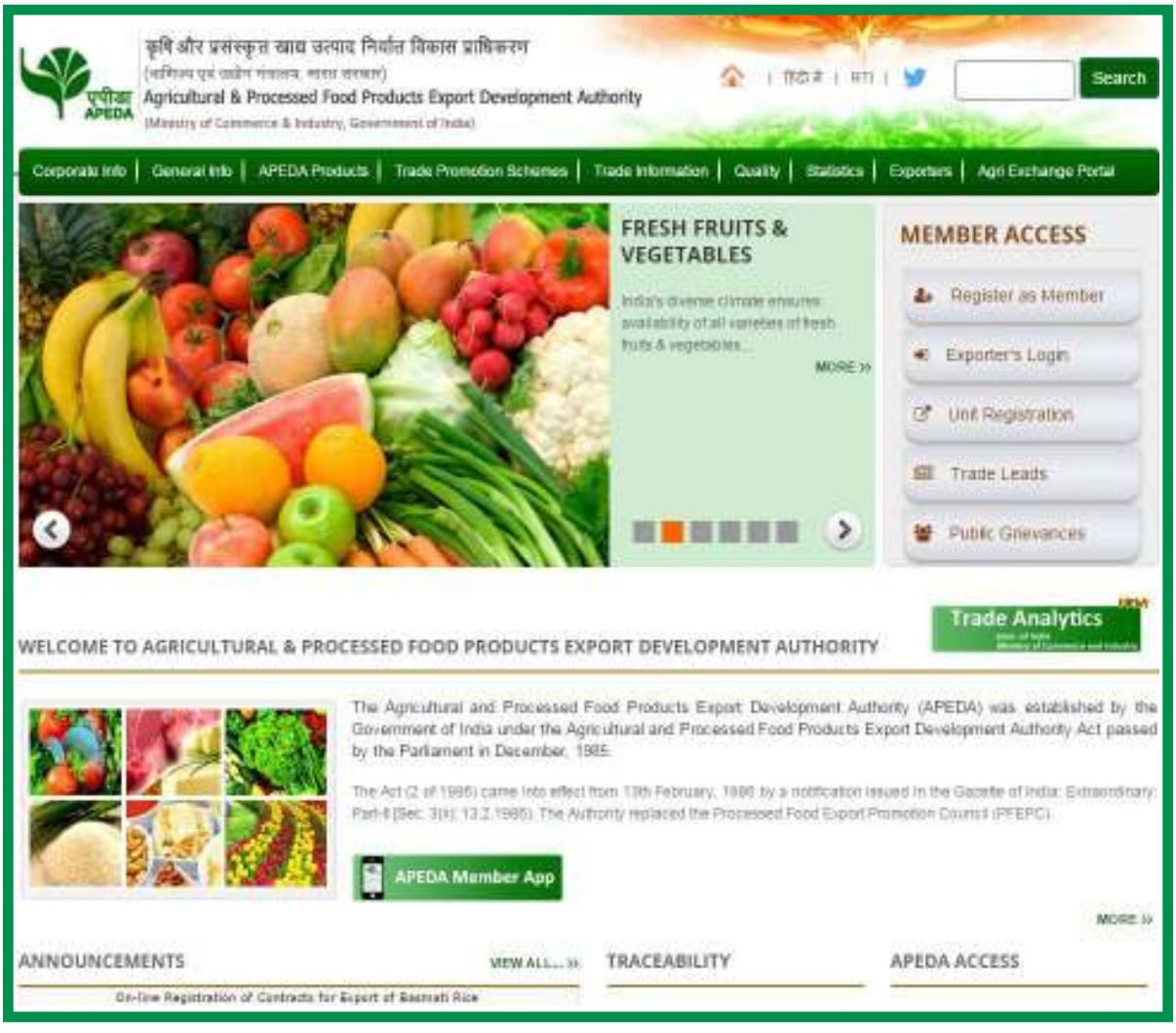

अन्य प्रयास

- एपीडा की वेबसाइट को आईबीईएफ के सुझावों के अनुरूप दुबारा बनाया गया ।
- कृषि विनिमय ट्रेड पोर्टल का भी पुर्नविन्यास किया गया और इसे विभिन्न नई व्यापार जानकारी के साथ कार्यान्वित किया गया।
- निर्यात आयात व्यापार पर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय आंकड़ों में एक उपयुक्त अभिदान, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के संसदीय प्रश्नों और अन्य सरकारी संगठनों आदि अपेक्षाओं के अनुसार विभिन्न विश्लेषणात्मक रिपोर्टों का संकलन और विकास।
- एपीडा के दैनिक न्यूज लेटर का संकलन करना और इसे ईमेल के माध्यम से 34000 से अधिक प्राप्तकर्ताओं में परिचालित करना एवं इसे फेसबुक और गूगल प्लस जैसी सोशयल वेबसाइटों पर उपलब्ध कराना।
- एपीडा के क्षेत्रीय कार्यालयों को जोड़ने के लिए एपिडा के मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम की स्थापना की गई।

इन उपायों के परिणाम पहले ही सामने आने लगे हैं और अब कागजी कार्यवाही के लिए हितधारकों द्वारा एपीडा के साथ परस्पर विचार–विमर्श करने में कम समय लगता है। नियमित आधार पर नए प्रयास जारी रखने के लिए, एपीडा भी निर्यातकों और अन्य हितधारकों के लाभ के लिए निम्नलिखित ई–शासन प्रणाली प्रयास आरंभ कर रहा है, जिन्हें निकट भविष्य में शुरू किया जाएगा:

किए जा रहे प्रयास

- जैविक फसल उत्पादों के उत्पादन, प्रोसेसिंग और निर्यात के अनुवर्तन के लिए ट्रेसनेट प्रणाली में पूर्ण सुधार करना ।
- आपदा प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन का कार्य करना ।

4. प्राधिकरण की बैठकें और सांविधिक कार्य

वर्ष 2015–16 के दौरान एपीडा प्राधिकरण की तीन बैठकें 2 जून 2015, 13 अक्टूबर, 2015 और 23 नवम्बर 2015 को आयोजित की गई।

5. एपीडा के अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों का पंजीकरण

5.1 पंजीकरण–व–सदस्यता प्रमाण पत्र (आरसीएमसी): कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 (यथा संशोधित), की धारा 12 की उप धारा (1) के अधीन एक या एकाधिक अनुसूचित उत्पादों का निर्यात करने वाला हर व्यक्ति जिस तारीख को ऐसा निर्यात करने का वचन देता है, उस तारीख से एक माह समाप्त होने से पूर्व या इस धारा के लागू होने की तारीख से तीन माह के समाप्ति, जो भी बाद में हो, तक प्राधिकरण को अनुसूचित उत्पाद या अनुसूचित उत्पादों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदन करेगा। पंजीकरण–व–सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) एपीडा के अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों को जारी किया जाता है। 31 जुलाई तक आरसीएमसी मैन्युअल रूप से जारी किया जाता था।

प्रक्रियाओं को सरल बनाने और कारोबार करने की सुविधा के उद्देश्य से दिनांक 01.08.2015 से पेपरलेस आवेदन की प्राप्ति तथा डिजिटल हस्ताक्षर सहित आरसीएमसी को ऑनलाइन जारी करना आरंभ किया गया।

कार्यालय	नया	नवीनीकृत	संशोधन
मुख्यालय	876	547	1523
मुम्बई		593	2169
बैंगलोर	1225	291	1580
हैदराबाद	313	66	435
कोलकाता	278	106	399
गोवाहाटी	35	10	46
कुल	2727	1613	6152

5.2 पंजीकरण–व–आबंटन प्रमाण पत्र (आरसीएसी)

5.2.1 एपीडा द्वारा जारी की गई व्यापार सूचनाओं के आधार पर बासमती चावल के निर्यात के लिए पंजीकरण – व – आबंटन प्रमाण पत्र

	2015–16	
कुल आरसीएसी	मिलियन मेट्रिक टन में मात्रा	एफओबी मूल्य (यूएसडी मिलियन)
26078	3.96	3556

5.2.2 वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान जारी किए गए आरसीएसी (चीनी के आयात) के विवरण

2015–16 (कच्ची चीनी)			2015–16 (सफेद/परिष्कृत चीनी)		
कुल आरसीएसी	मात्रा (मिलियन एम.टी.)	सीआईएफ मूल्य (यूएसडी मिलियन)	कुल आरसीएसी	मात्रा (हजार एम.टी.)	सीआईएफ मूल्य (हजार यूएसडी)
65	1.96	617	96	2.34	3280

6. एपीडा में राजभाषा का कार्यान्वयन

प्राधिकरण ने 2015–16 के दौरान भारत सरकार के राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के विभिन्न उपबंधों को लागू किया। प्राधिकरण द्वारा किए गए कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है:

1. एपीडा के पंजीकरण–व–सदस्यता प्रमाण पत्र (आरसीएमसी) और पंजीकरण–व–आबंटन प्रमाणपत्र (आरसीएसी) द्विभाषी रूप से जारी किए जाते हैं।
2. वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं।
3. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के उपबंधों को कार्यान्वित किया गया।
4. एपीडा में हिंदी में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजनाएं उपलब्ध है। संगठन के कर्मचारियों और अधिकारियों को हिन्दी में प्रभावी कार्य करने के लिए नकद पुरस्कार दिए गए।
5. हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए एपीडा के कर्मचारियों को राजभाषा के प्रशिक्षण/सेमिनार/कार्यशालाओं में भेजा गया ।
6. वर्ष 2015–16 के दौरान 14–28 सितम्बर को हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। प्रतिदिन के पत्राचार में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले और हिन्दी में काम करने कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया।
7. सभी फाइल कवर द्विभाषिक रूप से छपवाए जाते हैं और इन पर आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले वाक्यांश भी मुद्रित किए जाते हैं ताकि कर्मचारियों को नियमित रूप से हिंदी में टिप्पणी लिखने में मदद मिल सके।
8. प्रत्येक कर्मचारी को कार्यालय सहायिका दिया गया है और राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक अनुभाग को एक–एक अंग्रेजी–हिन्दी शब्दकोश दिया गया है।
9. एपीडा वेबसाइट हिन्दी में उपलब्ध है और इसे समय–समय पर अद्यतन किया जा रहा है।
10. एपीडा के क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है।

7. एपीडा कृषि निर्यात संवर्धन योजनाः

कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा ने एपीडा की कृषि निर्यात संवर्धन योजना के निम्नलिखित घटकों के अन्तर्गत पंजीकृत निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान की है:

8. प्रमुख उपलब्धियां

8.1 ताजा फलों और सब्जियों के निर्यात को बढ़ाने के लिए प्रयास

8.1.1 ताजा फलों और सब्जियों के लिए मार्किट एक्सेस

मॉरीशस को आम के निर्यात के लिए मई 2016 में मार्केट एक्सेस प्राप्त की गई। मॉरीशस को पहली बार 2.15 मेट्रिक टन आम की पहली खेप का निर्यात किया गया।

दिनांक 27–28 अप्रैल, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित इंडो कनेडियन द्विपक्षीय बैठक के दौरान केला, भिंडी, अखरोट और बैंगन के निर्यात हेतु मार्किट एक्सेस प्राप्त की गई। इसके अतिरिक्त कनाडा के प्राधिकारियों द्वारा अंगूर के निर्यात के लिए ट्रायल शिपमेंट भेजने के लिए मार्किट एक्सेस प्रदान की गई जिसके लिए यह शर्त रखी गई कि निर्यात किए गए उत्पाद कीटनाशक अवशेष रहित होगा और जिसका 100: निरीक्षण कनाडा की खाद्य निरीक्षण एजेंसी द्वारा किया जाएगा। मार्च 2016 में कनाडा को पहली बार 17.51 मेट्रिक टन अंगूर की खेप का निर्यात किया गया और जो पास हो गई।

14.05.2015 को नई दिल्ली में आयोजित भारत–दक्षिण कोरिया संयंत्र द्विपक्षीय बैठक के दौरान, ताजे फल और सब्जियों के लिए मार्किट एक्सेस का मामला उठाया गया था। पशु एवं संयंत्र संगरोध एजेंसी (क्यूआईए), दक्षिण कोरिया ने शेलड अखरोट और कच्चे केले (पके हुए केले नहीं) के लिए भारत को इस शर्त पर मार्केट एक्सेस का अनुमोदन प्रदान किया कि खेप का निरीक्षण किया गया हो और भारत के नेशनल प्लान्ट प्रोटेक्शन संगठन (एनपीपीओ, भारत) द्वारा फ्योटोसैनिटरी सर्टिफिकेट (पीएससी) जारी किया गया हो। भारतीय आमों के मामले में, कोरियाई पक्ष ने अनुमोदित पैकिंगहाउस की सूची प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि भारतीय आमों के स्थल पर सर्वेक्षण के परिणाम का एक औपचारिक उत्तर, जल्द ही कोरिया द्वारा क्यूआईए में संबंधित कार्यालयों के साथ स्थल पर सर्वेक्षण के परिणाम की समीक्षा के बाद भेजा जाएगा।

कृषि रसायनों के अधिक से अधिक एमआरएल की मौजूदगी के कारण, सऊदी अरेबिया पब्लिक अथॉरिटी ऑफ एग्रीकल्चर अफेयर्स एण्ड फिश रिसोर्सिस ने भारत से हरी मिर्च के निर्यात पर 30.05.2014 को प्रतिबंध लगा दिया था। इस संदर्भ में, अक्टूबर 2015 में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत द्वारा अपनाई गई खेतों, सुविधाओं और निर्यात प्रमाणन प्रणालियों के सत्यापन के लिए भारत का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने निर्यात प्रमाणन के लिए अपनाई गई प्रणाली पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की। यात्रा के परिणामस्वरूप, कृषि मंत्रालय, सऊदी अरब किंग्डम ने भारत से हरी मिर्च के आयात पर दिनांक 07.01.2016 से अस्थायी प्रतिबंध हटा दिया।

8.1.2 कृषि निर्यात में वृद्धि करना :

i यूरोपीय संघ को आमों के निर्यात के लिए गोरेगांव, मुंबई में आमों की प्रोसेसिंग के लिए हॉट वॉटर ट्रीटमेंट सुविधा सहित बुनियादी अवस्थापना सुविधा स्थापित की गई। यूरोपीय संघ को आमों के निर्यात के लिए अनेक निर्यातकों द्वारा इस सुविधा का उपयोग किया गया.

ii आम और भिंडी के पंजीकरण मॉड्यूल का विकास किया गया और यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए होर्टीनेट ट्रेसेबिलिटी सिस्टम के अधीन आंशिक रूप से कार्यान्वित किया गया।

iii सिंगापुर, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के बाजारों में संतरे और कनाडा को अंगूरों का ट्रायल शिपमेंट भेजी गई।

iv अभिनिर्धारित फलों और सब्जियों के लिए पैकेजिंग मानकों के विकास की परियोजना।

v अभिनिर्धारित निर्यात संभावनाओं वाले जिलों तथा कई राज्यों के निर्यातोन्मुख विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्यातकों,

हितधारकों, राज्य सरकारों आदि के साथ आउटरीच कार्यक्रम / कार्यशाला / परस्पर बातचीत हेतु बैठकों का आयोजन किया गया।

vi 6 फलों (आम, अनार, अनानास, पपीता, केला और मूंगफली) और 8 सब्जियों (भिंडी, हरी मिर्च, करेला, बैंगन, कढ़ी पत्ता, सहजन की फली, लाल प्याज और पान के पत्ते) के लिए पोस्ट फसल मैनुअल्स तैयार किए गए ।

vii शैल्फ लाइफ तथा उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अलफांसो और केसर आमों के निर्यात के लिए गर्म पानी में डुबो कर ट्रीटमंट करने की परियोजना के लिए मसौदा प्रोटोकॉल का विकास किया गया ।

8.1.3 प्रतिनिधिमंडलों का दौरा

पांच प्रतिनिधिमंडलों के दौरों का आयोजन किया गया:

i आम, केला, अखरोट, बैंगन और भिंडी जैसे उष्णकटिबंधीय फलों और सब्जियों के निर्यात के लिए केनेडियन फूड इन्स्पेकशन अथॉरिटी (सीएफआईए) ने भारत का दौरा किया।

ii दक्षिण कोरिया के संगरोध सुविज्ञ द्वारा कीटनाशक रहित आम के निर्यात के लिए भारत द्वारा लगाई गई निर्यात प्रमाणन प्रणाली की सराहना की गई।

iii भारतीय आमों के लिए आयात का परमिट जारी करने से पहले भारत द्वारा अपनाई गई निर्यात प्रमाणन प्रणाली का सत्यापन करने के लिए मॉरीशस के प्रतिनिधिमंडल ने दौरा किया।

iv भारत से हरी मिर्च के आयात पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध के संबंध में सऊदी अरब के प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया।

v ऑस्ट्रेलिया में अंगूर के मार्किट एक्सेस के लिए ऑस्ट्रेलिया के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया।

8.2 पशुधन क्षेत्र

8.2.1 मीट-नेट: मांस के निर्यात के लिए ऑनलाइन स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मीट-नेट सॉटवेयर प्रणाली का विकास किया गया ।

8.2.2 इंडोनेशिया में भैंस के मांस के लिए मार्किट एक्सेसः इंडोनेशिया के अधिकारियों ने अक्टूबर, 2015 में भारत का दौरा किया और सकारात्मक परिणाम के साथ जोखिम मूल्यांकन किया।

8.2.3 रूस में भारतीय डेयरी उत्पादों के लिए मार्किट एक्सेस।

8.2.4 बांग्लादेश में पेट्रापोल की भूमि बंदरगाह से डेयरी उत्पादों के निर्यात के शुरूआत।

8.2.5 प्रतिनिधिमंडलों का दौरा:

i. फिलीपींसः राष्ट्रीय मांस और निरीक्षण सेवा (एनएमआईएस) के प्रतिनिधिमंडल ने अनुमोदित संयंत्रों के निरीक्षण के लिए मार्च, 2016 में भारत का दौरा किया।

ii. इंडोनेशियाः वाणिज्य मंत्रालय और एपीडा के एक प्रतिनिधिमंडल ने इंडोनेशिया के कृषि मंत्रालय के साथ भारत के फ्रीज किए हुए भैंस के मांस के मार्किट एक्सेस पर चर्चा करने के लिए जकार्ता, इंडोनेशिया का दौरा किया। इसके बाद इंडोनेशिया के तकनीकी दल ने अक्टूबर, 2015 में भारतीय एफएमडी नियंत्रण कार्यक्रम के सत्यापन के लिए भारत का दौरा किया।

iii. मलेशियाः मलेशिया के पशु चिकित्सा सेवा विभाग (डीवीएस) के प्रतिनिधिमंडल ने अनुमोदित बूचड़खानों की वार्षिक निगरानी और अतिरिक्त बूचड़खानों के अनुमोदन के लिए अक्टूबर, 2015 में भारत का दौरा किया।

iv. रूसः पशु और पादप निगरानी (एफएसवीपीएस) के लिए संघीय सेवा के प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त मांस प्रसंस्करण प्रतिष्ठानों के निरीक्षण और अनुमोदन के लिए अप्रैल 2015 में भारत का दौरा किया ।

v. चीनः भारतीय गोजातीय मांस के लिए चीन के बाजार को खोलने के लिए एक्यूएसआईक्यू (चीन के पीपुल्स गणराज्य गुणवत्ता पर्यवेक्षण, निरीक्षण व संगरोध सामान्य प्रशासन) के प्रतिनिधिमंडल ने अक्टूबर, 2015 में भारत का दौरा किया ।

8.3 अनाज क्षेत्र

i जीआई के रूप में बासमती चावल का पंजीकरणः भारत सरकार द्वारा एपीडा को बासमती चावल में निहित बौद्धिक सम्पदा के संरक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

ii बासमती चावल के लिए ठेकों का पंजीकरणः ठेकों के पंजीकरण को जुलाई 2015 से ऑनलाइन कर दिया गया।

iii बासमती उगाने वाले के राज्यों अर्थात जम्मू व कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर

प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों के लिए बासमती निर्यात विकास फाउंडेशन के द्वारा "निर्यात के लिए बासमती चावल के उत्पादन में गुणवत्ता सुधार" विषय पर कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

iv समर फैंसी, गल्फ फूड, इंडिया शो नाइजीरिया, फाइन फूड, अनुगा, आईएफई लंदन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में बासमती चावल को बढ़ावा देने पर विशेष बल देना ।

v चीनी के आयात के लिए ठेकों का पंजीकरणः अध्याय 17 के अधीन चीनी के आयात के लिए विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) में निहित उपबंधों के अनुसार, एपीडा में कच्ची चीनी / सफेद / परिष्कृत चीनी के आयात का पंजीकरण होता है ।

vi टीआरक्यू के अंतर्गत अमरीका को चीनी के निर्यात के लिए कोटे का आबंटनः डीजीएफटी की दिनांक 20 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना संख्या 3/2015–2020 के अनुसार एपीडा द्वारा अमरीका को चीनी के निर्यात के लिए टीआरक्यू का संचालन किया जाता है जो डीजीएफटी द्वारा समय–समय पर अधिसूचित निर्यात मात्रा पर आधारित है।

vii बीईडीएफ लैब की मान्यताः बासमती चावल विकास फाउंडेशन (बीईडीएफ) को उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने के लिए किसानों, व्यापारियों, मिल मालिकों और व्यापारी निर्यातकों के रूप में विविध हितधारकों के बीच एकीकरण करने का कार्य सौंपा गया है।

8.4 प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र

i मूंगफली के निर्यात के लिए निर्यात प्रमाणपत्र ऑनलाइन प्रदान करने का प्रावधान जारी किया गया ।

ii वियतनाम ने 06.04.2015 से, भारत से मूंगफली के आयात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया था। वियतनाम सरकार के पौध संरक्षण विभाग (पीपीडी) ने सुविधाओं / प्रयोगशालाओं का स्थल पर निरीक्षण के लिए भारत का दौरा किया और वियतनाम ने 18 जनवरी, 2016 से इस प्रतिबंध को हटा लिया ।

iii एपीडा और भारतीय मसाला और खाद्य पदार्थ निर्यात संघ के प्रयासों से भारत से भुने हुए चने के निर्यात से प्रतिबंध हटा लिया गया ।

8.5 गुणवत्ता विकास

1. नीतिगत पीपीपी परियोजना के माध्यम से भारत से ज्वार और बीज का निर्यात बढ़ाने के लिए ब्रेन स्टोर्मिंग सत्रों का आयोजन किया गया।

2. विदेशी बाजारों में निर्यात संवर्धन क्रियाकलापः एपीडा ने नैरोबी, केन्या, दार ए सलाम, तंजानिया, मैक्सिको सिटी, मैक्सिको में भारतीय प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों अर्थात एथनिक उत्पादों, बिस्कुटों एवं अनाज से बनी चीजों और लंदन, ब्रिटेन में भारतीय शराब को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड प्रमोशन किया ।

3. कोडेक्स समिति की बैठकों में एपीडा के अधिकारियों की भागीदारी और योगदानः कीटनाशकों के अवशेष पर कोडेक्स समिति; कोडेक्स अलीमेंटेरियस कमीशन; खाद्य स्वच्छता पर कोडेक्स समिति और ताजा फलों और सब्जियों पर कोडेक्स समिति।

3.1 बीजिंग, चीन में 13 से 18 अप्रैल, 2015 को आयोजित कीटनाशकों के अवशेष पर कोडेक्स समिति के 47वें सत्र में एपीडा की भागीदारी

3.2 कोडेक्स अलीमेंटेरियस कमीशन (सीएसी) के 38वें सत्र में एपीडा की भागीदारी

एपीडा ने 6 से 11 जुलाई, 2015 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित कोडेक्स अलीमेंटेरियस कमीशन (सीएसी) के 38वें सत्र में भाग लिया।

आयोग ने खाद्य गुणवत्ता और मानक सुरक्षा के लिए नए और संशोधित मानक और सरकारों द्वारा आवेदन के संबन्धित टैक्स्ट अपनाए और भारत की रुचि आंकड़ों और पशुओं के स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक प्रभाव के वैज्ञानिक सबूत के आधार पर रिकोम्बिनेंट बोवाइन सोमोटोट्रोपीन (आरबीएसटीज) के लिए एमआरएल के मानकों का विकास करने पर थी। भारत चीन और यूरोपीय संघ की राय के आधार पर संभव आम सहमति बनाने के लिए और समय देने के लिए चरण 8 पर आरबीएसटीज के लिए मसौदा आरएमएल को स्थगित करने की सहमति हुई। भारत को सीसीएषिया के क्षेत्रीय समन्वयक के रूप में चुना गया जो भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।

3.3 इक्स्तपा, मैक्सिको में 5 से 9 अक्टूबर, 2015 को आयोजित ताजा फलों और सब्जियों पर कोडेक्स समिति में एपीडा की भागीदारी

एपीडा ने इक्स्तपा, मैक्सिको में 5 से 9 अक्टूबर, 2015 को आयोजित ताजा फलों और सब्जियों के पर कोडेक्स समिति के 19वें सत्र में भाग लिया। कार्य–सूची में जिन विषयों पर चर्चा की गई, वे इस प्रकार हैं:

(i) बेंगन के लिए प्रस्तावित मसौदा मानकः समिति प्रस्तावित मसौदा मानक को कोडेक्स अलीमेंटेरियस कमीशन द्वारा चरण 5/8 पर अपनाने के लिए भेजने पर सहमत हो गई; (ii)

वेयर आलू के लिए प्रस्तावित मसौदा मानकः समिति अगले संशोधन करने और समिति के अगले सत्र में इस पर विचार करने के लिए चरण 3 पर प्रस्तावित मसौदा मानक लौटाने के लिए सहमत हुई; (iii) खजूर पर नए कार्य के लिए प्रस्तावः समिति ने भारत के नेतृत्व में एक इलेक्ट्रॉनिक कार्य दल बनाया; (iv) छोटा प्याजः समिति ने इंडोनेशिया के प्रतिनिधिमंडल से परियोजना दस्तावेज में संशोधन करने और उस पर विचार के लिए इसे सीसीएफएफवी के अगले सत्र पेश करने का अनुरोध किया। सीसीएफएफवी के लिए सीसीएएसआईए का समन्वयक होने के नाते भारत के प्रतिनिधिमंडल ने परियोजना प्रलेख तैयार करने में इंडोनेशिया की मदद करने के लिए अपनी रुचि व्यक्त की। इसके अलावा भारत सीसीएफएफवी के अगले सत्र में चर्चा के लिए, ताजा कढ़ी पत्ते पर नए कार्य का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए भी प्रतिबद्ध हुआ। समिति ने विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा के दौरान पूर्ण आम सहमति बनाने के भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रयासों की सराहना की।

एपीडा भी सीसीएफएफवी में सीसीएएसआईए के समन्वयक और साथ ही छोटे प्याजों और लहसुन के मानक स्थापित करने के इस नए कार्य–प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक कार्यसमूहों के समन्वयक के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है।

एपीडा ने ताजा कढ़ी पत्ते के लिए कोडेक्स मानक बनाने के लिए न्यूयॉर्क के प्रस्ताव पर पहल की है और सीसीएफएफवी के अगले सत्र में चर्चा हेतु इसे कोडेक्स अलीमेंटेरियस कमीशन को प्रस्तुत कर दिया है।

3.4 बोस्टन, संयुक्त राज्य अमरीका में 8 से 13 नवम्बर, 2015 को खाद्य स्वच्छता पर कोडेक्स समिति की बैठक में एपीडा की भागीदारी

एपीडा ने बोस्टन, संयुक्त राज्य अमरीका में 8 से 13 नवम्बर, 2015 को खाद्य स्वच्छता पर कोडेक्स समिति की बैठक में 47वें सत्र में भाग लिया। संयुक्त राज्य अमरीका के कृषि विभाग के डॉ. एमिलियो एस्टेबन ने इस सत्र की अध्यक्षता की। इस सत्र में 75 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 250 प्रतिनिधियों, एक सदस्य संगठन और नौ अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल की मुख्य चिंता गोमांस और सूअर के मांस में नॉन–टाइफोडियल साल्मोनेला एसपीपी के नियंत्रण के लिए प्रस्तावित मसौदा मार्गनिर्देशों की कार्यसूची में गोजातीय मांस को शामिल करना था। प्रत्यक्ष कार्य समूह, जिसकी सह अध्यक्षता अमरीका और डेनमार्क ने की थी, 'पशु' शब्द की परिभाषा में भैंस (बुबालस बूबलीस) का वैज्ञानिक नाम शामिल करके गोमांस के एक स्रोत के रूप में भैंस को शामिल करके प्रलेख में संशोधन करने के भारत के प्रस्ताव पर सहमत हो गया। समिति ने उपर्युक्त प्रत्यक्ष कार्य समूह की रिपोर्ट पर चर्चा की और गोमांस और सूअर के मांस के उत्पादन केलो–चार्ट में एक स्टेप के रूप में 'एण्टे–मोरटेम' को शामिल करने के भारत सहित कई देशों द्वारा प्रस्तावित संशोधन करने के लिए सहमत हो गई । भारत ने खाद्य स्वच्छता के सामान्य सिद्धांतों और इसके एचएसीसीपी अनुलग्नक के संशोधन पर नये कार्य की सह–अध्यक्षता करने का निर्णय लिया।

8.6 जैविक क्षेत्र

8.6.1 कृषि फसलों के अलावा पशुओं, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन मानकों सहित जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीओपी) के 7वें संस्करण की अधिसूचना

जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीओपी) का कार्यान्वयन विदेश व्यापार विकास विनियम (एफटीडीआर) अधिनियम के अधीन निर्यात के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2001 से किया जा रहा है। एनपीओपी उत्पादन मानकों में पहले केवल कृषि फसलें ही शामिल थीं। जैविक उत्पादों की श्रेणी में विविधता लाने के लिए प्रमाणीकरण के दायरे और व्यापार व निर्यात बढ़ाने के लिए पशुधन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन के मानक एनपीओपी के 7वें संस्करण में शामिल किए गए। इन्हें डीजीएफटी द्वारा दिनांक 1 जून, 2015 से अधिसूचित किया गया।

8.6.2 हिमालयी राज्यों के लिए जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम पर आयोजित संवेदीकरण कार्यक्रम

एनपीओपी के अंतर्गत जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण के बारे में सरकारी अधिकारियों और जैविक हितधारकों तक पहुँचने के उद्देश्य से हिमालयी राज्यों में पांच आउटरीच सेंसिटैजेशन कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इन कार्यक्रमों के उद्देश्य निम्नानुसार थे:

उत्पादक समूहों और व्यक्तिगत उत्पादकों, प्रौसेसरों और व्यापारियों द्वारा जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय

कार्यक्रम (एनपीओपी) के अधीन अपनाए जाने वाले उत्पादन और प्रमाणीकरण मानकों की अपेक्षाओ में जागरूकता पैदा करना;

जैविक उत्पादों के निर्यात की संभावनाओं के बारे में राज्य सरकार के अधिकारियों, किसानों, व्यापारियों आदि सहित जैविक हितधारकों का संवेदीकरण;

मानक अपेक्षाओं को पूरा करने, जैविक उत्पादों के निर्यात में परिसीमन, मार्किट एक्सेस आदि जैसे मामलों में हितधारकों के समक्ष आने वाली समस्याओं का समाधान करना।

वर्ष 2015–16 के दौरान हिमालयी राज्यों (जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम) में सरकारी अधिकारियों सहित जैविक हितधारकों की क्षमता निर्माण के लिए एक मात्र रूप से पांच आउटरीच/सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम आयोजित किए गए।

वर्ष के दौरान आयोजित क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रचार क्रियाकलाप

8.6.3 सिक्किम में जैविक सम्मेलन:

गंगटोक, सिक्किम में 17 से 20 जनवरी, 2016 को एक जैविक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सिक्किम जैविक महोत्सव और सतत कृषि और किसान कल्याण पर राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। कृषि मंत्री, सिक्किम की अध्यक्षता में आयोजित सत्र के अंतर्गत "जैविक कृषि एवं मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के माध्यम से स्थिरता" विषय पर एपीडा के अध्यक्ष तकनीकी समूह 1 के प्रतिनिधि थे। तकनीकी सत्र के निष्कर्षों को 18 जनवरी, 2016 को आयोजित पूर्ण अधिवेशन के दौरान माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष पेश किया गया।

एपीडा द्वारा चिंतन भवन में एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें, प्रमाणित जैविक उत्पाद प्रदर्शित किए गए। माननीय प्रधानमंत्री इस प्रदर्शनी क्षेत्र का दौरा किया और प्रदर्शित उत्पादों के बारे में जानकारी प्राप्त की।

एपीडा ने भी सारमसा गार्डन में एक स्टाल लिया, जिसमें भारत से निर्यात किए जा रहे विभिन्न जैविक उत्पादों का प्रदर्शन किया गया।

8.6.4 जैविक समतुल्यता के लिए कनाडा, कोरिया, ताइवान और जापान के साथ बातचीत

एपीडा जैविक उत्पादों के लिए कनाडा, कोरिया, ताइवान और जापान के साथ समतुल्यता प्राप्त करने के निरंतर प्रयास कर रहा है। समतुल्यता प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए मानकों का तुलनात्मक विवरण भेजा गया और इसके लिए नियमित आधार पर पत्राचार किया जा रहा है।

8.6.5 जैविक समतुल्यता की समीक्षा के लिए यूरोपीय संघ एफवीओ मिशन

जैविक उत्पादों के निर्यात के लिए भारत और यूरोपीय संघ के बीच समतुल्यता व्यवस्था के अंतर्गत एनपीओपी प्रक्रियाओं के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए 13 से 23 अप्रैल, 2015 को एक यूरोपीय संघ–एफवीओ मिशन ने एपीडा का दौरा किया, जिसमें 3 सदस्य (दो यूरोपीय संघ एफवीओ कार्यालय से और एक डीजी सेनको से था) और यूएसडीए–एनओपी का एक पर्यवेक्षक शामिल था।

अंतिम रिपोर्ट फरवरी 2015 में प्राप्त हुई। इस रिपोर्ट में ऑडिट रिपोर्ट के कुछ निष्कर्षों के संबंध में समतुल्यता के वर्तमान दायरे सहित भारत द्वारा अनुपालन का उल्लेख किया गया था। एपीडा ने फरवरी 2016 में प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाई के साथ उत्तर भेज दिया है।

अंतर्राष्ट्रीय जैव मेलों में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए न्यूरेमबर्ग, जर्मनी में बायोफेक जर्मनी 2016 और अनेहियम संयुक्त राज्य अमरीका में नेचुरल एक्सपो वेस्ट 2015।

9. अवसंरचना सुविधाओं का विकास

निर्यात के लिए देश भर में अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना:

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, एपीडा के पास अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए 42.00 करोड़ रुपए का बजट परिव्यय था। वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक बजट व्यय को पूरा करने के लिए लक्ष्य को अच्छी तरह से पूरा कर लिया गया।

1. गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा नरोदा, अहमदाबाद में पैक हाउस के उन्नयन के लिए 421.30 लाख रुपए की कुल स्वीकृत राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की। नरोदा का एकीकृत पैक हाउस वर्ष 2010 से परिचालनरत है और संयुक्त राज्य अमरीका को आमों और यूरोपीय संघ और मिडिल ईस्ट देशों को अन्य फलों और सब्जियों का निर्यात इस पैकहाउस से प्रभावित हुआ है। लेकिन एपीडा के मान्यता प्राप्त पैकहाउसों, जहां पादप निरीक्षण भी किया जाता है, के माध्यम से यूरोपीय संघ के लिए फलों और सब्जियों के निर्यात की नई अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, जीएआईसी ने इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पैकहाउस को अपग्रेड करने की आवश्यकता महसूस की। इस बारे में 28 अक्तूबर, 2015 को जीएआईसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके लिए अग्रिम राशि भी दे दी गई है।
2. नई भूमि उपयोग नीति कार्यान्वयन बोर्ड, मिजोरम द्वारा आइजोल, मिजोरम में फलों और सब्जियों के लिए पैक हाउस की स्थापना के लिए 800.00 लाख रुपये के स्वीकृत अनुदान सहित वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इस बारे में 28 अक्तूबर, 2015 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और इसके लिए अग्रिम राशि भी दे दी गई है।
3. एचपीएमसी द्वारा पत्लिकुहल, हिमाचल प्रदेश में सेबों के लिए एक नियंत्रित वातावरण भंडार की स्थापना के लिए 487.02 लाख रुपये की स्वीकृत राशि के साथ वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इस बारे में 28 अक्टूबर, 2015 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
4. एचपीएमसी द्वारा खरापथर, हिमाचल प्रदेश में सेबों के लिए एक नियंत्रित वातावरण भंडार की स्थापना के लिए 800.00 लाख रुपये की स्वीकृत राशि के साथ वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इस बारे में 28 अक्टूबर, 2015 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
5. एचपीएमसी द्वारा चुरुह, हिमाचल प्रदेश में सेबों के लिए एक नियंत्रित वातावरण भंडार की स्थापना के लिए 394.13 लाख रुपये की स्वीकृत राशि के साथ वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इस बारे में 28 अक्टूबर, 2015 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

6. नवसारी और धरमपुर में संग्रह केन्द्रों के साथ एपीएमसी, सूरत में आम, चीकू के उत्पादों में एसेपटिक पैकेजिंग और कैनिंग सहित प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के लिए बुनियादी सुविधाओं की स्थापना हेतु 1000.00 लाख रुपए की स्वीकृत राशि प्रदान के गई। इस बारे में 28 अक्तूबर, 2015 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और इसके लिए अग्रिम राशि भी दे दी गई।
7. राज्य कृषि उत्पादन मंडी समिति, उत्तर प्रदेश द्वारा झांसी, उत्तर प्रदेश द्वारा फ्रीज किए गए फल और सब्जियों के लिए आईक्यूएफ सुविधा के साथ एकीकृत पैक हाउस की स्थापना हेतु 800.00 लाख रुपए की स्वीकृत राशि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इस बारे में 19 अगस्त, 2015 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और इसके लिए अक्टूबर, 2015 में अग्रिम राशि भी दे दी गई।
8. बागबानी निदेशालय, उत्तराखंड सरकार द्वारा फ्रीज किए गए फल और सब्जियों के लिए मंगलौर, हरिद्वार में आईक्यूएफ सुविधा की स्थापना हेतु 800.00 लाख रुपए की स्वीकृत राशि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इस बारे में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और अग्रिम राशि भी दे दी गई।
9. जम्मू व कश्मीर राज्य कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा खोनमोह फूड पार्क में एकीकृत शहद प्रसंस्करण सुविधा की स्थापना हेतु 349.56 लाख रुपए की स्वीकृत लागत सहित वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
10. वाणिज्य एवं उद्योग निदेशालय द्वारा विष्णुपुर इम्फाल, मणिपुर में शहद के लिए कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के लिए 409.23 लाख रुपए की स्वीकृत लागत सहित वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इसके लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और अग्रिम राशि दे दी गई।
11. पंजाब, मार्कफेड द्वारा गांव चुहरवाली, जिला जालंधर में परिक्षण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 1500.00 लाख रुपए की स्वीकृत लागत सहित वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
12. भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान से सोर्गम के निर्यात को बढ़ाने के लिए इंक्यूबेटिंग उद्यमियों हेतु पायलट मूल्य संवर्धित सोर्गम एवं बाजरा प्रौसेसिंग इकाइयों का अर्ध वाणिज्यिक संयंत्रों के रूप में उन्नयन के लिए 751.50 लाख रुपए की स्वीकृत लागत का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ।
13. मूंगफली अनुसंधान निदेशालय की मार्फत भारतीय मूंगफली की किस्मों की विशेषता और निर्यात योग्यता पर किए गए अनुसंधान प्राप्त करने हेतु 85.59 लाख रुपए की स्वीकृत लागत सहित वित्तीय सहायता।
    - यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रगति में तेजी आई है, वर्ष के दौरान बुनियादी सुविधाओं की नियमित समीक्षा की गई। धीमी गति से चलती/विलम्ब वाली कई परियोजनाओं में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई।
    - इस क्षेत्र में निर्यात की संभावनाओं और बुनियादी सुविधाओं में अंतराल का पता लगाने के लिए झांसी, जालौन और ललितपुर का एक त्वरित सर्वेक्षण किया गया। निष्कर्षों के आधार पर, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद्, उत्तर प्रदेश, झांसी में पैकहाउस व आइक्यूएफ सुविधा की स्थापना का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिसे अनुमोदित का दिया गया है और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद अग्रिम राशि दे दी गई।
    - एपीडा द्वारा वित्तपोषित आम बुनियादी सुविधाओं की निगरानी के लिए सुदृढ़ तंत्र स्थापित करने के लिए एक परियोजना निगरानी एजेंसी का अभिनिर्धारण किया गया है।
    - 7 राज्यों अर्थात कर्नाटक तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं के अंतराल का पता लगाने के लिए तीन अध्ययन किए गए। इन पर संबंधित राज्य सरकारों से चर्चा की गई है। विवरण को अंतिम रूप देने के लिए उनकी राय पर विचार किया जा रहा है।
    - वर्ष के दौरान अलग–अलग निर्यातकों की 300 से अधिक फाइलों पर कार्यवाही की गई और भुगतान किए गए।

10. गुणवत्ता विकास

10.1.1 निर्यात प्रमाणन के लिए खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की मान्यता, निगरानी और उन्नयन

क) 12 नई प्रयोगशालाओं का आकलन और 10 मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं की निगरानी की गई ।

ख) 4 मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं और एक एनआरएल का उच्च परिशुद्धता उपकरणों के मामले में उन्नयन किया गया ।

ग) समीक्षाधीन अवधि के दौरान निर्यात प्रमाणन के लिए एपीडा द्वारा अनुसूचित उत्पादों के नमूनों और विश्लेषण के लिए 9 नई प्रयोगशालाएं जोड़ते हुए 35 प्रयोगशालाओं को मान्यता दी गई ।

10.1.2 गुणवत्ता विकास योजना के अन्तर्गत सहायता

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, एचएसीसीपी, आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, आईएसओ 22000, बीआरसी, गैप जैसी योजना के विभिन्न संघटकों और इन–हाउस गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के उन्नयन और सरकारी क्षेत्र / राज्य सरकारों द्वारा प्रयोगशाला सुविधाओं की स्थापना के लिए लगभग 110 आवेदनो के लिए वित्तीय सहायता के संबंध में कार्यवाही की गई।

10.1.3 निर्यात की प्रक्रियाओं को अद्यतन बनाना/उनका विकास एवं कार्यान्वयन

क) निर्यात मौसम 2015–16 के लिए खाद्य सुरक्षा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कृषि रसायनों के अवशेषों के नियंत्रण के माध्यम से यूरोपीय संघ को ताजा अंगूर के निर्यात की प्रक्रियाएं।

ख) आयातक देशों की खाद्य सुरक्षा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भारत से मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के निर्यात की प्रक्रिया।

ग) यूरोपीय संघ के लिए भिंडी के निर्यात के लिए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया।

घ) अनार के निर्यात की प्रक्रिया।

ङ) ताजा सब्जियों (हरी मिर्च, बैंगन, करेला, कढ़ी पत्ता और सहजन की फली) के निर्यात की प्रक्रिया ।

च) उपर्युक्त के अतिरिक्त पान के पत्ते, आम, अनानास, केले और पपीते के निर्यात की प्रक्रिया भी शुरू की गई ।

10.1.4 मानकीकरण

क) कढ़ी पत्ते, सहजन की फली, ताजा हरा धनिया, मेथी के पत्ते, आलू की पत्तियों और पान के पत्तों के लिए ताजा सब्जियों के 6 नए मानक विकसित किए गए। इससे यूरोपीय संघ के कढ़ी पत्ते जैसे उत्पादों के लिए बाजार खोलने में मदद मिलेगी।

ख) एपीडा के अध्यक्ष भी प्रसंस्कृत खाद्य और सब्जियों के मानकों के विकास और संशोधन के लिए बीआईएस की एफएडी–10 समिति और ताजा फलों और सब्जियों के लिए एगमार्क मानकों को स्थापित करने की स्थायी समिति के लिए भी अध्यक्ष हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान मानकों को अंतिम रूप देने के लिए एपीडा द्वारा प्रत्येक समिति की एक बैठक आयोजित की गई।

ग) इसके अलावा एपीडा ने प्रयोगशाला उन्नयन पर तथा एफएसएसएआई, भारतीय मानक ब्यूरो और क्यूसीआई द्वारा मानक स्थापित करने के लिए आईसीएआर/खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की तकनीकी समितियों की बैठकों में भाग लिया और उन्हें इनपुट्स उपलब्ध कराये ।

10.1.5 सैम्पलिंग और विश्लेषण की पद्धतियों पर हितधारकों का प्रशिक्षण और उन्नयन

क) एपीडा यूरोपीय संघ द्वारा भारत को दिये जा रहे समन्वय और क्षमता निर्माण के प्रयास के रूप में व्यापार विकास के प्रशिक्षण का समन्वय कर रहा है और उनमें भाग ले रहा है। एपीडा के 7 अधिकारियों और मूंगफली और मूंगफली उत्पादों, चावलों में एफलटोक्सिन्स का पता लगाने के लिए नमूना लेने के तरीकों पर प्रयोगशालाओं के 35 नमूनाविदों को प्रशिक्षित किया गया।

ख) अवधि के दौरान भारत–यूरोपीय संघ सीआईटीडी कार्यक्रम के तहत नमूना विश्लेषण और दक्षता परीक्षण के तरीकों के बारे में मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं और एनआरएल के 18 विश्लेषकों के चार बैंचो प्रशिक्षित किया गया।

10.1.6 रेपिड अलर्ट्स और निर्यात अस्वीकृतियों को मोनीटर करना

क) 135 त्वरित चेतावनी और निर्यात अस्वीकृतियों की इलैक्ट्रॉनिक निगरानी जैसे संबन्धित हितधारकों को सूचना का प्रचार–प्रसार और निर्यात अस्वीकृतियों को न्यूनतम करने और त्वरित अलर्ट करने के लिए उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना ।

ग) सरकार को कुशल निगरानी और की गई कार्रवाई की सूचना देने के लिए त्वरित अलर्ट और निर्यात

अस्वीकृतियों से निपटने के लिए एसओपी स्थापित किया गया ।

10.1.7 **इंडोनेशिया और रूस की खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं का अनुपालन**

क) इंडोनेशिया द्वारा लागू किए गए नये विनियम के बाद, एपीडा ने इंडोनेशिया को अंगूर और मूंगफली के निर्यात के लिए खाद्य सुरक्षा प्रणालियों के अनुमोदन का प्रस्ताव भेजा था। इंडोनेशिया ने एपीडा द्वारा मान्यताप्राप्त छह प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी है। 12 अतिरिक्त प्रयोगशालाओं का अनुमोदन का प्रस्ताव इंडोनेशियाई अधिकारियों के विचारधीन है।

ख) रूसी फेडरेशन को निर्यात के प्रमाणन के लिए गुणवत्ता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए 14 प्रयोगशालाओं के अनुमोदन का मामला रूसी अधिकारियों के साथ उठाया गया है।

11. उत्पाद श्रेणियों में विकासात्मक क्रियाकलाप:

11.1 बागवानी क्षेत्र

मार्किट एक्सेस मुद्दे:

मार्किट एक्सेस बनाने के लिए डीएसी, एनपीपीओ और संबंधित देशों में भारतीय दूतावासों/ उच्चायोगों से नियमित रूप से परस्पर बातचीत होती रही : –

अमेरीका

क) **आमः**– अमेरीका को आम के निर्यात के लिए देश में केवल लासलगांव, नासिक में एक ही विकिरण की सुविधा थी जहां से निर्यात किया जाता था। इसके लिए और अधिक सुविधाएं प्राप्त करने तथा यूएसडीए–एपीएचआईएस से अनुमोदित करने के प्रयास किए गए। एपीडा की वित्तीय सहायता से एमएसएएमबी द्वारा वाशी, नवी मुम्बई में एक सामान्य सुविधा स्थापित की गई। इस सुविधा की अंतिम लेखा परीक्षा का कार्य मार्च, 2016 में किया गया। आम के चालू मौसम में इस सुविधा से निर्यात में शुरू होगा। दूसरी सुविधा निजी क्षेत्र में बंगलौर इनोवा जैव पार्क में स्थापित की गई है और इस सुविधा लेखा परीक्षा यूएसडीए–एपीएचआईएस द्वारा 10.05.2016 को की जानी थी ।

ख) **अंगूरः**– अमेरीका को अंगूर के निर्यात के लिए मार्किट एक्सेस की कोशिश की गई। भारत पादप स्वास्थ्य की द्विपक्षीय बैठक 23–24 फरवरी, 2016 को आयोजित की गयी। उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यूएसडीए–एपीएचआईएस फसल के बाद संगरोध शमन के उपायों का प्रस्ताव करेगा। इस संबंध में यूएसडीए–एपीएचआईएस द्वारा प्रस्तावित किए गए फैसले के बाद संगरोध शमन उपायों में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय पौध संरक्षण संगठन से इस मामले को उठाया गया है।

ग) **अनारः**– अमेरीका को अनार के निर्यात के लिए मार्किट एक्सेस बनाने के मामले को अमरीका के साथ उठाया गया। भारत पादप स्वास्थ्य की द्विपक्षीय बैठक 23–24 फरवरी, 2016 को आयोजित की गई। यह निर्णय लिया गया कि एमओए एंड एफडब्ल्यू प्रस्तावित कार्य योजना पर एपीएचआईएस को लिखित टिप्पणियाँ उपलब्ध कराएगा। एपीएचआईएस विकिरण के लिए मंजूरी पूर्व परिचालन कार्य योजना की तुलना में, माल पहुँचने पर परिचालन कार्य योजना पर विकिरण में किए गए परिवर्तनों पर विचार करने के लिए सहमत हो गया। एपीएचआईएस ने यह स्पष्ट किया है कि संयुक्त राज्य अमरिका में अनार पहुँचने पर विकिरण का कार्य, परिचालन कार्य योजना पर समझौते और उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन शुरू हो सकता है। अमरीका को विकिरणित अनार का पहला परीक्षण शिपमेंट अप्रैल के महीने में वाशी, नवी मुंबई के विकिरण सुविधा केंद्र से निर्यात किए जाने की संभावना है।

चीन

क) **फल और सब्जियां:–** अभिनिर्धारित संभावित फलों और सब्जियों के मार्किट एक्सेस के लिए दिनांक 17.02.2016 को संयुक्त सचिव (पीपी) के साथ एक बैठक आयोजित की गई। चर्चा के दौरान, एनपीपीओ के अधिकारियों ने बताया कि इस समय वे अनार और चीकू पर गुणवत्ता पर्यवेक्षण, निरीक्षण और संगरोध पर सामान्य प्रशासन (एक्यूएसआईक्यू), द्वारा मांगी गई जानकारी संकलित कर रहे हैं और यह सूचना फरवरी, 2016 के अंत तक एक्यूएसआईक्यू को दी जाएगी। इस मामले का अनुवर्तन करने के लिए दिनांक 21.04.2016 का एक अर्ध शासकीय पत्र संयुक्त सचिव (पीपी) को भेज दिया गया है।

ऑस्ट्रेलिया

क) **आम:-** वाशी, लासलगाँव और बंगलौर में विकिरण की सुविधा के लिए आयोजित ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल के दौरे के लिए एनपीपीओ से मामले का अनुवर्तन किया गया था। प्रतिनिधिमंडल का दौरा अप्रैल 2016 के अंतिम सप्ताह में किया गया था।

ख) **अंगूर:-** ऑस्ट्रेलिया में अंगूर के बाजार तक पहुंच के लिए, एपीडा ने ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों से प्राप्त सूचना पर टिप्पणियाँ भेजने के लिए डीएसी और एनपीपीओ से मामले का अनुवर्तन किया। इस मामले को दिनांक 17.02.2016 को संयुक्त सचिव (पीपी) के साथ आयोजित बैठक में उठाया गया था और यह निर्णय लिया गया कि पौध संरक्षण संगरोध और भंडारण निदेशालय, फरीदाबाद ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों से प्राप्त सूचना पर अपनी टिप्पणियाँ जल्दी ही भेज देना ताकि कृषि खाद्य और मत्स्य विभाग को तदनुसार सूचित किया जा सके ।

दक्षिण अफ्रीका

क) **आम:-** एपीडा ने दक्षिण अफ्रीका के प्राधिकारियों से प्राप्त मसौदा पादप आयात अपेक्षाओं पर अपनी टिप्पणियां भेजने के लिए डीएसी और एनपीपीओ से मामले का अनुवर्तन किया। इस मामले को दिनांक 17.02.2016 को संयुक्त सचिव (पीपी) के साथ आयोजित बैठक में उठाया गया था जिसमें यह निर्णय लिया गया कि पौध संरक्षण संगरोध और भंडारण निदेशालय मार्च, 2016 के पहले सप्ताह में भारतीय आमों पर मसौदा पादप आयात अपेक्षाओं पर अपनी टिप्पणियाँ भेज देना।

ख) **अंगूर:-** एपीडा ने दक्षिण अफ्रीका के अधिकारियों द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी भेजने के लिए डीएसी और एनपीपीओ से मामले का अनुवर्तन किया। इस मामले पर दिनांक 17.02.2016 को संयुक्त सचिव (पीपी) की बैठक हुई। अपेक्षा के अनुसार दक्षिण अफ्रीका के अधिकारियों को अतिरिक्त जानकारी 28 मई, 2015 को भेज दी गई है।

दक्षिण कोरिया

क) **आम:-** एपीडा ने दिनांक 30.03.2016 को अंतिम मसौदा आयात नियमन पर अपनी टिप्पणियों एनपीपीओ को भेज दी हैं जिसकी एक–एक प्रति डीएसी और डीओसी को भेजी गई है। यह सुझाव दिया गया है कि भारत बगीचे और पैकिंग हाउस के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर सकता है और मंजूरी–पूर्व निरीक्षण की तैयारी भी कर सकता है।

न्यूजीलैंड

क) **अंगूर:-** एमपीआई, न्यूजीलैंड ने बाजार तक पहुंच की अनुमति प्रदान कर दी है बशर्ते कि कोल्ड ट्रांजिट ट्रीटमेंट द्वारा एसओ2 और सीओ2 साथ फ्यूमिगेशन ट्रीटमंट किया गया हो। इस संबंध में एपीडा ने एनआरसी ग्रेप्स, के माध्यम से सीआई पीएचईटी, लुधियाना में दिनांक 01.12.15 को एक बैठक की और चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि एनआरसी, ग्रेप्स द्वारा निधिकरण के लिए एक व्यापक प्रस्ताव एपीडा को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद एपीडा को दिनांक 28.12.2015 को एनआरसी से प्रस्ताव प्राप्त हुआ। तकनीकी समिति द्वारा 59.62 लाख रुपए की राशि के प्रस्ताव पर विचार करने की सिफारिश की गई और प्रस्ताव को परियोजना आरंभ करने के लिए आवश्यक मंजूरी लेने के लिए एपीडा प्राधिकरण की 87वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया। इस बारे में समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए।

ख) **आम:-** एपीडा ने न्यूजीलैंड, नई दिल्ली के उच्चायोग के साथ और एनपीपीओ के द्वारा तिरुपति में वीएचटी सुविधा साथ तकनीकी प्रतिनिधिमंडल के दौरे की सहमति प्राप्त की। यह दौरा शीघ्र ही किया जाएगा ।

जापान

क) **अंगूर:-** जापान ने फल पर मक्खी प्रकोप पर अपनी चिंता व्यक्त की है। इस संबंध में, इस मामले को तकनीकी दृष्टिकोण से अपनी टिप्पणी भेजने के एनआरसी, ग्रेप्स के साथ उठाया गया है ताकि इस मामले को आगे बढ़ाया जा सके ।

वियतनाम

क) **अंगूर:-** एपीडा ने वियतनाम के अधिकारियों द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सूचना पर अपनी टिप्पणियां भेजने के लिए एनपीपीओ के साथ इस मामले को उठाया है। इस संबंध में दिनांक 17.03.2016 को संयुक्त सचिव (पीपी) को एक पत्र भेजा गया था। एनपीपीओ ने यह सूचित किया है कि वे इस मामले की जांच कर रहे हैं और सूचना शीघ्र ही भेज दी जाएगी ।

11.2 निम्नलिखित देशों के लिए मार्किट एक्सेस (प्रतिबंध हटाने सहित) :

क) **मॉरीशस को आम का निर्यातः**— मॉरीशस को आम के निर्यात की बाजार तक पहुंच बनाने के लिए निरंतर प्रयासों के बाद पिछले वर्ष बाजार तक पहुंच बनाई जा सकी। पहली बार मॉरीशस को 2.15 मीट्रिक टन आम का निर्यात किया गया।

ख) **कनाडा को अंगूर (ट्रायल शिपमेंट), केला, भिंडी, अखरोट और बैंगन का निर्यात):**— निर्यातकों द्वारा उत्पाद का विपणन और निर्यात करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

ग) **सऊदी अरब में हरी मिर्च के निर्यात के लिए प्रतिबंध हटाया जानाः**— सऊदी अरब ने उत्पाद में अधिक कीटनाशक पाये जाने के कारण हरी मिर्च के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। 5 संभावित सब्जियों अर्थात करेला, कढ़ी पत्ता, बैंगन, सहजन की फली और हरी मिर्च के निर्यात के लिए आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए एक एसओपी तैयार किया गया और इसे क्रियान्वित किया गया। भारतीय दूतावास के माध्यम से सऊदी अरब के संबन्धित प्राधिकारियों से उनकी टिप्पणियों, जिनकी वजह से प्रतिबंध लगाया गया था, को ध्यान में रखते हुए किए गए समग्र सुधारों सत्यापन करने के मामले को उठाया गया । प्रतिनिधिमंडल ने 23.10.2015 से 30.10.2015 तक दौरा किया और किए गए सुधारों के प्रति संतोष व्यक्त किया। यह प्रतिबंध 28.01.2016 को हटा लिया गया ।

घ) **दक्षिण कोरिया को कच्चे केले और छिले हुए अखरोट का निर्यातः**— इसके लिए मार्किट एक्सेस मिल गया है। वर्ष 2007 में, जापान को आम के निर्यात के लिए मार्किट एक्सेस बनाने के ठोस प्रयास किए गए और बाजार के खुलने के बाद बहुत अधिक निर्यात नहीं हो सका। जापान का बाजार पिछले साल ही फिर खुला और जापान को 14 लाख टन की मात्रा का निर्यात किया गया। तिरुपति, आंध्र प्रदेश और सहारनपुर, उत्तर प्रदेश एवं नासिक में जापान के सामान्य वीएचटी सुविधाओं के दो इंस्पेक्टरों की तैनाती करने के लिए एमएएफएफ से अनुरोध किया गया। उपर्युक्त सुविधाएं मिलने पर अगले मौसम में निर्यातकों ने जापान को आम का निर्यात करने का कार्य आरंभ किया ।

ताजे फलों और सब्जियों के निर्यात को बढ़ाने के लिए एपीडा के प्रयास

आमों की प्रौसेसिंग के लिए गोरेगांव, मुम्बई में हॉट वॉटर ट्रीटमेंट (एचडब्ल्यूटी) की सुविधाः पिछले साल निर्यात के लिए आमों की प्रौसेसिंग के लिए गोरेगांव, मुम्बई में हॉट वॉटर ट्रीटमेंट (एचडब्ल्यूटी) की सुविधा के साथ सामान्य बुनियादी सुविधाएं स्थापित की गईं। चूंकि मुंबई में एचडब्ल्यूटी सुविधा नहीं थी और यूरोपीय संघ के लिए आमों के निर्यात किया जाना था, एपीडा द्वारा एमएसएएमबी को उक्त सुविधा की मंजूरी दी गई और इसे 5 महीने की अवधि में स्थापित किया गया। इस सुविधा से यूरोपीय संघ के देशों को 320 लाख टन आमों का निर्यात किया गया। इस सुविधा से पिछले साल में अनेक निर्यातक यूरोपीय संघ के देशों को आमों का निर्यात कर सके ।

आम और भिंडी के लिए मॉड्यूल विकसित करना और होर्टिनेट ट्रेसेबिलिटी सिस्टम के अधीन आंशिक रूप से कार्यान्वित करनाः— यूरोपीय संघ द्वारा आम और चार सब्जियों पर लगाए प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए संबंधित हितधारकों के साथ आपूर्ति श्रृंखला को व्यवस्थित करनें के प्रयास किए गए, जिनमें से ऑनलाइन होर्टिनेट ट्रेसबिलिटी सिस्टम के अधीन आम और भिंडी के लिए मॉड्यूल का विकास और कार्यान्वयन करने का प्रयास भी था ।

सिंगापुर, बेहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के बाजारों में नागपुर से संतरे के 3 ट्रायल शिपमेंट भेजे गए। नागपुर के संतरों की स्वीकार्यता के लिए, नागपुर में एक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सभी हितधारक शामिल हुए। निर्यातकों को छोटे ट्रायल शिपमेंट भेजने के लिए मनाया गया। इस कार्य के लिए तीन निर्यातक आगे आए और उन्होंने सिंगापुर, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात में ट्रायल शिपमेंट भेजे ।

मैसर्स महिंद्राशुभलाभ सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई द्वारा कनाडा को अंगूरों का ट्रायल शिपमेंट सफलता पूर्वक भेजा गया। कनाडा में अंगूर की मार्किट एक्सेस बनाने के बाद, एपीडा ने निर्यातकों को ट्रायल शिपमेंट भेजने के लिए मनाया। दो निर्यातकों महिंद्रा शुभलाभ और यूरो फ्रूट्स ने नए आयातकों से

कार्य आदेश प्राप्त किया। केवल महिंद्रा शुभलाभ ही ट्रायल शिपमेंट सफलतापूर्वक भेज जा सका। यूरो फ्रूट्स अपने खरीदार के साथ वाणिज्यिक सौदे को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण यह कार्य नहीं कर पाया । भारतीय पैकेजिंग संस्थान के माध्यम से **ताजा फलों और सब्जियों के लिए पैकेजिंग मानकों के विकास पर एक परियोजना** बनाई गई। व्यापार से प्राप्त सूचना के अनुसार, एपीडा ने इस परियोजना का कार्य आईआईपी को दिया और अभिनिर्धारित फलों और सब्जियों के मानक विकसित किए गए और इन्हें एपीडा की वेबसाइट पर डाला गया।

ताजा फल और सब्जियों के क्षेत्र में निर्यातकों के साथ आउटरीच प्रोग्राम/कार्यशाला/परस्पर बातचीत के लिए बैठक आयोजित की गई। एपीडा के क्रियाकलापों और इसकी योजनाओं से संबंधित जानकारी के प्रसार के लिए और निर्यात प्रक्रिया की बाधाओं का पता लगाने के लिए मुद्दों/अवरोधों/बाधाओं की जानकारी के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किए गए। संबंधित विभागों के साथ यह कार्यक्रम आयोजित होने से इन मुद्दों का समाधान हो गया।

अभिनिर्धारित फलों और सब्जियों के लिए फसल की कटाई के बाद मैनुअल्स तैयार किए गए। 6 फलों (आम, अनार, अनानास, पपीता, केला और मूंगफली) और 8 सब्जियों (भिंडी, हरी मिर्च, करेला, बैंगन, करी पत्ता, सहजन की फली, लाल प्याज और पान के पत्ते) के लिए फसल की कटाई के बाद मैनुअल तैयार किया गया और मुद्रित कराया जा रहा है। इन मैनुअल्स को तैयार करने का उद्देश्य आयातक देशों की आवश्यकता के अनुसार निर्यातोन्मुख उत्पादन करने के लिए किसानों के साथ काम करने हेतु निर्यातकों को आवश्यक जानकारी प्रदान करना है।

अलफांसो और केसर आमों के लिए **हॉट वॉटर डिप ट्रीटमेंट के लिए प्रोटोकॉल का विकास** करने का कार्य डॉ. बी. एस. केके वी दापोली (रत्नागिरी) और एमएसएएमबी पुणे, (महाराष्ट्र) को सौंपा गया। यह परियोजना निर्यातकों से प्राप्त सूचना की एनपीपीओ का मौजूदा प्रोटोकॉल अलफांसो और केसर किस्म के आमों के पतले छिलके के लिए उपयुक्त नहीं है और आयातक देश में माल पहुँचने पर उत्पाद की शैल्फ लाइफ और गुणवत्ता प्रभावित होगी, के आधार पर दी गई परियोजना पूरी हो गई और प्रोटोकॉल में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए इसकी रिपोर्ट एनपीपीओ के पास भेजी गई ।

अंगूर के निर्यात के लिए 26 निर्यातकों को **प्रयोगशाला परीक्षण के लिए वित्तीय सहायता** प्रदान की गई ।

फलों और सब्जियों का निर्यात करने के लिए 100 निर्यातकों को पैकिंग के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई ।

बागवानी उत्पादों के 67 पैकहाउसों के लिए **पैकहाउस मान्यता प्रमाणपत्र** जारी किए गए ।

कृषि उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में निर्यातकों को पेश आ रही कठिनाइयों का पता लगाने के अध्ययन का कार्य येस बैंक को सौंपा गया ताकि निर्यातकों की उपज के निर्यात के लिए परिचालन और कार्यात्मक स्तर में उनके समक्ष आ रहे अवरोधों और बाधाओं का पता लगाया जा सके ।

भटवारी, उत्तरकाशी में नियंत्रित वातावरण भंडार की स्थापना: एपीडा ने भटवारी, उत्तरकाशी, उत्तराखंड में सेब के लिए नियंत्रित वातावरण कोल्ड स्टोर की स्थापना के लिए बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखंड सरकार से 29.05.2015 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना की कुल लागत 746.53 लाख रुपये है, जिसमें एपीडा का योगदान 687.46 लाख रुपये होगा।

भारत में प्रतिनिधिमंडल का दौरा:

- **कनाडा के खाद्य निरीक्षण प्राधिकरण (सीएफआईए) के प्रतिनिधिमंडल द्वारा भारत का दौरा:** सीएफएआई के प्रतिनिधिमंडल ने 24 से 28 अप्रैल 2015 के दौरान भारत का दौरा किया । उन्होंने यह पुष्टि की है कि कनाडा में आम, केला, अखरोट, बैंगन और भिंडी जैसे उष्णकटिबंधीय फलों और सब्जियों के निर्यात के लिए पीआरए आवश्यक नहीं है। अंगूर के लिए बाजार में पहुंच बनाने के मामले में, सीएफएआई ने सिद्धांत रूप में कुछ शर्तों पर सहमति प्रदान की, जिसे भारतीय पक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया गया। सीएफएआई के प्रतिनिधिमंडलों को एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर वेब आधारित प्रणाली ग्रेपनेट के बारे में बताया गया, जिसकी सराहना की गई ।
- **दक्षिण कोरिया के संगरोध विशेषज्ञ ने भारत द्वारा अपनाई गई निर्यात प्रमाणन प्रणाली की सराहना की:** दक्षिण कोरिया के पशु और पादप संगरोध प्राधिकरण ने 11 से 15 मई, 2015 को भारत का दौरा किया। उन्होंने कीटनाशन रहित आम के निर्यात के लिए अपनाई गई प्रणाली पर संतोष व्यक्त किया। इसके बाद,संयुक्त सचिव (पौध संरक्षण) की अध्यक्षता में कृषि मंत्रालय, कृषि भवन में एक द्विपक्षीय बैठक भी आयोजित की गई ।

दक्षिण कोरिया के पशु और पादप संगरोध प्राधिकरण ने दक्षिण कोरिया में आम के निर्यात का कार्य आरंभ करने के लिए अनुमोदित पैक हाउसों की सूची और अन्य जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया ।

- **भारतीय आमों के लिए आयात का परमिट जारी करने के लिए भारतीय निर्यात प्रमाणन प्रणाली का समर्थन करने के लिए मॉरीशस के प्रतिनिधिमंडल का दौरा:**

  भारतीय निर्यात प्रमाणीकरण की प्रणाली का समर्थन करने और आम के बगीचे में अपनाई जाने वाली पैकेज प्रणालियों का मूल्यांकन करने के लिए मॉरीशस से दो सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया। भारतीय प्रणाली का मूल्यांकन करने के बाद प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय प्रणाली और आम के बगीचे में अपनाई जाने वाली पद्धतियों के प्रति संतोष व्यक्त किया। मॉरीशस ने भारतीय आमों के लिए तुरंत आयात परमिट जारी करने शुरू कर दिये।

- **सऊदी अरब के प्रतिनिधि मंडल का भारत में दौरा:**

  भारत से हरी मिर्च के आयात पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध के संबंध में सऊदी अरब से एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया। एपीडा के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय में 26 अक्टूबर 2015 को एक आयोजित बैठक की गई, जिसमें एपीडा, एनपीपीओ के अधिकारियों, राज्य सरकार की एजेंसी, प्रयोगशाला के प्रतिनिधियों और निर्यातकों ने भाग लिया। प्रतिनिधिमंडल को एपीडा के क्रियाकलापों और नियंत्रण प्रणाली के बारे में बताया गया ।

  प्रतिनिधिमंडल ने निम्नलिखित सुविधाओं का भी अवलोकन किया:

  क) महाराष्ट्र में एपीडा के अनुमोदित पैकहाउस।

  ख) पुणे में एपीडा की अनुमोदित प्रयोगशाला।

  ग) पुणे में स्थित एनआरसी, ग्रेप्स की राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशाला।

  घ) निफाद, नासिक में हरी मिर्च का खेत।

  क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई में दिनांक 29 अक्तूबर, 2015 को समापन बैठक का आयोजन किया गया। सब्जियों के निर्यात के लिए विस्तृत प्रक्रिया की एक प्रति प्रतिनिधि मंडल को सौंपी गई।

  ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधिमंडल का भारत में दौरा:

  ऑस्ट्रेलिया में अंगूर के बाजार तक पहुंच बनाने पर चर्चा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के एक प्रतिनिधिमंडल ने 16 से 21 नवम्बर, 2015 को भारत का दौरा किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगरोध कीटनाशक पर चर्चा करना था। 19 नवम्बर, 2015 को प्रतिनिधिमंडल ने नासिक स्थित एपीडा अनुमोदित पैकहाउस और अंगूर के तीन पंजीकृत बागों का दौरा किया। 20 नवम्बर 2015 को, प्रतिनिधिमंडल ने वाशी, एमएसएएमबी में एपीडा द्वारा निधिकृत सब्जी प्रसंस्करण सुविधा के सामान्य बुनियादी ढांचे का दौरा किया। प्रतिनिधियों को सब्जियों के प्रसंस्करण और पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। उसी दिन, एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई में समापन बैठक आयोजित की गई। यूरोपीय संघ को अंगूर के निर्यात के लिए एपीडा द्वारा कार्यान्वित ग्रेप नेट ट्रेसेबिलिटी सिस्टम पर डॉ. सुधांशु द्वारा एक विस्तृत प्रतिवेदन दिया गया। डॉ (सुश्री) बुसकोर्न म्पेलासोका ने यात्रा के आयोजन के लिए डीएसी, एनपीपीओ और एपीडा को धन्यवाद दिया और अंगूर के निर्यात के लिए आपूर्ति श्रृंखला का अनुवर्तन करने के लिए भारत द्वारा अपनाए गए ट्रेसेबिलिटी सिस्टम की सराहना की और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय अंगूर के लिए बाजार तक पहुंच बनाने की संभावना का पता लगाया।

11.3 पशुधन क्षेत्र

11.3.1 मीट-नेट के द्वारा मांस निर्यात कार्यकलाप

एपीडा ने एपीडा द्वारा अनुमोदित क्षमताओं के भीतर गुणवत्ता मांस का उत्पादन करने वाले एकीकृत मांस संयंत्रों से निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए अपनी पंजीकृत इकाइयों में एक मीट-नेट सॉफ्टवेयर विकसित किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एपीडा के साथ पंजीकृत इकाइयां अपनी निर्यात खेप के लिए ऑनलाइन पशु स्वास्थ्य प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकती हैं। एपीडा के पंजीकृत मांस संयंत्रों के प्रत्येक स्रोत से प्राप्त अनुरोध पर ऑनलाइन सिस्टम की मार्फत कार्यवाही की जाती है ताकि मांस के स्रोतीकरण, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए समग्र ट्रेसेबिलिटी का रखरखाव किया जा सके।

इस प्रणाली के माध्यम से पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मीट-नेट सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए भारतीय मांस निर्यातकों को राजी करने के कड़े प्रयास किए गए। राज्य सरकारों ने प्रयोक्ता के अनुकूल मीट-नेट सॉफ्टवेयर के बारे में बताने के लिए राज्य के पशुपालन अधिकारियों व दिल्ली उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, नागालैंड और पश्चिम बंगाल के निर्यातकों सहित

विभिन्न हितधारकों को वर्ष के दौरान प्रशिक्षण दिया। अप्रैल 2015 से, सभी एकीकृत मांस संयंत्र अब पशु स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करवाने के लिए मीट-नेट सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं।

11.3.2 डेयरी, मुर्गी–पालन और शहद क्षेत्र के कार्यकलाप :

पिछले एक साल के दौरान प्रस्तुत विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए डेयरी, मुर्गी पालन और शहद के निर्यातक एपीडा के साथ निरंतर परस्पर बातचीत करते रहे। एपीडा शहद के निर्यात को सरल बनाने के लिए मानक संचालन पद्धतियां (एसओपी) विकसित करने का प्रयास कर रही है जिसमें शहद की खरीद, परीक्षण, प्रसंस्करण और निर्यात प्रमाणीकरण शामिल है।

डेयरी उत्पादों के लिए, एपीडा ने ईआईसी के सहयोग से रूस के साथ भारतीय डेयरी उत्पादों के मार्किट एक्सेस के मामले को उठाया है। इसी तरह, पड़ोसी देशों में दूध और दूध के उत्पादों के निर्यात के लिए सहमति दी गई है। बांग्लादेश की पेट्रापोल की भूमि बंदरगाह से डेयरी उत्पादों के निर्यात पर सहमति हो गई।

11.3.3 मांस संयंत्रों का पंजीकरण

वर्ष 2015–16 में लगभग 70 मांस संयंत्रों को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए थे।

तुलनात्मक निर्यात कार्य–निष्पादन

मूल्य लाख रुपये व मिलियन अमरीकी डॉलर में

2014-15			2015-16			% वृद्धि/ कमी
मात्रा	लाख रुपए	मिलियन अमरीकी डॉलर	मात्रा	लाख रुपए	मिलियन अमरीकी डॉलर	
14,75,526.00	29,28,258.19	4,781.16	13,14,158.05	26,68,155.53	4,068.64	-8.8%

11.3.4 मार्किट एक्सेस समस्याएं एवं तत्संबंधी उपाय

प्रतिनिधिमंडलों का दौरा:-

- **फिलीपींस**

राष्ट्रीय मांस और निरीक्षण सेवा (एनएमआईएस) के एक तकनीकी प्रतिनिधिमंडल ने पांच एकीकृत मांस संयंत्रों का निरीक्षण करने के लिए मई 2015 में भारत का दौरा किया। उनके द्वारा की गई टिप्पणियों का इन संयंत्रों द्वारा अनुपालन करने पर, उन सभी को फिलीपींस के लिए फ्रीज किए गए भैंस के मांस के निर्यात के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया। एनएमआईएस के निरीक्षण दल ने अनुमोदन के लिए नौ और अधिक एकीकृत मांस संयंत्रों का निरीक्षण करने के लिए मार्च, 2016 में दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने आरंभिक व समापन बैठक के दौरान एपीडा और पशुपालन विभाग के साथ परस्पर बातचीत की ।

- **इंडोनेशिया**

इंडोनेशिया में भारतीय गोजातीय मांस के मार्किट एक्सेस बनाने के मामले को एपीडा, वाणिज्य मंत्रालय और भारतीय मांस उद्योगों द्वारा उठाया जा रहा है। वर्ष के दौरान इंडोनेशिया में भारतीय मांस मार्किट एक्सेस बनाने के लिए दो

प्रतिनिधिमंडलों के दौरों की व्यवस्था की गई। अगस्त 2015 में, वाणिज्य मंत्रालय और एपीडा के एक प्रतिनिधिमंडल ने इंडोनेशिया के कृषि मंत्रालय के साथ फ्रीज किए गए भारतीय भैंस के मांस की बाजार तक पहुंच बनाने के लिए चर्चा करने और उन्हें राजी करने के लिए जकार्ता, इंडोनेशिया का दौरा किया। इंडोनेशिया के पास अत्यधिक व्यापार अधिशेष है। भारत के लगभग 4 बिलियन अमरीकी डॉलर के निर्यात की तुलना में, इंडोनेशिया का निर्यात लगभग 11 बिलियन अमरीकी डॉलर है।

व्यापार संतुलन को कम करने के लिए वर्ष के दौरान भारत ने मार्किट एक्सेस के लिए एक अति महत्वाकांक्षी अभियान चलाया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल की इस यात्रा के परिणामस्वरूप अगस्त 2015 में, इंडोनेशिया एफएमडी नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए एक तकनीकी दल भेजने पर सहमत हो गया। भारत की एफएमडी नियंत्रण कार्यक्रम प्रणाली की समीक्षा करने के लिए इंडोनेशिया के तकनीकी दल ने अक्टूबर 2015 के दौरान भारत का दौरा किया। एपीडा और पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने इंडोनेशिया को इस बात के लिए राजी करा लिया कि भारत ओआईसी के अनुसार एफएमडी नियंत्रण के मानदंडों का अनुपालन करता है। इस दल ने मुक्तेश्वर में एफएमडी निदेशालय का दौरा किया, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब और उत्तर प्रदेश में राज्य पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। उन्होंने भारतीय एफएमडी नियंत्रण कार्यक्रम के सत्यापन के लिए पशु बाजार और संगरोध स्टेशनों का भी दौरा किया।

भारत द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर, इंडोनेशिया के अधिकारियों ने जोखिम विश्लेषण का कार्य भी किया जिसके सकारात्मक परिणाम हुए ।

- **पशु चिकित्सा सेवा विभाग (डीवीएस), मलेशिया का प्रतिनिधिमंडल**

मलेशिया में मांस के निर्यात के अनुमोदन के लिए अक्टूबर 2015 में 15 सदस्यों वाले सुदृढ़ लेखा परीक्षा दल ने 23 एकीकृत मांस संयंत्रों का निरीक्षण करने के लिए भारत का दौरा किया। आरंभिक बैठक में एपीडा और पशुपालन विभाग जैसे सरकारी अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया। प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और तेलंगाना में स्थित प्रतिष्ठानों का दौरा किया। डीवीएस की टिप्पणियों के अनुपालन के बाद डीवीएस द्वारा केवल सात एकीकृत मांस संयंत्रों को मंजूरी दी गई। शेष संयंत्रों के अनुमोदन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

- **रूस**

पशु और पादप निगरानी के लिए संघीय सेवा (एफएसवीपीएस) के चार सदस्यों वाले एक निरिक्षण दल ने अप्रैल 2015 में अनुमोदन हेतु अतिरिक्त छह एकीकृत मांस संयंत्रों के निरीक्षण के लिए भारत का दौरा किया।

इसी तरह, निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) के सहयोग से रूस में डेयरी उत्पादों के लिए बाजार खोलने के प्रयास किए गए। वाणिज्य मंत्रालय, एपीडा, ईआईसी, डेयरी उत्पाद के निर्यातकों का भारतीय प्रतिनिधिमंडल, डेयरी उत्पादों के निर्यात के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में आ रही बाधाओं पर चर्चा करने के लिए दुबई में गल्फ फूड 2015 की तर्ज पर विशेष रूप से एफएसवीपीएस के अधिकारियों से मिले।

- **चीन**

भारत सरकार के निमंत्रण पर, एक्यूएसआईक्यू (चीन की पीपुल्स गणराज्य के गुणवत्ता पर्यवेक्षण, निरीक्षण और संगरोध सामान्य प्रशासन) के पांच तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम ने भारत द्वारा किए गए एफएमडी नियंत्रण के उपायों की निगरानी के लिए अक्टूबर 2015 में भारत का दौरा किया। आरंभिक बैठक के दौरान प्रतिनिधियों को भारतीय मांस की गुणवत्ता, एफएमडी नियंत्रण कार्यक्रम और मांस प्रसंस्करण के लिए आधुनिक बुनियादी सुविधाओं पर एक व्यापक प्रस्तुतिकरण दिया गया। इस के दौरान पशुपालन विभाग के अधिकारियों और एक्यूएसआईक्यू के प्रतिनिधिमंडल के साथ विचार–विमर्श की भी व्यवस्था की गई। विशेषज्ञों के दल ने मुक्तेश्वर में एफएमडी निदेशालय दिल्ली में संगरोध स्टेशन पशु फार्म, पशुधन बाजार का दौरा किया और महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के राज्य पशुपालन विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। बैठक में यह सूचित किया गया कि भारतीय एफएमडी नियंत्रण कार्यक्रम को मई 2015 में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (ओआईई) द्वारा मान्यता प्राप्त है और भारत मांस के उत्पादन और निर्यात के लिए ओआईई के दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है।

11.4 अनाज क्षेत्र

11.4.1 जीआई के रूप में बासमती चावल की पंजीकरण

भारत सरकार द्वारा एपीडा को बासमती चावल में निहित बौद्धिक सम्पदा के संरक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नवम्बर 2008 में एपीडा द्वारा दायर किए गए आवेदन के आधार पर, जीआई रजिस्ट्री, चेन्नई ने एक भौगोलिक संकेतक (जीआई) के रूप में बासमती चावल के पंजीकरण के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया है।

11.4.2 बासमती चावल के ठेकों का पंजीकरण

एपीडा के साथ शिपमेंट से पहले ठेके के पंजीकरण के साथ बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी जाती है।

अप्रैल–मार्च 2015–16 के दौरान, लगभग 40.16 लाख मीट्रिक टन के निर्यात के ठेकों का पंजीकरण किया गया।

जुलाई, 2015 से ठेके के पंजीकरण ऑनलाइन कर दिया गया है। निर्यातकों द्वारा ठेकों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अपेक्षित है और पंजीकरण व आबंटन प्रमाणपत्र (आरसीएसी) भी ऑनलाइन जारी किए जाते हैं ।

11.4.3 बासमती उत्पादक राज्यों के किसानों के लिए बासमती निर्यात विकास फाउंडेशन (बीईडीएफ) के माध्यम से आयोजित कार्यशालाएं

वर्ष के दौरान, बासमती निर्यात विकास फाउंडेशन द्वारा निर्यात के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बासमती चावल के उत्पादन के लिए किसानों में जागरुकता बढ़ाने के लिए, बासमती उत्पादक राज्यों जैसे जम्मू व कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अपने प्रदर्शन और प्रशिक्षण फार्म की मार्फत "निर्यात के लिए बासमती चावल के उत्पादन में गुणवत्ता सुधार" पर 16 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। ये कार्यशालाएं संबंधित राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ के सहयोग से आयोजित की गईं ।

11.4.4 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में बासमती चावल को बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित करना

अधिकांश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, जिनमें एपीडा भाग लेता है, बासमती चावल को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया जाता है। वर्ष के दौरान अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ के साथ निम्नलिखित विशेष प्रोत्साहन प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया :-

- ईरान फूड एंड होस्पिटेलिटी शो तेहरान ईरान, 30 मई - 02 जून 2016
- गल्फ फूड, संयुक्त अरब अमीरात फरवरी, 2017

11.4.5 चीनी के आयात के लिए ठेकों का पंजीकरण

अध्याय 17 के अधीन चीनी के आयात के लिए विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) में निहित प्रावधानों के अनुसार कच्ची और परिष्कृत चीनी के सभी आयात पंजीकृत होते हैं। वर्ष के दौरान एपीडा द्वारा कच्ची/सफेद/परिष्कृत चीनी के आयात के लिए 39 ठेकों का पंजीकरण किया गया।

11.4.6 टीआरक्यू के अन्तर्गत अमरीका को चीनी के निर्यात के लिए कोटे का आबंटन

डीजीएफटी की दिनांक 20 अप्रैल 2015 की अधिसूचना सं. 3/2015–2020 के अनुसार, अमेरीका को चीनी के निर्यात के लिए टीआरक्यू समय–समय पर डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित मात्रा के अनुसार एपीडा द्वारा संचालित किया जाता है। 30 सितंबर, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए डीजीएफटी द्वारा चीनी का कोटा 8424 मीट्रिक टन अधिसूचित किया गया था और यह एपीडा द्वारा व्यापार सूचना के मद्दे बिडर्स को आबंटित किया गया। डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित 2095 मीट्रिक टन की अतिरिक्त मात्रा के मद्दे 200 मीट्रिक टन की अतिरिक्त मात्रा आबंटित की गई। अक्टूबर 2015 के दौरान डीजीएफटी द्वारा चीनी के निर्यात के लिए वर्ष 2015–16 हेतु 8424 मीट्रिक टन का कोटा अधिसूचित किया गया था जिसे व्यापार सूचना के माध्यम से आमंत्रित आवेदनों के मद्दे आबंटित कर दिया गया ।

11.4.7 बीईडीएफ लैब का प्रत्यायन

एपीडा द्वारा स्थापित वर्ष 2002 में समिति के रूप में पंजीकृत बासमती चावल विकास फाउंडेशन (बीईडीएफ)

उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के साथ आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने के लिए विविध हितधारकों जैसे किसानों, व्यापारियों, मिल मालिकों और व्यापारी निर्यातकों के बीच एकीकरण क्रियाकलाप अनिवार्य रूप से करवाती है।

बासमती चावल के गुणवत्ता आश्वासन और प्रमाणीकरण के लिए एसवीबीपी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ (उत्तर प्रदेश) के परिसर में विश्व स्तरीय एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है जिसमें डीएनए प्रोफाइलिंग, कीटनाशकों के अवशेषों और प्रत्यक्ष मापदंडों के आधार पर गुणवत्ता परीक्षण की सुविधाएं हैं। इस प्रयोगशाला को डीजीएफटी द्वारा अधिकृत केंद्र के रूप में अधिसूचित किया गया है जिसमें सीमा शुल्क द्वारा आहरित बासमती चावल के नमूने की किस्म पहचान और डीएनए परीक्षण किया जाता है। इस प्रयोगशाला ने अब कीटनाशकों के अवशेष और भारी धातुओं के परीक्षण के लिए एनएबीएल से मान्यता के लिए आवेदन किया है।

इस प्रयोगशाला को परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से आईएसओ / आईईसी 17025:2005 के अधीन मान्यता प्राप्त है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक केंद्र (सीडीएफडी), हैदराबाद द्वारा डीएनए परीक्षण के लिए बासमती विकास निधि से भी समर्थन प्राप्त है।

11.5 खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र

11.5.1 भारत से मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आईएलएंडएफएस अध्ययन :

भारत से मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात में वृद्धि के लिए अध्ययन पर आईएल एंड एफएस द्वारा 2015 के दौरान एक अध्ययन किया गया। बागवानी व्यापार आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित इस अध्ययन ने संभावित मूल्य वर्धित उत्पादों के रूप में बिस्कुट, निर्जलित प्याज और लहसुन, फलों के रस और कनसेंट्रेट, साबूदाना और मक्का स्टार्च, फ्रीज किए गए मटर और सब्जियों, सूखे आलू (लैक्स, पेलेट्स, पाउडर), अंगूर की शराब, सॉस और मसालों, पापड़, रेडी टू ईट भारतीय उत्पाद, जैम, जेली और मुरब्बे, चीनी आधारित मिष्ठानों का अभिनिर्धारण किया है। इस रिपोर्ट में बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में आईसीडी की स्थापना जैसी कुछ बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकताओं तथा कुछ अन्य राज्यों में कंटेनर फ्रेट स्टेशन की सिफारिश की है।

अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, बेल्जियम, नीदरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया और स्पेन जैसे देशों की लक्ष्य देशों के रूप में पहचान की गई है। एपीडा इन सिफारिशों के आधार पर ठोस रोड मैप बनाने और मूल्य वर्धित वस्तुओं के निर्यात को स्केलिंग के लिए सभी हितधारकों के साथ इस पर विचार–विमर्श करने का काम कर रहा है। निर्यात बढ़ाने के लिए इसे एक महत्वपूर्ण क्षेत्र मानते हुए, एपीडा ने इस दिशा में पहले से ही कुछ कदम उठाए हैं।

11.5.2 मूंगफली:

वाणिज्य विभाग के निर्देश के अनुसार मूंगफली की इकाइयों की मान्यता और निर्यात का प्रमाणपत्र जारी करने का काम 1.4.2015 से एपीडा के पास था। जुलाई, 2015 में, निर्यात का प्रमाणपत्र जारी करने का कार्य डिजिटल हस्ताक्षर के साथ ऑनलाइन कर दिया गया था। व्यापार द्वारा भी इसे भली भांति स्वीकार कर लिया गया

वियतनाम ने दिनांक 6.4.2015 से भारत से मूंगफली के आयात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया था। इस दिशा में किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप वियतनाम सरकार के पौध संरक्षण विभाग (पीपीडी) से 5 सदस्यों वाले एक प्रतिनिधिमंडल ने दिसंबर, 2015 के शुरुआत में स्थल पर सुविधाओं/प्रयोगशालाओं के निरीक्षण के लिए भारत

का दौरा किया। भारतीय दूतावास और कृषि मंत्रालय के साथ निरंतर अनुवर्तन करने के फलस्वरूप वियतनाम द्वारा 18 जनवरी, 2016 को अंततः प्रतिबंध हटा लिया गया ।

मूंगफली के निर्यात के लिए 170 इकाइयों का पंजीकरण किया गया और निष्क्रिय इकाइयों का शीघ्रता से अनुवर्तन किया गया ।

मूंगफली इकाइयों के लिए 3 प्रशिक्षण सह जागरुकता कार्यक्रम राजकोट, गुजरात और चित्रदुर्ग, कर्नाटक और चेन्नई में आयोजित किए गए। व्यापार से उत्पन्न सुझाव नोट किए गए और इस पर कार्रवाही शुरु की गई ।

11.5.3 भारत से भुने हुए चने के निर्यात से प्रतिबंध हटानाः

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के अधीन आरंभ में दालों के निर्यात (आईटीसी (एचएस) कोड 0713) को शुरु में दिनांक 27.06.2006 से निषिद्ध किया गया था और यह निषेध समय–समय पर बढ़ाया गया। यह भुने हुए चने के निर्यात पर भी लागू है, जो एक प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद है ।

एपीडा और भारतीय मसाला और खाद्य पदार्थ निर्यातक संघ (आईएसएफईए) के प्रयासों से, डीजीएफटी ने क्रमशः 20 जनवरी, 2016 और 15 फरवरी, 2016 की अधिसूचना सं० 31/2015–20 और 40/2015–20 के द्वारा दालों की निर्यात नीति में संशोधन जारी किए हैं और 1 (एक) किलो के उपभोक्ता पैक में भुने हुए चने (साबुत/आधा) के निर्यात प्रतिबंध से छूट दी गई ।

11.6 गुणवत्ता विकासः

एपीडा ने प्रसंस्कृत खाद्य के क्षेत्र में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के उपयोग का प्रयास किया है। निर्यातकों के लाभ के लिए इन–हाउस गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वित्तीय सहायता,

बीआरसी, आईएसओ:22000, एचएसीसीपी आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन का कार्य वर्ष 2015–16 (बारहवीं पंचवर्षीय योजना) में भी किया जाता रहा ।

इस योजना के अन्तर्गत ग्वार गम, र्निजलित सब्जियों, प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों और फ्रीज किए गए अन्य खाद्य प्रसंस्कृत पदार्थों, आरटीई उत्पादों, बेकरी, मिठाइयों के निर्यातक मुख्य हितोपभोगी थे।

11.6.1 **नीतिगत पीपीपी परियोजना के द्वारा भारत से सोर्गम और बीज का निर्यात बढ़ाने के लिए ब्रेन स्टोर्मिंग सत्र:**

नीतिगत पीपीपी परियोजना के द्वारा भारत से सोर्गम और बीज के निर्यात और सोर्गम और बीज के निर्यात की विक्रेयता बढ़ाने के लिए, एपीडा और आईसीआरआईएसएटी ने हैदराबाद और पुणे में संयुक्त रूप सेब्रेन स्टोर्मिंग सत्र का आयोजन किया।

11.6.2 **विदेशी बाजारों में निर्यात संवर्धन क्रियाकलाप**:

एपीडा ने निम्नलिखित देशों में भारतीय प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों अर्थात जातीय उत्पादों, बिस्कुट और अनाज से बनी चीजों का ब्रांड प्रमोशन किया है:

1. नैरोबी, केन्या
2. दार ए सलाम, तंजानिया
3. मैक्सिको सिटी, मैक्सिको
4. लंदन, ब्रिटेन में भारतीय शराब का संवर्धन

11.7 आउटरीच कार्यक्रम:

एपीडा ने कृषि निर्यातकों, किसानों, सेवा प्रदाताओं, व्यापार संघों जैसे हितधारकों और सरकार को जागरूक बनाने के लिए देश विभिन्न भागों में महत्वपूर्ण क्रियाकलाप के रूप में आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया और इन्हें सामान्य मुद्दों पर विचार–विमर्श करने और एपीडा की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए साझा मंच प्रदान किया। वर्ष 2015–16 के दौरान, एपीडा ने देश में विभिन्न भागों में 25 आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए।

एक तरफ इन कार्यक्रमों के आयोजन उद्देश्य एपीडा की योजनाओं और क्रियाकलापों की सूचना का हितधारकों के बीच प्रचार–प्रसार करना है और दूसरी ओर ये कार्यक्रम विशिष्ट उत्पाद या एक विशेष क्षेत्र से संबंधित व्यापार के मुद्दों को संकलित करने और उनका समाधान करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य कर रहा है। ये कार्यक्रम उत्पाद की गुणवत्ता, अच्छी कृषि पद्धतियों, बेहतर विनिर्माण प्रक्रियाओं, खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद कर रहे हैं।

एपीडा ने भी डीजीएफटी, एफएसएसएआई, ईआईसी, विपणन बोर्ड आदि जैसे संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया है। इससे प्रतिभागियों को सरकार की नीतियों और निर्यात की पद्धतियों; व्यापार संवर्धन सहायता; निर्यात प्रक्रियाओं; उत्पाद अनुमोदन; उत्पाद मानकों; इकाइयों के निरीक्षण और केंद्रीय और राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों की अन्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला है। चूंकि ये कार्यक्रम क्षेत्र विशेष से संबन्धित होते हैं, अतः विशेष क्षेत्रों के महत्व के मुद्दों का विशेष रूप से समाधान किया गया चाहे वह बुनियादी सुविधाओं की जरूरत हो; गुणवत्ता; लाजिस्टिक्स; संबंधित राज्य या केंद्र सरकार से संबन्धित प्रक्रियात्मक मुद्दे हों। इससे एपीडा को सभी हितधारकों से उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया मिली ।

11.8 जैविक क्षेत्र

अक्टूबर 2001 से विदेश व्यापार विकास विनियम (एफटीडीआर) अधिनियम के तहत निर्यात के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीओपी) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। एनपीओपी के उद्देश्यों में जैविक उत्पादों के विकास और प्रमाणीकरण की नीतियां, जैविक उत्पादों के राष्ट्रीय मानक, प्रमाणन निकायों की मान्यता और राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण और जैविक खेती और प्रसंस्करण के विकास को प्रोत्साहित करना शामिल है ।

2001 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा एनपीओपी के कार्यान्वयन के बाद भारत में जैविक खेती में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। आज भारत के जैविक उत्पादों ने वैश्विक बाजार में अपनी छाप छोड़ी है और ये नई ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार हैं।

11.8.1 **एनपीओपी में नए मानक शामिल किए गए**

2001 में पहली बार केवल फसलों और उनके प्रसंस्करण, लेबलिंग, भंडारण और परिवहन के लिए मानकों को शामिल करते हुए जैविक उत्पादों के निर्यात के लिए एनपीओपी मानक अधिसूचित किए गए । चूंकि, जैविक पशुधन, मधुमक्खी पालन और जलीय कृषि उत्पादों की अच्छी मांग है, अतः इन उत्पादों के मानकों को एनपीओपी के सातवें संस्करण समाविष्ट किया गया जिन्हें डीजीएफटी द्वारा दिनांक 1 जून, 2015 को अधिसूचित किया गया था।

11.8.2 **जैविक प्रमाणीकरण के अधीन क्षेत्र व उत्पादन**

वर्ष 2015–16 के दौरान, जैविक प्रमाणीकरण के अधीन लगभग 5.71 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र था जिसमें 4.22 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र शामिल था। जंगली संग्रह सहित कुल जैविक उत्पादन 1.35 मिलियन मीट्रिक टन था।

11.8.3 निर्यात किए गए मुख्य उत्पाद

वर्ष 2015–16 के दौरान कृषि निर्यात की कुल मात्रा 263,687 मीट्रिक टन थी जिससे 1975.87 करोड़ रुपए (298 मिलियन अमरीकी डालर) की वसूली हुई। जैविक उत्पादों का निर्यात पहले यूरोपीय संघ के देशों और तत्पश्चात् संयुक्त राज्य अमरिका और कनाडा में किया गया। जैविक उत्पादों के निर्यात के अन्य लक्ष्य स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, मध्य पूर्व के देश और आसियान देश थे।

निर्यात किए गए प्रमुख उत्पाद सोयाबीन, चीनी, बासमती चावल, चाय, दाल, मसाला, सन बीज और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ (मैंगो पल्प और सोयाबीन भोजन) थे।

11.8.4 एनपीओपी के अंतर्गत नए प्रमाणन निकाय का प्रत्यायन और एनओपी के स्कोप का विस्तार

मैसर्स कर्नाटक राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी, बेंगलुरू राज्य सरकार के एक प्रमाणन निकाय का प्रत्यायन अगस्त 2015 में एनपीओपी के अंतर्गत एनएबी द्वारा किया गया। वर्ष के दौरान, एनपीओपी के अनुसार आवेदक (प्राइवेट) प्रमाणन निकाय का प्रत्यायन ऑडिट किया गया। मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी की गई, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि गैर–अनुरूपता समाप्त हो गई है और रिपोर्ट आवेदक को दे दी गई। इस रिपोर्ट को निर्णय हेतु आगामी एनएबी के समक्ष रखा जाएगा ।

प्रत्यायन का दायरा दिनांक 1 जुलाई, 2015 को एक राज्य सरकारी प्रमाणन निकाय, मैसर्स राजस्थान जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी, जयपुर के लिए एनओपी प्रमाणन देकर बढ़ा दिया गया है।

11.8.5 मान्यताप्राप्त प्रमाणन निकायों का अनुवर्तन व निगरानी

एनपीओपी के अंतर्गत पच्चीस प्रमाणन निकायों को मान्यता प्राप्त हैं। वर्ष 2015–16 में 22 प्रमाणन निकायों का ऑडिट, 3 प्रमाणन निकायों के नवीकरण ऑडिट की वार्षिक निगरानी का कार्य पूरा किया गया। मानकों के अनुपालन के आधार पर 3 प्रमाणन निकायों की मान्यता का नवीकरण किया गया ।

नवम्बर 2015 में एनपीओपी के अंतर्गत उत्पादक समूह अपेक्षाओं के फसल उत्पादन मानकों के अनुपालन का सत्यापन करने के लिए सोयाबीन उगाने वाले दो प्रमाणित उत्पादक समूहों का कोई सूचना दिये बिना निरीक्षण किया गया ।

एनएबी निर्णय के अनुसार की पुष्टि करने के लिए मई 2015 में 2 प्रमाणन निकायों द्वारा प्रमाणित 7 उत्पादक समूहों को शामिल करते हुए उनकी मौजूदगी और मानक अपेक्षाओं की जांच करने के लिए तीन सत्यापन ऑडिट किए गए।

11.8.6 राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय की बैठकें

वर्ष 2015–16 के दौरान, अपर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय की अध्यक्षता में एपीडा द्वारा राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय की तीन बैठकें 12 जून, 2015, 30 जुलाई, 2015 और 11 दिसंबर 2015 को आयोजित की गईं। बैठक में निकायो के प्रत्यायन से संबन्धित कई मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया जैसे एनओपी प्रमाणन के लिए प्रत्यायन का दायरा बढ़ाना, उत्पादक समूह प्रमाणीकरण के दायरे का विस्तार, नए प्रमाणन निकायों की प्रत्यायन, प्रमाणन

निकायों की मान्यता का नवीकरण, प्रमाणन निकायों के प्रमाणन कार्यक्रमों में गैर–अनुपालन, ट्रेसनेट पर उत्पादक समूह के किसानों के स्थानांतरण की प्रक्रिया, जैविक परिचालकों की शिकायतें, एनपीओपी की मंजूरी सूची आदि। एपीडा द्वारा एनएबी के निर्णयों को समय–समय पर कार्यान्वित किया गया और बताया गया है और इसकी सूचना एनएबी को आगामी बैठकों में दी गई ।

11.8.7 **क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम**

निम्नलिखित क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए:

क) एनपीओपी और ऑडिट की प्रक्रिया पर सदस्यों की मूल्यांकन समिति

ख) पशुधन की नई उत्पाद श्रेणी पर प्रमाणन निकायों और सदस्यों की मूल्यांकन समिति

ग) मध्य प्रदेश, मेघालय और सिक्किम राज्यों के सरकारी अधिकारी ।

वर्ष 2015–16 के दौरान सरकारी अधिकारियों सहित जैविक हितधारकों की क्षमता निर्माण के लिए हिमालयी राज्यों और पहाड़ी जिलों में पांच आउटरीच / जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

11.8.8 **सिक्किम के लिए जैविक पर क्रेता–विक्रेता सम्मेलन**

एपीडा द्वारा 17 जनवरी 2016 को गंगटोक में सिक्किम में एक क्रेता–विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें निर्माता, उद्यमियों, प्रमाणन निकायों, प्रमुख निर्यातकों सहित जैविक हितधारकों ने भाग लिया।

11.8.9 **हितधारक परामर्श**

जैविक उत्पादों की निर्यात संभावनाओं का पता लगाने के लिए एपीडा द्वारा जैविक उद्योग के साथ सहयोग से मुम्बई, कोच्चि, भोपाल, कोलकाता और नई दिल्ली में हितधारकों के साथ विचार–विमर्श के लिए पांच परामर्श बैठकें आयोजित की गईं ।

एनपीओपी कार्य योजना के तहत निर्यात के लिए पशुधन, मधुमक्खी पालन और मत्स्य पालन को शामिल किए जाने के लिए एपीडा में हितधारकों के साथ विचार–विमर्श / परामर्श बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें सीबीएस, सरकारी विभागों, निर्यातकों आदि ने भाग लिया ।

ट्रेसनेट सॉफ्टवेयर के पुनः विन्यास के लिए दिसंबर 2015 में हितधारक परामर्श बैठक आयोजित की गई।

11.8.10 **भारतीय जैविक उत्पाद की निर्यात संभावना का पता लगाने के लिए अध्ययन**

भारतीय जैविक उत्पाद के निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अगस्त 2015 में भारतीय जैविक उद्योग संघ ने एक अध्ययन किया। इसकी अंतिम रिपोर्ट जनवरी, 2016 में गंगटोक, सिक्किम में जैविक सम्मेलन के दौरान जारी की गई ।

11.8.11 **ट्रेसनेट प्रणाली का पुनः विन्यास**

पिछले तीन वर्षों के दौरान सॉफ्टवेयर में किए गए परिवर्तनों को शामिल करने के लिए ट्रेसनेट प्रणाली का पुनः विन्यास किया गया और इसके लिए हितधारकों से परामर्श प्रक्रिया के दौरान और समय–समय पर जानकारी भी प्राप्त हुई थी। यह एक बहुत बड़ा काम था क्योंकि इसमें हितधारकों को बहुत दिक्कतें आ रही थीं और वे कई बार शिकायत कर चुके थे। जैविक प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर कोई समझौता किए बिना उपयोगकर्ता के अनुकूल ट्रेसनेट का पुनः विन्यास किया गया ।

11.8.12 **अन्तर्राष्ट्रीय जैविक मेलों में व्यापार को बढ़ावा देना**

एपीडा ने वर्ष 2015–16 के दौरान जैविक और प्राकृतिक उत्पादों पर दो प्रमुख व्यापार मेलों में भाग लिया।

11.8.13 **नुरेमबर्ग जर्मनी में बायोफेक जर्मनी 2016**

एपीडा ने 13 से 10 फरवरी, 2016 को नुरेमबर्ग जर्मनी में प्रदर्शनी केन्द्र में बायोफेक जर्मनी 2016 में भाग लिया। भारत का पवेलियन हॉल नंबर 5, बूथ नंबर 223, 215 व 325 में था। एपीडा ने 370 वर्गमीटर का स्थान बुक किया जिसमें 18 सह–प्रदर्शनीकर्ताओं को भी जगह दी गई। सह–प्रदर्शनीकर्ताओं में मसाला बोर्ड भी शामिल था जिसने मसाला निर्यातकों के साथ इसमें भाग लिया। एपीडा ने सिक्किम सरकार को 9 वर्गमीटर जगह दी थी। सिक्किम के उत्पादकों और उद्यमियों सहित 5 जैविक हितधारकों ने एपीडा के पवेलियन में भाग लिया। म्यूनिख में भारत के महावाणिज्य दूतावास, श्री सेवालानाइक ने भारत के पवेलियन का दौरा किया और भारतीय निर्यातकों के साथ बातचीत की।

11.8.14 **अनेहिम,संयुक्त राज्य अमरीका में नेचुरल एक्सपो वेस्ट, 2015**

एपीडा अनेहिम, सीए, संयुक्त राज्य अमरीका में 9–13 मार्च, 2016 के दौरान नेचरल प्रोडक्ट्स एक्सपो वेस्ट शो एंड इनग्रेडिया शो में भाग लिया। हिल्टन होटल में 1200 वर्ग मीटर (लगभग 112 वर्ग मीटर) जगह ली गई, जहां 10 निर्यातकों को व्यावसायिक रूप से निर्मित बूथ प्रदान किए गए।

12. अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी

12.1 अन्तर्राष्ट्रीय विभाग

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान वैश्विक बाजार में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा द्वारा निम्नलिखित अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए गए:

- **अफ्रीका बिग सेवन/सैटेक्स–2015, जोहानसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका 21 से 23 जून, 2015**
  एपीडा ने 21 से 23 जून, 2015 को दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अफ्रीका बिग सेवन/सैटेक्स–2015 जोहानसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में भाग लिया और 108 वर्गमीटर जगह बुक कराई। इसमें दस निर्यातकों ने भाग लिया और इसमें स्वीट कॉर्न, अचार, प्रसंस्कृत खाद्य, बिस्कुट, बासमती और गैर–बासमती चावल, आलू के गुच्छे और आलू के चिप्स और खाने के लिए तैयार उत्पाद प्रदर्शित किए गए। इस शो के दौरान खाने को तैयार गीली शाकाहारी और गैर–शाकाहारी बिरयानी के नमूने भी प्रदर्शित किए गए। डॉ. सी. बी. सिंह, सहायक महाप्रबंधक, एपीडा और श्री कमल कांत, एसओई ने इस शो में भागीदारी की व्यवस्था की ।
- **समर फैंसी फूड एंड कॉन्फ्रेंस शो न्यूयार्क, संयुक्त राज्य अमरीका 28–30 जून, 2015**
  एपीडा ने 28 से 30 जून 2015 तक न्यूयार्क, संयुक्त राज्य अमरीका में समर फैंसी फूड एंड कोन्फ्रेंस शो में भाग लिया और इसके लिए 200 वर्गमीटर जगह बुक कराई। इसमें बारह निर्यातकों ने भाग लिया और चावल, मूंगफली और मूंगफली के उत्पाद, ताजा स्वीट कॉर्न, आम, अनार एरेयल, अल्कोहल रहित पेय पदार्थ प्रदर्शित किए गए। शो के दौरान क्रेता–विक्रेता सम्मेलन (बीएसएम) में गीली शाकाहारी और गैर–शाकाहारी बिरयानी के नमूने भी प्रदर्शित किए गए। श्रीमती विनीता शुधांशु, सहायक महाप्रबंधक, एपीडा और श्रीमती शोभना कुमार, एफ.ओ. ने शो में भागीदारी की व्यवस्था की ।
- **अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंस्कृत खाद्य, पेय पदार्थ, पैकेजिंग और कृषि प्रदर्शनी फूड्स 2015 कोलम्बो, श्रीलंका 7–9 अगस्त 2015**
  एपीडा ने 7 से 9 अगस्त 2015 को अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंस्कृत खाद्य, पेय पदार्थ, पैकेजिंग और कृषि प्रदर्शनी फूड्स 2015 कोलम्बो, श्रीलंका में भाग लिया और 150 वर्गमीटर की जगह बुक कराई। इसमें दस निर्यातकों ने भाग लिया और इसमें स्वीट कॉर्न, एचपीएमसी जूस, ताजे फल और सब्जियां, डेयरी उत्पाद और चावल जैसे उत्पाद प्रदर्शित किए गए। श्री एन सी लोहकरे, सहायक महाप्रबंधक, एपीडा और श्री सौरभ अग्रवाल, प्रबंधक (लेखा) ने शो में भागीदारी की व्यवस्था की ।
- **वर्ल्ड फूड मास्को मास्को, रूस 14–17 सितम्बर, 2015**
  एपीडा ने 14 से 17 सितम्बर, 2015 के दौरान मास्को, रूस में वर्ल्ड फूड मास्को 2015 में भाग लिया। श्री आर के मंडल और सुश्री रोजलीन डेविड ने इस मेले में एपीडा की भागीदारी का समन्वय किया। एपीडा ने इसमें बासमती चावल, ताजा आलू, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, निर्जलित सब्जियां, मूंगफली, खाने के लिए तैयार उत्पाद, अल्पाहार, मिठाइयों, आदि जैसे विभिन्न खाद्य उत्पाद प्रदर्शित किए। एपीडा ने इसमें भारतीय बासमती चावल,

भारतीय अल्पाहार के खाद्य उत्पादों को बढ़ावा दिया। एपीडा के बूथ में निम्नलिखित नमूने और उत्पाद प्रदर्शित किए गए:

- ताजा आलू
- प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद
- मूगफली
- निर्जलित सब्जियां
- बासमती चावल
- बिस्कुट, भारतीय मिठाइयां और नमकीन
- खाने के लिए तैयार उत्पाद

भारतीय बासमती चावल के गीले नमूने

भारत के असली स्वाद को दिखाने के लिए पूरी तरह से विशेष गीले नमूने के माध्यम से भारतीय बासमती चावल को बढ़ावा देने की व्यवस्था की गई। शाकाहारी और मांसाहारी बिरयानी बनाने का काम एक भारतीय रेस्तरां को दिया गया और इस आयोजन के दौरान आगंतुकों को दोना तरह की बिरयानी परोसी गई। बासमती से तैयार इस अद्वितीय भोजन के स्वाद से कई आगंतुक बहुत आकर्षित हुए। आगंतुकों ने भारतीय बासमती चावल की महक और स्वाद की सराहना की।

मास्को में भारतीय दूतावास की भागीदारी और, सहयोग

एपीडा भारतीय दूतावास के साथ नियमित संपर्क कर रहा था और इस आयोजन में भाग लेने के लिए उनकी मदद और मार्गदर्शन ले रहा है। भारतीय दूतावास के वरिष्ठ अधिकारियों ने एपीडा पवेलियन का दौरा किया और भारतीय उत्पादों के लिए रूस के बाजार में बेहतर रूप से, बाजार तक पहुंच बनाने के लिए भारतीय प्रतिभागियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की ।

- **अनुगा कोलोन, जर्मनी 10–14 अक्टूबर, 2015**
  एपीडा ने 10 से 14 अक्टूबर, 2015 को अनुगा कोलोन, जर्मनी में भाग लिया और इसमें 504 वर्गमीटर जगह बुक की। इसमें पैंतालीस निर्यातकों ने भाग लिया और बासमती चावल, मूंगफली और मूंगफली का मक्खन, मिष्ठान्न, प्रसंस्कृत खाद्य मदें और निर्जलित उत्पाद जैसे विभिन्न उत्पाद प्रदर्शित किए गए। इस शो के दौरान बीएसएम, शाकाहारी व गैर शाकाहारी बिरयानी के गीले नमूनों की भी व्यवस्था की गई और इन के अलावा, आईसीसी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जातीय पेय पदार्थों, मसालों और जड़ी बूटियों और अनानास के जैम और जूसों का प्रदर्शन किया। डॉ. सुधांशु, उप महाप्रबंधक और श्री संदीप साहा, लेखाकार ने शो में भागीदारी की व्यवस्था की ।
- **चौथा एंटरप्राइज इंडिया शो यांगून, म्यांमार 29 अक्टूबर – 1 नवम्बर, 2015**
  एपीडा ने म्यांमार में 29 अक्टूबर से 1 नवम्बर, 2015 को आयोजित चौथा एंटरप्राइज इंडिया शो यांगून, म्यांमार में भाग लिया और इसमें 18 वर्गमीटर जगह बुक कराई। इसमें नमकीन और शराब जैसे उत्पादों की विभिन्न श्रेणियाँ प्रदर्शित की गईं। श्री टी सुधाकर, उप महाप्रबंधक ने शो में भागीदारी की व्यवस्था की ।
- **फूडेक्स सऊदी 2015 जेद्दा, सऊदी अरब 17–20 नवम्बर 2015**
  एपीडा ने 17 से 20 नवम्बर 2015 को फूडेक्स सऊदी 2015 जेद्दा, सऊदी अरब में भाग लिया और इसके लिए 216 वर्गमीटर जगह बुक कराई। इसमें पंद्रह निर्यातकों ने भाग लिया और चावल, मांस उत्पाद, अनाज उत्पाद, फलों के रस और प्रसंस्कृत खाद्य जैसे उत्पादों की विभिन्न श्रेणियाँ प्रदर्शित की गईं। शो के दौरान, बीएसएम और शाकाहारी व गैर शाकाहारी बिरयानी के गीले नमूनों की भी व्यवस्था की गई। श्री उमेश कुमार, सहायक महाप्रबंधक और श्री कुमार गौतम, लेखाकार ने शो में भागीदारी की व्यवस्था की ।
- **फ्रूटलोजिस्टिका, बर्लिन, जर्मनी 3–5 फरवरी, 2016**
  एपीडा ने 3 से 5 फरवरी, 2016 को फ्रूटलोजिस्टिका, बर्लिन, जर्मनी में भाग लिया और इसके लिए 169 वर्गमीटर जगह बुक कराई। इसमें तेरह निर्यातकों ने भाग लिया और ताजे फलों और सब्जियों के विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्रदर्शित किए गए। शो के दौरान ताजे फल और सब्जियों के सलाद के गीले नमूनों की व्यवस्था की गई। श्रीमती समिधा गुप्ता, सहायक महाप्रबंधक और श्रीमती रेखा मेथा, कार्यकारी अधिकारी ने शो में भागीदारी की व्यवस्था की।
- **बायोफेक, 2016 नुरेमबर्ग जर्मनी 10–13 फरवरी, 2016**
  एपीडा ने 10–13 फरवरी, 2016 को बायोफेक, 2016 नुरेमबर्ग जर्मनी में भाग लिया और इसके लिए 370

वर्गमीटर की जगह बुक कराई। इसमें अठारह निर्यातकों ने भाग लिया और विभिन्न प्रकार के जैविक उत्पाद प्रदर्शित किए गए। शो के दौरान शाकाहारी व गैर शाकाहारी बिरयानी के गीले नमूने, मेहंदी तथा योगो क्रियाकलापों की व्यवस्था की गई। डॉ. सासवती बोस, उप महाप्रबंधक और श्रीमती थंगम रामचन्द्रन, सहायक महाप्रबंधक ने शो में भागीदारी की व्यवस्था की ।

- **गल्फफूड, 2016 दुबई 21–25 फरवरी, 2016**

  एपीडा ने 21 से 25 फरवरी, 2016 को गल्फफूड 2016, दुबई में भाग लिया और इसके लिए 780 वर्गमीटर की जगह बुक कराई। इसमें साठ निर्यातकों ने भाग लिया और चावल और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों जैसे उत्पादों की विभिन्न श्रेणियां प्रदर्शित की गईं। शो के दौरान, बीएसएम और शाकाहारी व मांसाहारी बिरयानी के गीले नमूनों की व्यवस्था की गई। डॉ. नवनीश शर्मा, महाप्रबंधक और श्री मनप्रकाश, सहायक महाप्रबंधक ने शो में भागीदारी की व्यवस्था की।

- **नेचुरल प्रोडक्ट्स एक्सपो वेस्ट, सीए, संयुक्त राज्य अमरीका 5–7 मार्च, 2016**

  एपीडा ने 5 से 7 मार्च 2016 को नेचुरल प्रोडक्टस एक्सपो वेस्ट, सीए, संयुक्त राज्य अमरीका में भाग लिया और इसमें 150 वर्गमीटर जगह बुक कराई। इसमें दस निर्यातकों ने भाग लिया और हर्बल चाय, बीज, मसाले, बासमती चावल, दाल, अन्य अनाज और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों जैसे उत्पादों की विभिन्न श्रेणियां प्रदर्शित की गईं। शो के दौरान, शाकाहारी व मांसाहारी बिरयानी के गीले नमूनों की व्यवस्था की गई। श्री बिद्युत बरुआ, सहायक महाप्रबंधक और श्रीमती रीबा, सहायक महाप्रबंधक ने शो में भागीदारी की व्यवस्था की ।

- **फूडेक्स जापान टोक्यो जापान 8–11 मार्च, 2016**

  एपीडा ने 8 से 11 मार्च 2016 को फूडेक्स जापान टोक्यो जापान में भाग लिया और इसके लिए 108 वर्गमीटर जगह बुक कराई। इसमें नौ निर्यातकों ने भाग लिया और प्रसंस्कृत खाद्य और चावल जैसे उत्पादों की विभिन्न श्रेणियां प्रदर्शित की गईं। शो के दौरान, शाकाहारी व मांसाहारी बिरयानी के गीले नमूनों की व्यवस्था की गई। डॉ शुधांशु, उप महाप्रबंधक और श्रीमती सुनीता राय, सहायक महाप्रबंधक ने शो में भागीदारी की व्यवस्था की ।

- **काहिरा, मिस्र में आयोजित फूड अफ्रीका एक्सपो, 6 से 9 मई 2015**

  एपीडा, बैंगलोर के सहायक महाप्रबंधक श्री प्रशांत वाघमारे को फूड अफ्रीका एक्स्पो प्रदर्शनी में एपीडा का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया था जो काहिरा, मिस्र में आयोजित की गई थी। यह प्रति वर्ष आयोजित होने वाला एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है और इस वर्ष यह कैरियो इन्टरनेशनल कन्वेन्शन एण्ड एग्जीबिशन सेंटर, काहिरा में 6 मार्च से 9 मई 2015 तक आयोजित किया गया। चार दिवसीय इस आयोजन में खाद्य उद्योग के सभी क्षेत्रों के उत्पादकों/थोक विक्रेताओं/खुदरा विक्रेताओं ने भाग लिया और इसके माध्यम से वैश्विक स्तर पर खाद्य उत्पादों की सोर्सिंग/आयात/निर्यात के संबंध में उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ आमने–सामने बातचीत करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराया गया।

  प्रदर्शित प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग में मुख्यतः दुनिया भर के केचप, प्यूरी, जैम, चॉकलेट, कन्फेक्शनरी और बेकरी उत्पाद शामिल हैं। भारतीय कंपनियों ने भी प्रदर्शनी में खाद्य उत्पादों को प्रदर्शित किया। इसमें आईओपीईपीसी ने एक स्टाल लगाया और यह सूचित किया कि उनसे मूंगफली के निर्यात की बारे में अच्छी जानकारी ली गई है और अफ्रीकी देशों को मूंगफली का निर्यात करने की एक बड़ी संभावना है।

  मिस्र में सोयाबीन की खपत अधिक होती है और सोयाबीन के आयात के लिए भी गंभीरतापूर्वक पूछताछ की गई। श्री शहेब –ईल–दिन मेगडी, आवेदन प्रबंधक, मैसर्स यूनाइटेड फूड इंडस्ट्रीज, काहिरा ने बताया कि वे एक प्रमुख उद्योग उत्पादक स्टेबलाइजर्स हैं और उन्होंने सोयाबीन के आयात के लिए अपनी रुचि व्यक्त की और जल्द ही भारत आने की इच्छा जाहिर की।

  आगंतुकों के साथ बातचीत के दौरान यह पता चला कि उनमें से अधिकांश प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों जैसे प्यूरी, केचप, जैम आदि जैसे उत्पादों में दिलचस्पी रखते हैं। मिस्र एक बहुत बड़ा बाजार है और यह अफ्रीकी बाजारों का प्रवेश द्वार है। हम मिस्र के बाजार में प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में प्रवेश करने की संभावना का पता लगा सकते हैं।

12.2 वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान जैविक और ब्रांड प्रमोशन

12.2.1 लंदन में भारतीय वाइन का ब्रांड प्रमोशन 6–8 नवम्बर, 2015

एपीडा ने 6 से 8 नवम्बर, 2015 को लंदन में भारतीय वाइन की सामान्य/ब्रांड प्रोमोशन की। इसमें 10 भारतीय निर्यातकों ने भाग लिया और ब्रांड प्रमोशन के दौरान शराब चखाने का अभियान भी चलाया गया। श्री सुनील कुमार, महाप्रबंधक और श्री सी एस डुडेजा, लेखाकार ने शो में भागीदारी की व्यवस्था की ।

12.2.2 नैरोबी, केन्या में भारतीय खाद्य उत्पादों अर्थात एथनिक उत्पादों, बिस्कुट और अनाज से निर्मित उत्पादों के लिए ब्रांड प्रमोशन 15–17 जनवरी, 2016

एपीडा ने भारतीय खाद्य उत्पादों अर्थात जातीय उत्पादों, बिस्कुट और अनाज से निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने नैरोबी में, केन्या में 15 से 17 जनवरी, 2016 को सामान्य / ब्रांड प्रमोशन की व्यवस्था की। इसमें बाईस निर्यातकों ने भाग लिया और प्रसंस्कृत खाद्य, मिठाई, बिस्कुट, खाने के लिए तैयार मदों, चावल, मादक पेयपदार्थों, प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों जैसे उत्पादों की विभिन्न श्रेणियां प्रदर्शित की गईं। शो के दौरान, बीएसएम और शाकाहारी व मांसाहारी बिरयानी के गीले नमूने प्रदर्शित किए गए। श्री एस एस नैयर, महाप्रबंधक और श्री हरप्रीत सिंह, कार्यकारी अधिकारी ने शो में भागीदारी की व्यवस्था की।

12.2.3 भारतीय खाद्य उत्पादों अर्थात जातीय उत्पादों, मूंगफली, ग्वारगम, मिष्ठान्न, अनाज से निर्मित उत्पादों, विविध उत्पाद, आम के गूदे, सूखी और संरक्षित सब्जियों का ब्रांड प्रमोशन, 20–22 फरवरी, 2016, दार ए सलाम, तंजानिया

एपीडा ने दार ए सलाम, तंजानिया में 20 से 22 फरवरी, 2016 को भारतीय खाद्य उत्पादों अर्थात जातीय उत्पादों, मूंगफली, ग्वारगम, मिष्ठान्न, अनाज से निर्मित उत्पादों, विविध उत्पाद, आम के गूदे, सूखी और संरक्षित सब्जियों का सामान्य/ब्रांड प्रमोशन किया। इसमें बाईस निर्यातकों ने भाग लिया और प्रसंस्कृत खाद्य, मिष्ठान, बिस्कुट, खाने के लिए तैयार मदें, चावल, मादक पेय, प्रसंस्कृत फल और सब्जियों की विभिन्न श्रेणियां प्रदर्शित की गईं। शो के दौरान बीएसएम और शाकाहारी व मांसाहारी बिरयानी के गीले नमूनों की व्यवस्था की गई। श्री एस एस नैयर, महाप्रबंधक और श्री हरप्रीत सिंह, कार्यकारी अधिकारी ने शो में भागीदारी की व्यवस्था की।

12.2.4 भारतीय खाद्य उत्पादों अर्थात निर्जलित उत्पादों, जातीय उत्पादों, गूदे और अनाज से निर्मित उत्पादों का ब्रांड प्रमोशन 8–10 फरवरी, 2016 मैक्सिको

एपीडा ने मेक्सिको में 8 से 10 फरवरी, 2016 को भारतीय खाद्य उत्पादों अर्थात निर्जलित उत्पादों, जातीय उत्पादों, गूदों और अनाज से निर्मित उत्पादों का ब्रांड प्रमोशन किया। इसमें 16 निर्यातकों ने भाग लिया और भारतीय जातीय भोजन, प्रसंस्कृत खाद्य और चावल जैसे उत्पादों की श्रेणियां प्रदर्शित की गईं। शो के दौरान बीएसएम और शाकाहारी व मांसाहारी बिरयानी के गीले नमूनों की व्यवस्था की गई । श्री तरुण बजाज, महाप्रबंधक और श्री सुरेंद्र पाल, सहायक महाप्रबंधक ने शो में भागीदारी की व्यवस्था की ।

12.3 निर्यात संवर्धन के लिए राष्ट्रीय आयोजन

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान एपीडा ने 34 घरेलू प्रदर्शनियों/मेलों/कार्यशालाओं /सम्मेलनों में भाग लिया। वर्ष के दौरान देश भर में निर्यात को बढ़ावा देने निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए और इन्हें सफल बनाने के लिए एपीडा के अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया ।

1. आहार–2015, बंगलुरु

2. 7वीं हिमालय एक्सपो, सिलीगुड़ी 5–13 दिसम्बर, 2015
3. 10वां द्विवार्षिक सम्मेलन लैगशिप एग्रीकोर्प–2015 "कृषि में जोखिम शमन" का आयोजन 3 और 4 नवम्बर, 2015
4. फूडबिज भारत–2015 को 10 सितम्बर, 2015
5. दूसरा जयपुर खाद्य टेक–2015, 18–20 सितम्बर
6. चेन्नई और कोचीन में एक दिन का कार्य–व–जागरूकता कार्यक्रम 18.9.2015 (दो कार्यशालाएं)
7. दक्षिण अंचल एग्री एक्सपो, 19–21 दिसंबर, 2015
8. इण्डिया ओर्गेनिक 2015 से साथ बायोफेक इंडिया (अन्तर्राष्ट्रीय जैव व्यापार मेले का 7वां संस्करण) 5 से 7 नवंबर–2015 को आयोजित
9. मिलन मेला ग्राउंड और आईटीसी सोनार कोलकाता में "ग्रीन, ब्लू और श्वेत क्रांति" के माध्यम से सतत् खाद्य सुरक्षा के लिए 5 वां एग्रोप्रोटेक–2015, 19 से 21 नवम्बर, 2015
10. नॉर्थ ईस्ट ओर्गेनिक हब – मूल्य संवर्धन/प्रमाणन/ विपणन/निर्यात पर एक पहल
11. खाद्य प्रसंस्करण पर दक्षिण भारत की प्रमुख प्रदर्शनी का 11वां संस्करण, 28–30 अगस्त, 2015
12. गुजफूड इंडिया 2015, 30 अक्टूबर से 1 नवम्बर, 2015
13. तमिलनाडु केला उत्सव 2015
14. गुड़गांव में स्थायी कृषि पर सम्मेलनः एक एकीकृत दृष्टिकोण 30 नवम्बर, 2015
15. अन्नपूर्णा–2015, 14–16 सितम्बर, 2015
16. 8वां वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन और पुरस्कार प्रौद्योगिकी – निवेश–सुरक्षा, 9–10 फरवरी 2016, नई दिल्ली
17. पीएचडी हाउस, नई दिल्ली में इंडिया फार्म 2 फोर्क 2015 पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 19 से 20 नवम्बर, 2015
18. कृषि और बागवानी निर्यात के संवर्धन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी।
19. पीएचडी हाउस, नई दिल्ली में 7 जनवरी 2016 को भारत में कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर पर राष्ट्रीय सम्मेलन
20. अन्तर्राष्ट्रीय एग्री होर्टी टेकबिहार–2015
21. मुम्बई में 19–21 नवम्बर, 2015 को "सभी के लिए खाद्य को सक्षम" विषय पर 5 वां वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन (जीईएस)–2
22. होटल रेनेसेन्स, मुम्बई में 9 से 10 अक्तूबर, 2015 को आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय पैकेजिंग प्रदर्शनी इंडियापैक–2015 और विश्व पैकेजिंग कांग्रेस का छ्ठा संस्करण
23. लुधियाना, भुवनेश्वर, कटक और दिल्ली में सितंबर और मार्च से बिस्कुट, आलू और जैविक भोजन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए मूल्य वर्धित खाद्य उत्पादों के निर्यात की संभावनाओं पर तीन कार्यशालाएं
24. ओर्गेनिक मिजोरम पर कार्यशाला (9 अक्टूबर)
25. ओर्गेनिक सिक्किम पर कार्यशाला (4 नवम्बर)
26. ओर्गेनिक त्रिपुरा पर कार्यशाला (16 दिसम्बर)
27. ओर्गेनिक अरुणाचल प्रदेश पर कार्यशाला (22 जनवरी, 2016)
28. उत्तर–पूर्वी भारत से मांस और मांस उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने पर एक दिवसीय कार्यशाला
29. शिलांग में 27 नवम्बर, 2015 को उत्तर पूर्व में एक ओर्गेनिक हब मूल्य संवर्धन/प्रमाणन/विपणन/निर्यात पर एक प्रयास
30. तीसरा असम अन्तर्राष्ट्रीय एग्री होर्टी शो 2016 6–9 जनवरी, 2016
31. उत्तर पूर्व में कारोबारी माहौल बनाने के लिए 11वां नॉर्थ ईस्ट बिजनेस समिट 6–9 जनवरी, 2016
32. स्थायी बागबानी पर अंतर्राष्ट्रीय सिस्पोजियम (आईएसएसएच), 14–16 मार्च, 2016
33. गुवाहाटी में 3–5 फरवरी 2016 को वायब्रेंट एग्री होर्टी नॉर्थ ईस्ट
34. नागपुर में 7वां एग्रो विजन, 11–14 दिसम्बर, 2015

13. एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय के क्रियाकलाप

13.1 एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई

1. **पंजीकरण व सदस्यता प्रमाणपत्र और पंजीकरण व आबंटन प्रमाणपत्रः**
मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय ने 2051 आरसीएमसी (पुनःपंजीकरण व पुनः निर्गम प्रमाणपत्र), 1458 आरसीएसी बासमती चावल प्रमाणपत्र, कच्ची चीनी निर्यात के 89 प्रमाणपत्र और मूंगफली और मूंगफली उत्पाद के निर्यात के लिए 14716 प्रमाणपत्र जारी किए।

2. **पश्चिम क्षेत्र की सामान्य अवसंरचना परियोजनाओं का अनुवर्तनः**
पश्चिम क्षेत्र की सामान्य अवसंरचना सुविधाओं के पुर्ननिर्धारण के लिए दौरे किए गए और उनकी संयुक्त जांच की गई।

3. **परिवहन सहायता योजना (टीएएस):**
निर्यातकों से टीएएस के अन्तर्गत 1728 आवेदन पत्र प्राप्त हुए और उन्हें (मार्च 2015 से मार्च 2016 तक) 32,50,00,000/– रुपए का संवितरण किया गया।

4. **लॉजिस्टिक्स आपूर्ति के माध्यम से भारत की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए सेमिनारः**
उप महाप्रबन्धक (एस) ने लॉजिस्टिक्स आपूर्ति श्रंखला दक्षता के माध्यम से भारत की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए ब्रिटिश हाई कमीशन और डन एण्ड ब्रेडस्ट्रीट द्वारा मुम्बई में 28 अक्तूबर, 2015 को आयोजित सेमिनार के एक सत्र की अध्यक्षता की ।

5. **सऊदी अरब को हरी मिर्च के निर्यात की आपूर्ति श्रंखला के बारे में सऊदी तकनीकी प्रतिनिधिमंडल से अक्तूबर, 2015 में समापन बैठकः**

क. एपीडा, मुम्बई ने निम्नलिखित निरीक्षण किए/समिति में भाग लियाः

- यूरोपियन संयुक्तनिरीक्षण/पैकहाउस लेखा–परीक्षाः 31
- मांस संयंत्र पंजीकरण समिति का दौराः 13
- मूंगफली प्रोसेसिंग मान्यता समिति का दौराः 48
- ईआईए पेनल निरीक्षण समिति का दौराः 3
- एमओएफपीआई पेनल निरीक्षण समिति का दौराः 4
- सीमा शुल्क/एजेंसियों/स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठकें: 79
- प्रत्यक्ष सत्यापनः 20

ख. प्रतिनिधिमंडलः
एपीडा, मुम्बई कार्यालय ने वर्ष 2015–16 के दौरान पश्चिमी क्षेत्र में निर्यात प्रवर्द्धन क्रियाकलापों के लिए निम्नलिखित देशों के प्रतिनिधिमंडल के दौरों का समन्वय कियाः

मॉरिशस, साऊथ कोरिया, यूएसए, जापान, आस्ट्रेलिया, मलेशिया, चीन, इण्डोनेशिया, फिलीपीन्स

13.2 एपीडा क्षेत्रीय बंगलौर

वर्ष 2015–2016 के दौरान निम्नलिखित क्रियाकलाप किएः

1. **होर्टिनेट/मेंगोनेट/अनारनेट पर प्रशिक्षण कार्यक्रम**

एपीडा के बंगलौर क्षेत्रीय कार्यालय ने होर्टिनेट/मेंगोनेट/अनारनेट पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें किसानों के पंजीकरण सहित मॉडयूल के कार्यचालन पर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया और जिसमें राज्य बागबानी विभाग के अधिकारी उपस्थित हुए। प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित स्थानों पर आयोजित किए गएः

क्र.सं.	क्षेत्र	बैठक की तारीख
01.	बंगलौर (होर्टिनेट)	11 अगस्त, 2015
02.	बंगलौर (अनारनेट)	30 अक्तूबर, 2015
03.	चैन्नई(होर्टिनेट)	02 सितम्बर, 2015
04.	त्रिवेन्द्रम (होर्टिनेट)	03 सितम्बर, 2015
05.	होसादुर्गा (अनारनेट)	14 दिसम्बर, 2015
06.	चैन्नई (होर्टिनेट)	06जनवरी, 2016
07.	त्रिवेन्द्रम (मेंगोनेट)	07जनवरी, 2016

II. चल्लाकेरे, चित्रदुर्गा में 14.11.2015 को मटर व मटर उत्पाद पर जागरूकता कार्यक्रमः

एपीडा के बंगलौर क्षेत्रीय कार्यालय नेचल्लाकेरे, चित्रदुर्गा में 14.11.2015 को मूंगफली व मूंगफली उत्पाद की निर्यात अपेक्षाओं पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया और श्री विनोद के. कौल, परामर्शदाता ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कृषि विभाग, ऑयलसीड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, ईआईए, निर्यातकों और प्रासेसरों ने इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए।

III. सेंसिटाइजेशन कार्यक्रमः

एपीडा ने टीएएस आवेदन को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की योजना का आरम्भ किया । इस सम्बन्ध में एपीडा के बंगलौर क्षेत्रीय कार्यालय ने निर्यातकों के हित के लिए निम्नलिखित स्थानों पर टीएएस भरने के लिए सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम का आयोजन किया।

क्र.सं	क्षेत्र	बैठक की तारीख
01.	त्रिवेन्द्रम	04.02.2015
02.	बंगलौर	05.12.2015

IV. एपीडा – सीआईआई फेज क्लस्टर विकास कार्यक्रम

क्लस्टर विकास पहल के रूप में, एपीडा ने सीआईआई के साथ मिलकर निर्यात गुणवत्ता वाले उत्पादों के उत्पादन पर बल देते हुए क्लस्टर विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कृषि विकास विश्वविद्यालय के सुविज्ञों, राज्य विभागों के अधिकारियों, निर्यातकों और किसानों ने भाग लिया। दक्षिण क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए:

क्र.सं.	क्षेत्र	क्लस्टर का नाम	बैठक की तारीख
01	होसदुर्गा	अनार	12 दिसम्बर, 2015
02	कोपल	अनार	25 फरवरी, 2016
03	बागलकोट	अनार	26 फरवरी, 2016
04	वेजहानकुलम	अनानास	19 फरवरी, 2016
05	चिक्काबल्लापुर	रोज अनियन	19 मार्च, 2016

V. आउटरीच कार्यक्रमः

एपीडा तथा एग्जिम बैंक, ईआईए, एनपीपीओ, डीजीएफटी आदि जैसी एजेंसियों द्वारा दी जा रही सेवाओं सम्बन्धी सूचना का प्रसार करने एवं निर्यात बढ़ाने के लिए अपेक्षित हस्तक्षेप पर निर्यातकों से फीडबैक लेने के लिए सारे देश में आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया:

क्र.सं.	क्षेत्र	बैठक की तारीख
01	बंगलौर	11 मार्च, 2016
02	चैन्नई	17 मार्च, 2016
03	त्रिवेन्द्रम	18 मार्च, 2016

VI. एपीडा तथा येस बैंक लि0, द्वारा संयुक्त रूप से बंगलौर में दिनांक 15.02.2016 को दक्षिणी क्षेत्र के लिए परामर्शकारी बैठक का आयोजन किया गया।

एपीडा ने निर्यातकों के समक्ष आ रही कठिनाइयों का अध्ययन करने के लिए येस बैंक लि0 को अध्ययन कार्य सौंपा और इस सम्बन्ध में, बंगलौर क्षेत्रीय कार्यालयने दिनांक 15.02.2016 को बंगलौर में दक्षिणी क्षेत्र के निर्यातकों के और येस बैंक के प्रतिनिधियों के साथ एक परामर्शकारी बैठक का आयोजन किया गया।

VII. वाणिज्य सचिव और एपीडा के अध्यक्ष का दिनांक 22.03.2016 को बंगलौर का दौराः

श्रीमती रीता तेवतिया, आईएएस, वाणिज्य सचिव, वाणिज्य मंत्रालय ने दिनांक 22.03.2016 को बंगलौर का दौरा किया। इस सम्बन्ध में, एपीडा के अध्यक्ष और एपीडा, नई दिल्ली में महाप्रबन्धक डॉ. तरुण बजाज एफआईईओ/वीटीपीसी द्वारा होटल ललित अशोक में दिनांक 22.03.2016 को आयोजित परामर्शकारी बैठक में उपस्थित हुए।

VIII. अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलः

यूएसडीए/एपीएचआईएस के अधिकारियों ने दिनांक 10.06.2015 और 28.06.2015 को मैसर्स एग्री बायो पार्क लि0, मलूर का दौराः

यूएसडीए/एपीएचआईएस के अधिकारियों ने प्रमाणपत्र जारी करने से पूर्व दिनांक 10.06.2015 और 28.06.2015 को मैसर्स एग्री बायो पार्क लि0 द्वारा स्थापित इरेडिएशन सुविधा का जायजा लेने के लिए बंगलौर का दौरा किया।

चीनी प्रतिनिधिमंडल का दिनांक 16.10.2015 को बंगलौर का दौराः

सहायक महाप्रबन्धक (पीडब्ल्यू) ने दिनांक 16.10.2015 को बंगलौर में चीन के पांच सदस्यों वाले प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और उनके साथ एपीडा के परामर्शदाता डॉ. एस.के. रंजन और चीनी दुभाषिया, सुश्री दीप्ति वधवा भी थीं।

प्रतिनिधिमंडल को एफएमडी वैक्सिन क्वालिटी कन्ट्रोल सिस्टम के हेब्बल, बंगलौर स्थित इकाई में ले जाया गया और वहां की सुविधा उन्हें दिखाई गई। प्रतिनिधिमंडल ने वैक्सिन क्वालिटी कन्ट्रोल सिस्टम के अधिकारियों से बातचीत की।

13.3 एपीडा के गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय की वर्ष 2015–16 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्टः

वर्ष 2015–16 के दौरान गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निम्नलिखित क्रियाकलाप किए गएः

1. **पंजीकरण व सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी):**

   वर्ष 2015–16 के दौरान कुल मिलाकर 46 पंजीकरण व सदस्यता प्रमाणपत्र जारी किए गए।

2. **पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामान्य अवसंरचना परियोजनाओं की मॉनिटरिंगः**

   एपीडा द्वारा वित्तपोषित सामान्य अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए उनका संयुक्त सत्यापन किया गया। वर्ष के दौरान प्रस्तावित नई सामान्य अवसंरचना परियोजनाओं का निर्धारण पूर्व दौरे भी किए गए।

3. **पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्यात विकास निधि (ईडीएफ) की मॉनिटरिंगः**

   पूर्वोत्तर क्षेत्र में ईडीए–एनईआर परियोजनाओं के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार के व्यापार और वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर संयुक्त सत्यापन किया गया।

4. **पूर्वोत्तर क्षेत्र मेंगुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आयोजित आऊटरीच कार्यक्रमः वर्ष 2015–16 के दौरान गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय ने निम्नलिखित आऊटरीच कार्यक्रम आयोजित किएः**

   I.) गुवाहाटी, असम में 11 अगस्त, 2015 को आऊटरीच कार्यक्रम

   ii.) अगरतला, त्रिपुरा में 6 अक्तूबर, 2015 को आऊटरीच कार्यक्रम

5. **ऑर्गेनिक उत्पादन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीओपी) पर सेंसिटाइजेषन कार्यक्रमः**

   (I.) गुवाहाटी, असम में 25 अगस्त, 2015 को

   (ii.) गंगटोक, सिक्किम में 2 सितम्बर, 2015 को

6. **गंगटोक, सिक्किम में 23 नवम्बर, 2015 को क्रेता–विक्रेता सम्मेलन**

7. **पूर्वोत्तर के क्षेत्रीय व्यापार में भागीदारीः**

   (I.) गुवाहाटी, असम में 26 से 27 मई, 2015 को उत्तर पूर्व सम्मेलन 2015

   (ii.) इम्फाल, मणिपुर में पहला मणिपुर नेशनल होर्टि एक्सपो 2015

   (iii.) गुवाहाटी, असम में 6 से 9 जनवरी, 2016 को तीसरा अन्तर्राष्ट्रीय एग्री होर्ट शो 2016

   (iv.) गुवाहाटी, असम में 18 से 20 जनवरी, 2016 को वायब्रेंट नार्थ ईस्ट 2016

8. **एपीडा द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रायोजित विभिन्न सेमिनारों में भागीदारीः**

   (I.) एफआईएनईआर द्वारा गुवाहाटी, असम में दिनांक 19 सितम्बर, 2015 को आयोजित नार्थ ईस्ट फूड प्रोसेसिंग एण्ड टेक्नॉलोजी शिखर सम्मेलन

   (ii.) आईसीसी द्वारा शिलांग, मेघालय में 27 नवम्बर, 2015 को आयोजित नार्थ ईस्ट ओर्गेनिक हब

   (iii.) सीआईआई द्वारा शिलांग में 5 नवम्बर, 2015 को आयोजित नार्थ ईस्ट फूड प्रोसेसिंग कार्यशाला

iv.) सीआईआई द्वारा गुवाहाटी, असम में 7 नवम्बर, 2015 को आयोजित नार्थ ईस्ट फूड प्रोसेसिंग कार्यशाला

v.) इम्फाल, मणिपुर के वाणिज्य सचिव, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा इम्फाल, मणिपुर में 24 से 25 नवम्बर, 2015 को आयोजित किया गया परस्पर–संवाद सम्मेलन

vi.) एसोचैम द्वारा सिक्किम, गंगटोक में दिनांक 4 नवम्बर, 2015 को आयोजित किया गया भावी खाद्य उद्यमियों को सरकारी योजनाओं और बाजार से जोड़ने पर सम्मेलन

vii.) एसोचैम द्वारा इटानगर, अरुणाचल प्रदेश में दिनांक 18 जनवरी, 2015 को आयोजित किया गया भावी खाद्य उद्यमियों को सरकारी योजनाओं और बाजार से जोड़ने का सम्मेलन

viii.) गुवाहाटी, असम में आईसीएआर– सुअर पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र द्वारा आयोजित पूर्वोत्तर भारत से मांस और मांस उत्पाद का निर्यात बढ़ाने के लिए कार्यशाला

9. अन्य कार्यशालाएं / सेमिनार / सम्मेलन, जिनमें गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय उपस्थित हुआः

I.) वाणिज्य और उद्योग विभाग, मणिपुर सरकार द्वारा इम्फाल, मणिपुर में दिनांक 13 अप्रैल, 2015 को आयोजित एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांटेशन, प्रोसेसिंग एण्ड मार्किटिंग पर कार्यशाला व किसानों का सम्मेलन

ii.) गुवाहाटी, असम में दिनांक 19 दिसम्बर, 2015 को इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ पेकेजिंग एण्ड नेरामेक द्वारा आयोजित ताजा और प्रसंस्कृत खाद्य की पेकेजिंग पर राष्ट्रीय कार्यशाला

iii.) गुवाहाटी, असम में दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को ट्रांसफार्मिंग असम इनटू एन एग्री प्रोसेसिंग हबः चुनौतियां और अवसर पर परामर्शकारी कार्यशाला

iv.) गुवाहाटी, खानापारा में ग्रामीण विकास और पंचायत राज राष्ट्रीय संस्थान द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2016 को आयोजित''मेक इन इण्डिया एण्ड रूरल नार्थ ईस्टः चुनौतियां''

v.) गंगटोक सिक्किम में 17 से 20 जनवरी, 2016 को सिक्किम ऑर्गेनिक फेस्टिवल 2016 और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एण्ड फार्मर्स वेलफेयर पर राष्ट्रीय सम्मेलन में भागीदारी

10. पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्लस्टर विकास कार्यक्रमः एपीडा द्वारा क्लस्टर विकास पहल के रूप में, एपीडा ने मिजोरम में दिनांक 3 मार्च 2016 को अदरक और मिर्च पर प्रशिक्षण का आयोजन किया।

11. एनपीओपी मानकों, प्रमाणन पर प्रशिक्षण कार्यक्रमः एपीडा ने शिलांग, मेघालय में 18 से 19 फरवरी, 2016 के दौरान एनपीओपी मानकों, प्रमाणन पर ऑर्गेनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

13.4 एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता

वर्श 2015–16 के दौरान एपीडा के कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किए गए विशेश प्रयासः

क) पेपरलेस ऑफिसः

ऑनलाइन जारी किए गए आरसीएमसीज की संख्या – 143 (एस चार तीन)

ऑनलाइन जारी किए गए आरसीएसीज की संख्या – 8 (आठ)

ख) लाभ की इलैक्ट्रोनिक अदायगीः

की गई इलैक्ट्रोनिक अदायगिया (एनईएफटी / आरटीजीएस) की संख्या – 39 (तीन नौ)

वर्ष के दौरान किए गए अन्य प्रयासः

क) ऑनलाइन टीएएस के लिए प्रलेखों के सरलीकरण के लिए सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम

ख) एफएफटी निर्यातकों के लिए होर्टिनेट पर सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम

ग) सूखे फूलों के निर्यातकों और शिल्पकारों के लिए कार्यशाला

घ) झारखण्ड, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्य में एफएफटी के लिए क्लस्टर विकास कार्यक्रम

ड.) बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य में आऊटरीच कार्यक्रम

13.5 एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद

एपीडा का हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय, आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में केन्द्रीय और राज्य सरकार के विभागों एवं

निर्यात से जुड़े अन्य संगठनों के निरन्तर सम्पर्क में रहता है । यह मौजूदा, नए और विभिन्न निर्यात अवसरों के आकांक्षी उद्यमियों को सलाहकारी सेवाएं भी प्रदान करता है। यह मांस संयंत्र, मूंगफली संयंत्र के दौरों के आयोजन और भागीदारी करने एवं पैक हाऊसों का अनुमोदन करने तथा एपीडा की वित्तीय सहायता से सृजित परिसम्पत्तियों का सत्यापन करने के अलावा आरसीएमसी और आरसीएसी के निर्गम जैसे विभिन्न सांविधिक कार्य भी करता है।

आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में एपीडा के क्रियाकलापों का प्रचार–प्रसार करने के लिए यह केन्द्रीय और राज्य सरकार के विभागों, वित्तीय संस्थानों, अनुसंधान संगठनों, कृषि विश्वविद्यालयों आदि द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं, सेमिनारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेता है तथा एपीडा के क्रियाकलापों और वित्तीय सहायता योजनाओं पर प्रेजेंटेशन देता है । एपीडा का हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय कार्यशालाओ और प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि का भी आयोजन करता है।

1. **ऑनलाइन प्रमाणपत्रः**

   क. आरसीएमसीज (पंजीकरण व सदस्यता प्रमाणपत्र): एपीडा के हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने नए सदस्यों के लिए 288 आरसीएमसीज जारी किए। नवीकरण, निगमन और पुनःपंजीकरण के कार्य भी किए गए।

   ख. आरसीएसीज (पंजीकरण व आबंटन प्रमाणपत्र): एपीडा के हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने 2939.557 मीट्रिक टन बासमती चावलों के निर्यात के लिए 84 आरसीएसीज जारी किए।

   ग. मूंगफली के निर्यात के लिए निर्यात प्रमाणपत्रः एपीडा के हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने 4998.33 मीट्रिक टन मूंगफली की मात्रा के लिए 250 प्रमाणपत्र जारी किए।

2. **सम्मेलन / कार्यशालाएं / प्रशिक्षण कार्यक्रम**

   i) **हैदराबाद में दिनांक 27.05.2015 को मीट.नेट सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमः**

   एपीडा के हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने हैदराबाद में दिनांक 27.05.2015 को मीट.नेट सॉफ्टवेयर पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में एपीडा में महाप्रबन्धक श्री सुनील कुमार ने मीट.नेट सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन पर प्रेजेन्टेशन दिया। पशु–धन विकास विभाग, तेलंगााना सरकार के निदेशक श्री वेंकटेशवरलु ने इस बैठक की अध्यक्षता की । इसमें आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना के मांस निर्यातकों ने भाग लिया । इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पशु–धन विकास विभाग के अधिकारी भी उपस्थित हुए।

   ii) **हैदराबाद में दिनांक 12.08.2015 को आम और भिण्डी होर्टिनेट के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमः**

   एपीडा के हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने बागबानी प्रशिक्षण संस्थान, बागबानी विभाग में दिनांक 12.08.2015 को आम और भिण्डी होर्टिनेट के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। श्री एल. वेंकटरामी रेड्डी, बागबानी आयुक्त, तेलंगाना सरकार ने इस बैठक की अध्यक्षता की। आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना के बागबानी उप निदेशक, बागबानी सहायक निदेशक और बागबानी अधिकारियों ने भी भाग लिया। नई दिल्ली में एपीडा के प्रधान कार्यालय के श्री गौरव विमल ने आम और भिण्डी के लिए होर्टिनेट ट्रेसिबिलिटी प्रणाली की अवधारणा और कार्यान्वयन के बारे में प्रेजेंटेशन और संक्षिप्त जानकारी दी। इसमें लगभग 80 किसानों ने भाग लिया । श्री टी. सुधाकर, उप महाप्रबन्धक, हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में भागीदारों को विस्तार से बताया और उनके संदेह को दूर किया।

   iii) **हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय में दिनांक 14.12.2015 को टीएएस सॉफ्टवेयर पर सेंसिटाइजेशन कार्यक्रमः**

   एपीडा के हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने दिनांक 14.12.2015 को टीएएस पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। नई दिल्ली में एपीडा के प्रधान कार्यालय के श्री हरप्रीत सिंह ने टीएएस आवेदन प्रस्तुत करने के बारे में बताया।श्री टी. सुधाकर, उप महाप्रबन्धक ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की और भागीदारों से परस्पर संवाद किया।

   iv) **सीआईआई और आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 10 से 12 जनवरी, 2016 को विशाखापत्तनम में आयोजित पार्टनरशिप शिखर सम्मेलन, 2016:**

   इस पार्टनरशिप शिखर सम्मेलन, 2016 में श्री चन्द्रबाबू नायडू, माननीय मुख्य मंत्री, आन्ध्र प्रदेश सरकार और श्रीमती निर्मला सीतारमण, माननीय वाणिज्य मंत्री उपस्थित हुए। हैदराबाद क्षेत्रीय

कार्यालय के श्री आर.पी. नायडू, सीनियर पीई ने तीन दिन के इस कार्यक्रम में भाग लिया और खाद्य एवं कृषि क्षेत्र के संभावित निवेशकों से भेट की।

v) **दक्षिणी क्षेत्र के लिए 18 फरवरी, 2016 को येस बैंक–एपीडा परामर्शकारी सम्मेलनः**

एपीडा के हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने येस बैंक के साथ मिलकर 18 फरवरी, 2016 को हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय में दक्षिणी क्षेत्र के लिए एक परामर्शकारी सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के लगभग 25 निर्यातक सदस्यों ने भाग लिया।

vi) **आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के लिए दिनांक 22 से 23 फरवरी, 2016 को हैदराबाद में सीआईआई फेस क्लस्टर डिवेलपमेंट एण्ड गैप इम्पलिमेंटेंशन–संयुक्त स्टेकहोल्डर्स बैठक**

एपीडा के हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने आन्ध्र प्रदेश राज्य के बागबानी विभाग के सहयोग से 22 फरवरी, 2016 को बागबानी विभाग, पब्लिक गार्डन, हैदराबाद में और तेलंगाना राज्य के लिए 23 फरवरी, 2016 को बागबानी प्रशिक्षण संस्थान, रेड हिल्स, हैदराबाद में सीआईआई फेस क्लस्टर डिवेलपमेंट एण्ड गैप इम्पलिमेंटेंशन कार्यक्रम पर संयुक्त स्टेकहोल्डर्स बैठक का आयोजन किया, जिसमें बागबानी विभाग के अधिकारियों, दोनों राज्यों के ताजा उत्पाद निर्यातकों और एपीडा की मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

vii) **वाणिज्य सचिव, भारत सरकार के साथ परस्पर संवाद बैठक**

फीफो द्वारा दिनांक 4 मार्च, 2016 को दि इण्डियन स्कूल ऑफ बिजनस (आईएसबी)में श्रीमती रीता तेवतिया, वाणिज्य सचिव, भारत सरकार के साथ परस्पर संवाद बैठक का आयोजन किया गया। इसमे एपीडा में निदेशक श्री सुनील कुमार, उप महाप्रबन्धक श्री टी. सुधाकर तथा परामर्शदाता श्री आर.के. बोयल भी उपस्थित हुए।

3. हैदराबाद में मांस प्रतिनिधिमंडल के दौरेः

I.) **चीन के मांस प्रतिनिधि मंडल का हैदराबाद में दिनांक 16.10.2015 से 18.10.2015 को दौराः**

चीन के 5 सदस्यों वाले मांस प्रतिनिधिमंडल ने 16 से 18 अक्तूबर, .2015 को हैदराबाद का दौरा किया।सम्बन्धित इन्टेग्रेटिड एबाटोयर व मांस प्रोसेसिंग संयंत्रों में उनके दौरों का आयोजन एपीडा के हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया गया।

ii.) **मलेशिया के मांस प्रतिनिधिमंडल का दिनांक 21.10.2015 से 24.10.2015 को दौराः**

मलेशिया के 5 सदस्यों वाले मांस प्रतिनिधिमंडल ने 21 अक्तूबर, 2015 से 18 अक्तूबर, .2015 को हैदराबाद का दौरा किया। राज्यों के सम्बन्धित इन्टेग्रेटिड एबाटोयर व मांस प्रोसेसिंग संयंत्रों में उनके दौरों का आयोजन एपीडा के हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया गया।

4. मांस संयंत्र पंजीकरण समिति का दौराः

एपीडा के हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में मांस संयंत्र पंजीकरण समिति के दौरे का आयोजन किया। पांच इन्टेग्रेटिड मांस संयंत्रों और तीन मांस प्रोसेसिंग इकाइयों /एबाटोयर्स के निरीक्षण हेतु दौरा किया गया।

5. पैक हाऊस मान्यता समिति का दौरा

एपीडा हैदराबाद ने मान्यता समिति द्वारा आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के पांच पैक हाऊसों के दौरे का आयोजन कराया।

6. अमरीका और चीन को चावल के निर्यात के लिए चावल मिलों के पंजीकरण हेतु चावल मिल इकाइयों का निरीक्षणः

एपीडा हैदराबाद ने पौध संरक्षण, संगरोध व भंडारण निदेशालय, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मिलकर अमरीका और चीन को चावल के निर्यात के लिए चावल मिलों/प्रोसेसिंग इकाइयों के पंजीकरण हेतुतीन चावल मिल इकाइयों का निरीक्षण किया।

7. मूंगफली प्रोसेसिंग/शेलिंग और ग्रेडिंग इकाइयों का दौराः

एपीडा हैदराबाद ने आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के दो मूंगफली प्रोसेसिंग/शेलिंग और ग्रेडिंग इकाइयों का दौरा किया।

8. एपीडा के हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने व्यापार संगठनों, संस्थानों और राज्य सरकार के विभागों द्वारा आयोजित बैठकों में भाग लिया।

I.) कढ़ी पत्तों में अत्यधिक कीटनाशक अवशेष होने के कारण, यूरोप, दुबई और सऊदी अरब ने भारत से कढ़ी पत्ते के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया । एपीडा ने बागबानी विभाग, केवीके, एलएएम और एगमार्क एवं मसाला बोर्ड के सहयोग से 22.04.2015 को गुंटुर में ताजा कढ़ी पत्ते के उत्पादन में अवशेष अनुवर्तन योजना पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। श्री टी. सुधाकर, उप महाप्रबन्धक ने उक्त प्रशिक्षण गुंटुर जिले के पेडावडलापुडी क्षेत्र, जो कढ़ी पत्ते का बड़ा क्लस्टर है, में आयोजित किया।

ii.) एपीडा के हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने एनआईपीएचएम में 5 जून, 2015 को मूंगफली की फसल के बाद कीटनाशक पर ब्रेनस्टॉमिंग कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें आईओपीईपीसी, मुम्बई के तकनीकी परामर्शदाता डॉ. जे.बी. मिश्रा और आईआईओआर, आईसीआरआईएसएटी, आईआईसीटी, आईआईओआर, यूएएस, धारवाड़, एआरएस, कादिरी, एनआईपीएचएम के वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित विषयों पर जानकारी दीः

1. मूंगफली निर्यात अवरोध –भंडारण कीटनाशक
2. खेत स्तर पर फसल और भंडारण प्रोटोकोल
3. शेलिंग इकाइयों और वेयरहाऊसों के लिए भंडारण प्रोटोकोल

श्री टी. सुधाकर, उप महाप्रबन्धक, हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। डॉ. सत्यगोपाल, आईएएस, डीजी, एनआईपीएचएम ने इस कार्यशाला का उद्घाटन किया।

iii.) श्री टी. सुधाकर, उप महाप्रबन्धक, हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने आन्ध्र प्रदेश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री फेडरेशन द्वारा 10 जून, 2015 को विजयवाड़ा, आन्ध्र प्रदेश में आयोजित फूड प्रोसेसिंग उद्योग पर सेमिनार में भाग लिया।

सेमिनार में निम्नलिखित पर बल दिया गयाः

- फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र समीक्षा – आन्ध्र प्रदेश में खाद्य एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के अवसर
- विकसित देशों में भारतीय निर्यातकों के समक्ष आई चुनौतियां
- निर्यात के लिए खाद्य पेकिंग मानकों की महत्ता

श्री टी. सुधाकर, उप महाप्रबन्धक, हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने कृषि निर्यात पर एपीडा की भूमिका और एपीडा की वित्तीय सहायता योजनाओं के बारे में जानकारी दी।

iv.) श्री टी. सुधाकर, उप महाप्रबन्धक ने 26.06.2015 को आरजीआईए, हैदराबाद से प्रवर्धित नाशवान निर्यात/आयात पर पहल पर एचआईएसीटी, हैदराबाद में एक बैठक में भाग लिया। उप महाप्रबन्धक (टीएस) ने नाशवान और अन्य .शिकार्गो निर्यात संभावनाओं पर जानकारी दी।

v.) श्री टी. सुधाकर, उप महाप्रबन्धक ने 23.07.2015 को प्रवर्धित निर्यात कार्गो और नाशवान अवसंरचना अपेक्षाओं पर राजीव गांधी इन्टरनेशनल एयरपोर्ट के सीईओ, श्री डी.पी. हेमन्त के साथ एक बैठक में भाग लिया।

vi. श्री टी. सुधाकर, उप महाप्रबन्धक ने श्री सुनील कुमार, महाप्रबन्धक के साथ पुणे में दिनांक 30.07. 2015 को आयोजित चारे पर परामर्श बैठक में भाग लिया।

vii. श्री टी. सुधाकर, उप महाप्रबन्धक ने जिला समाहर्ता एवं जिला न्यायाधीश, महबूबनगर, तेलंगााना सरकार द्वारा दिनांक 13.08.2015 को जिला महबूब नगर, तेलंगााना में बागबानी सम्पदा – मूल्य वर्धन के अवसर, फसल के बाद अवसंरचना एवं प्रोसेसिंग उद्योग पर कार्यशाला व जागरुकता कार्यक्रम भाग लिया।

viii. आन्ध्र प्रदेश में बागबानी विकास और कृषि क्षेत्र में सम्बद्ध अवसंरचना विकास पर जापानी अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) के साथ बैठक। जेआईसीए के साथ जून 2015 और नवम्बर 2015 में दो बैठकें हुईं। श्री टी. सुधाकर, उप महाप्रबन्धक ने आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए अपेक्षित अवसंरचना एवं बागबानी इनपुट्स पर जेआईसीए के प्रतिनिधियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई।

ix. श्री टी. सुधाकर, उप महाप्रबन्धक ने 18.08.2015 को एक्सटेंशन एड्यूकेशन इन्स्टीट्यूट,

तेलंगााना बागबानी विश्वविद्यालय, राजेन्द्र नगर में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र में निर्यात उन्मुखता पर एक कार्यक्रम में व्याख्यान दिया जिसमें दक्षिणी राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिल नाडु, केरल, पांडिचेरी) और उड़ीसा, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप के विकास विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया।

x. श्री टी. सुधाकर, उप महाप्रबन्धक ने सीआईआई, हैदराबाद द्वारा 10.09.2015 को आयोजित फूड बिज इण्डिया 2015 में भाग लिया और एपीडा की वित्तीय सहायता योजनाओं पर व्याख्यान दिया।

xi. श्री टी. सुधाकर, उप महाप्रबन्धक ने फिक्की, हैदराबाद द्वारा 18.09.2015 को आयोजित इण्डस्ट्री कन्सल्टेशन ऑन रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) पर एक बैठक में भाग लिया। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशक श्री विजय कुमार उपस्थित व्यक्तियों को सम्बोधित किया।

xii. श्री टी. सुधाकर, उप महाप्रबन्धक ने दिनांक 13.11.2015 और 14.11.2015 को आईसीआरआईएसएटी परिसर में आन्ध्र प्रदेश राज्य में रितुकोसम के अन्तर्गत बागबानी क्षेत्र दो संख्या वाली वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए कार्य–नीति कार्रवाही योजना पर एक कार्यशाला में भाग लिया।

xiii. श्री टी. सुधाकर, उप महाप्रबन्धक तेलंगाना राज्य में आठ डीपीआर तैयार करने के सम्बन्ध में दिनांक 08.12.2015 को तेलंगाना सरकार के माननीय कृषि मंत्री से मिले और उप महाप्रबन्धक (टीएस) ने बागबानी क्षेत्र में डीपीआर प्रस्तुत करने के बारे में विचार–विमर्श करने के लिए तेलंगाना राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ एपीडा के प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली का दौरा किया।

xiv. पीएमओ से साथ गैप कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में दिनांक 08.02.2016 को बागबानी आयुक्त, तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश सरकार के साथ बैठक।

xv. श्री टी. सुधाकर, उप महाप्रबन्धक ने एफटीएपीसीसीआई, हैदराबाद में दिनांक 10.02.2016 को आयोजित एफटीएपीसीसीआई– कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उप–समिति की दूसरी बैठक में भाग लिया।

xvi. श्री टी. सुधाकर, उप महाप्रबन्धक ने दिनांक 16.12.2015 को हैदराबाद में सऊदी अरब को हरी मिर्च और नाशवान वस्तुओं के निर्यात से सम्बन्धित मामलों के बारे में पौध संगरोध स्टेशन, हैदराबाद के अधिकारियों और ताजा उत्पाद निर्यातकों एवं लॉजिस्टिक एजेंसियों के साथ एक बैठक में भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता श्री ए.एस. ठाकरे, पौध संगरोध स्टेशन, हैदराबाद ने की।

xvii. श्री टी. सुधाकर, उप महाप्रबन्धक ने दिनांक 10.01.2016 को तेलंगाना राज्य में कोल्ड स्टोरेज अवसंरचना की स्थापना पर विपणन विभाग, तेलंगाना सरकार से बैठक की ।

xviii. श्री टी. सुधाकर, उप महाप्रबन्धक ने ब्रेंड प्रमोशन और कॉफी टेबल बुक पर सेमिनार के आयोजन के लिए दिनांक 10.02.2016 को श्री रविन्द्र मोदी, एफटीएपीसीसीआई, फेडरेशन हाऊस, हैदराबाद के साथ बैठक आयोजित की ।

xix. श्री टी. सुधाकर, उप महाप्रबन्धक ने दिनांक 15.03.2016 को भैंस बूचड़खाने के प्रभाव और एनआरसी मीट पर पशुधन, दूध, सूखे पाउडर पर मीट निर्यात नीति के कार्यक्रम की समीक्षा के लिए निदेशक, एनआीसी फॉर मीट और सुविज्ञ सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की

xx. श्री टी. सुधाकर, उप महाप्रबन्धक ने दिनांक 21 मार्च 2016 फेडरेशन हाऊस, हैदराबाद में भारत में मुर्गी–पालन क्षेत्र के निरन्तर विकास पर एफटीएपीसीसीआई सेमिनार में भाग लिया।

एपीडा
APEDA

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority

(Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India)

तीसरी मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, 3 सीरी सांस्थानिक क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग, (खेल गांव के सामने), नई दिल्ली – 110016

दूरभाष : 26513204, 26513219, 26526186 फैक्स : 26534870 ई–मेल : headq@apeda.gov.in

3rd floor, NCUI Building, 3 Siri Institutional Area, August Kranti Marg (Opp. Asiad Village), New Delhi-110016

Phone: 26513204, 26513219, 26526186 Fax: 26534870, E-mail: headq@apeda.gov.in

nirmanad@yahoo.com